[1][(2) इस धारा के उपबंध, जैसे कि वे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 1 अप्रैल ,1988 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के किसी निर्धारण को और उसके संबंध में लागू होंगे और इस धारा में इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उन उपबंधों के प्रति निर्देश हैं जो तत्समय प्रवृत्त थे और सुसंगत निर्धारण को लागू होते थे ।]

[2][**144क. उपायुक्त की कुछ मामलों में निदेश देने की शक्ति**—[3]*** स्वप्रेरणा से या [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा उसको निदेशित किए जाने पर या निर्धारिती के आवेदन पर ऐसी किसी कार्यवाही के जिसमें निर्धारण लम्बित है, अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और यदि मामले की प्रकृति को या अन्तर्ग्रस्त रकम को ध्यान में रखते हुए, या किसी अन्य कारण से वह यह विचार करता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे [@][निर्धारण अधिकारी] के मार्गदर्शन के लिए उसे निर्धारण पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए ऐसे निदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और ऐसे निदेश [@][निर्धारण अधिकारी] पर आबद्धकर होंगे :

परन्तु निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले निदेश निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए बिना जारी नहीं किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस [4][धारा] के प्रयोजनों के लिए निर्धारण से संबंधित अन्वेषण किस पद्धति से किया जाना चाहिए इसके बारे में निदेश को निर्धारिती पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला निदेश नहीं समझा जाएगा ।

[5]* * * * *

[6]* * * * *

[7][**144खक. कतिपय मामलों में आयुक्त को निर्देश**—(1) यदि निर्धारण अधिकारी का, उसके समक्ष निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों के किसी प्रकम पर, उपलब्ध साम्रगी और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि अध्याय 10क के अर्थान्तर्गत किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करना और ऐसे किसी ठहराव का परिणाम अवधारित करना आवश्यक है, तो वह इस संबंध में आयुक्त को निर्देश कर सकेगा ।

(2) यदि आयुक्त की, उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होने पर, यह राय है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब लेना अपेक्षित है, तो वह एक सूचना, उसमें ऐसी राय के कारणों और आधार को उपवर्णित करते हुए, निर्धारिती को आक्षेप, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए और निर्धारिती को साठ दिन से अनधिक की ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुनवाई का अवसर देने के लिए जारी करेगा ।

(3) यदि निर्धारिती उपधारा (2) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना के प्रति कोई आक्षेप प्रस्तुत नहीं करता है, तो आयुक्त ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठहराव अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा करने के संबंध में ठीक समझे ।

(4) यदि निर्धारिती प्रस्तावित कार्रवाई के प्रति आक्षेप करता है और आयुक्त का, मामले में निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात् निर्धारिती के स्पष्टीकरण से समाधान नहीं होता है, तो वह उस मामले में ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता पैनल को निर्देश करेगा ।

(5) यदि आयुक्त का, निर्धारिती की सुनवाई करने के पश्चात्, यह समाधान हो जाता है कि अध्याय 10क के उपबंधों का अवलंब नहीं लिया जाए तो वह लिखित आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को उसकी संसूचना निर्धारिती को उसकी एक प्रति देते हुए देगा ।

(6) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (4) के अधीन आयुक्त से कोई निर्देश प्राप्त होने पर ठहराव को अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषित करने की बाबत ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे जिनके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष या उन पूर्ववर्षों को विनिर्दिष्ट करना भी है, जिनके लिए ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में ऐसी घोषणा लागू होगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश तब तक नहीं जारी किया जाएगा जब तक ऐसे निदेशों के संबंध में, जो, यथास्थिति, निर्धारिती के हित या राजस्व के हितों के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

(8) अनुमोदनकर्ता पैनल, उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश जारी करने के पूर्व,—

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 17 द्वारा)1-4-1989 से (अंत:स्थापित ।
[2] 1975 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 45 द्वारा (1.1.1976 से) धारा 144क और धारा 144ख अंत:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1.4.1989 से) "(1)" लोप किया गया ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[4] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 22 द्वारा (1.4.1989 से) "उपधारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1.4.1989 से) उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[6] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 51 द्वारा (1.4.1989 से) धारा 144ख का लोप किया गया ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 39 द्वारा (1.4.2014 से) अंत:स्थापित ।

(i) यदि उसकी यह राय है कि मामले में कोई और जांच आवश्यक है, तो आयुक्त को ऐसी जांच करने या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी द्वारा जांच कराए जाने का तथा ऐसी उसे एक रिपोर्ट, जिसमें ऐसी जांच के परिणाम अंतर्विष्ट हों, प्रस्तुत किए जाने का निदेश दे सकेगा ; या

(ii) मामले से संबंधित ऐसे अभिलेखों को, जो ठीक समझे मंगा सकेगा और उनकी परीक्षा कर सकेगा ; या

(iii) निर्धारिती से ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य, जैसे वह निदेश दे प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(9) यदि अनुमोदनकर्ता पैनल के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो उस मुद्दे का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

(10) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (3) के अधीन, आयुक्त या उपधारा (6) के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल के निदेशों की प्राप्ति पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों को उन निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार पूरा करने की कार्यवाही करेगा ।

(11) यदि उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश में यह विनिर्दिष्ट है कि ठहराव की अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव के रूप में घोषणा ऐसे उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए लागू होती है, जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां तात्पर्यित हैं, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की किसी निर्धारण या पुन:निर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करते समय ऐसे निदेशों और अध्याय 10क के उपबंधों के अनुसार ऐसा करेगा और उसके लिए सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में उस मुद्दे पर नए सिरे से निदेश की ईप्सा करना आवश्यक नहीं होगा ।

(12) यदि अध्याय 10क के उपबंधों के अधीन आदेश में कोई कर परिणाम अवधारित किए गए हैं तो निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण या पुन:निर्धारण संबंधी कोई आदेश आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।

(13) अनुमोदनकर्ता पैनल उपधारा (6) के अधीन निदेश उस मास के, जिसमें उपधारा (4) के अधीन निर्देश प्राप्त होता है, अंत से छह मास की अवधि के भीतर जारी करेगा ।

(14) अनुमोदनकर्ता द्वारा उपधारा (6) के अधीन जारी किए गए निदेश—

(i) निर्धारिती ; और

(ii) आयुक्त और उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों पर,

आबद्धकर होंगे और अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन ऐसे निदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी ।

(15) केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक, जितने आवश्यक हों, अनुमोदनकर्ता पैनल गठित करेगी और प्रत्येक पैनल तीन सदस्यों से, जिनके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, मिलकर बनेगा ।

(16) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है और—

(i) एक सदस्य भारतीय राजस्व सेवा का ऐसा सदस्य होगा जो मुख्य आय-कर आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो ; और

(ii) एक सदस्य एक ऐसा शिक्षाविद् या विद्वान होगा जिसके पास प्रत्यक्ष कर, कारबार लेखा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पद्धति जैसे मामलों में विशेष ज्ञान हो ।

(17) अनुमोदनकर्ता पैनल की अवधि साधारणत: एक वर्ष की होगी और वह समय-समय पर तीन वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकेगी ।

(18) अनुमोदनकर्ता पैनल का अध्यक्ष और सदस्य पैनल को किए गए निर्देशों पर विचार करने के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, बैठकें करेंगे और उन्हें ऐसे पारिश्रमिक का संदाय किया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(19) इस धारा के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, उसके पास वे शक्तियां होंगी, जो धारा 245प के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण में निहित हैं ।

(20) बोर्ड अनुमोदनकर्ता पैनल को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने अधिनियम के अधीन अनुमोदनकर्ता पैनल की शक्तियों के दक्षतापूर्ण प्रयोग और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(21) बोर्ड, अनुमोदनकर्ता पैनल के गठन और दक्ष कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निर्देशों के शीघ्र निपटान के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (13) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, निम्नलिखित को अपवर्जित किया जाएगा :—

(i) उस तारीख से, जिसको अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा आयुक्त को धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट करार के अधीन सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से जांच कराए जाने का पहला निदेश जारी किया गया है, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको इस प्रकार अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से अनुमोदनकर्ता पैनल द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि, या एक वर्ष, इनमें से जो भी कम हो ;

(ii) वह अवधि, जिसके दौरान अनुमोदनकर्ता पैनल की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात्, अनुमोदनकर्ता पैनल को निदेश जारी करने के लिए उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम की है, वहां ऐसी शेष अवधि साठ दिन तक बढ़ा दी जाएगी और छह मास की पूर्वोक्त अवधि को तद्नुसार बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।]

[1][**144ग. विवाद समाधान पैनल को निर्देश**—(1) इस अधिनियम में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण अधिकारी, प्रथम बार पात्र निर्धारिती को, यदि वह 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् आय या हानि विवरणी में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्रारूप (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में प्रारूप आदेश कहा गया है) अग्रेषित करेगा ।

(2) प्रारूप आदेश प्राप्त करने पर पात्र निर्धारिती, उसके द्वारा प्रारूप आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर,—

(क) परिवर्तनों की अपनी स्वीकृति निर्धारण अधिकारी को फाइल करेगा ; या

(ख) ऐसे परिवर्तनों के संबंध में अपने आक्षेप, यदि कोई हों,—

(i) विवाद समाधान पैनल ; और

(ii) निर्धारण अधिकारी,

को फाइल करेगा ।

(3) निर्धारण अधिकारी प्रारूप आदेश के आधार पर निर्धारण पूर्ण करेगा यदि,—

(क) निर्धारिती परिवर्तनों की स्वीकृति की निर्धारण अधिकारी को सूचना देता है ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं ।

(4) निर्धारण अधिकारी, [2][धारा 153 या धारा 153ख में] किसी बात के होते हुए भी, उस मास के, जिसमें—

(क) स्वीकृति प्राप्त होती है ; या

(ख) उपधारा (2) के अधीन आक्षेप फाइल करने की अवधि समाप्त हो जाती है,

अंत से एक मास के भीतर उपधारा (3) के अधीन निर्धारण आदेश पारित करेगा ।

(5) विवाद समाधान पैनल, ऐसे किसी मामले में, जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आक्षेप प्राप्त होता है, निर्धारण अधिकारी को निर्धारण पूरा करने में उसे समर्थ बनाने के लिए उसके मार्गदर्शन हेतु ऐसे निदेश जारी करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) विवाद समाधान पैनल निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (5) में निर्दिष्ट निदेश जारी करेगा,—

(क) प्रारूप आदेश ;

(ख) निर्धारिती द्वारा फाइल किए गए आक्षेप ;

(ग) निर्धारिती द्वारा दिया गया साक्ष्य ;

(घ) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी या अंतरण कीमत अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो ;

(ङ) प्रारूप आदेश से संबंधित अभिलेख ;

(च) उसके द्वारा एकत्रित किए गए या एकत्रित कराए गए साक्ष्य ; और

(छ) उसके द्वारा की गई या कराई गई किसी जांच का परिणाम ।

(7) विवाद समाधान पैनल, उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई निर्देश जारी करने से पूर्व,—

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 56 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ; या

(ख) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अतिरिक्त जांच करा सकेगा और उसके परिणाम की रिपोर्ट उसे दे सकेगा ।

(8) विवाद समाधान पैनल प्रारूप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें कम या वर्धित कर सकेगा, फिर भी वह किसी प्रस्तावित परिवर्तन को अपास्त नहीं करेगा, अतिरिक्त जांच करने और निर्धारण आदेश पारित करने के लिए उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी नहीं करेगा ।

[1][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि परिवर्तन को वर्धित करने की विवाद समाधान पैनल की शक्ति में प्रारूप आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उत्पन्न होने वाले किसी मामले पर, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा मामला पात्र निर्धारिती द्वारा उठाया गया था या नहीं, विचार करने की शक्ति सम्मिलित होगी और सदैव सम्मिलित की गई समझी जाएगी ।]

(9) यदि विवाद समाधान पैनल के सदस्यों में किसी प्रश्न के संबंध में मतभेद है तो उस प्रश्न का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत की राय के अनुवसार किया जाएगा ।

(10) विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी किया गया प्रत्येक निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्धकर होगा ।

(11) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश तभी जारी किया जाएगा जब ऐसे निदेशों के संबंध में, जो निर्धारिती के हित या राजस्व के हित के प्रतिकूल हों, निर्धारिती और निर्धारण अधिकारी को सुनवाई का अवसर दे दिया गया हो ।

(12) उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश उस मास के, जिसमें प्रारूप आदेश पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया गया है, अंत से नौ मास के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(13) उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों को प्राप्त करने पर निर्धारण अधिकारी, [2][धारा 153 या धारा 153ख में] अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निदेशों के अनुरूप, उस मास के, जिसमें ऐसा निदेश प्राप्त किया गया है, अंत से एक मास के भीतर निर्धारण, निर्धारिती को सुने जाने का कोई और अवसर दिए बिना, पूरा करेगा ।

(14) बोर्ड, विवाद समाधान पैनल के दक्ष कार्यकरण और पात्र निर्धारिती द्वारा उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए आक्षेपों का शीघ्र निपटारा करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगा ।

[3][(14क) इस धारा के उपबंध निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से जैसा धारा 144खक की उपधारा (12) में उपबंधित है, पारित किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश को लागू नहीं होंगे या पुनर्निधारण ।]

(15) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवाद समाधान पैनल" से इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा गठित तीन आय-कर आयुक्तों से मिलकर बना संघ अभिप्रेत है ;

(ख) "पात्र निर्धारिती" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन धारा 92गक की उपधारा (3) के अधीन पारित किए गए अंतरण कीमत अधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप हुआ है ;

(ii) कोई विदेशी कंपनी ।]

[4][**145. लेखा पद्धति**—(1) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से प्रयुक्त रोकड़ या वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, निर्धारितियों के किसी वर्ग द्वारा या आय के किसी वर्ग की बाबत अनुसरण किए जाने वाले [5][आय संगणना और प्रकटन मानकों] समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगी ।

(3) जहां निर्धारिती के लेखाओं के ठीक या पूर्ण होने के विषय में निर्धारण अधिकारी का समाधान नहीं होता है या जहां उपधारा (1) में उपबंधित लेखा पद्धति [5][का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है वहां निर्धारण अधिकारी, धारा 144 में उपबंधित रीति से निर्धारण कर सकेगा ।]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 63 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 40 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 31 द्वारा (1-4-1997 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**145क. कतिपय मामलों में लेखा पद्धति**—धारा 145 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी,—

(क) "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए माल का क्रय और विक्रय तथा सूची का मूल्यांकन,—

(i) निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से नियोजित लेखा पद्धति के अनुसार होगा ; और

(ii) इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन की तारीख को निर्धारिती द्वारा माल को उसके अवस्थान स्थल पर और दशा में लाने के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या उपगत किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) की रकम सम्मिलित करने के लिए समायोजित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी कर, शुल्क, उपकर या फीस (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के अंतर्गत, ऐसे संदाय के परिणामस्वरूप उद्भूत किसी अधिकार के होते हुए भी, सभी ऐसे संदाय होंगे ;

(ख) यथास्थिति, किसी निर्धारिती द्वारा प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर पर प्राप्त ब्याज उस वर्ष की आय समझा जाएगा, जिसमें वह प्राप्त होता है ।]

[2]* * * * *

[3][**147. निर्धारण से छूटी आय**—[4][यदि निर्धारण अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है] कि कर से प्रभार्य कोई आय, किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है तो वह, धारा 148 से धारा 153 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए (जिसे इस धारा में और धारा 148 से धारा 153 में इसके पश्चात् सुसंगत निर्धारण वर्ष कहा गया है) यथास्थिति, ऐसी आय का और कर से प्रभार्य किसी ऐसी अन्य आय का भी, जो निर्धारण से छूट गई है और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के दौरान तत्पश्चात् उसकी जानकारी में आती है, निर्धारण या पुन: निर्धारण कर सकेगा अथवा हानि या अवक्षयण मोक या किसी अन्य मोक की पुन: संगणना कर सकेगा :

परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (3) या इस धारा के अधीन निर्धारण, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए किया गया है वहां सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तभी की जाएगी जब कर से प्रभार्य कोई आय धारा 139 के अधीन अथवा धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन जारी की गई सूचना के उत्तर में विवरणी देने में अथवा उस निर्धारण वर्ष के लिए उसके निर्धारण के लिए आवश्यक सभी तात्त्विक तथ्यों के पूर्णत: और सही रूप से प्रकट करने में निर्धारिती की ओर से असफलता के कारण ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है :

[5][परंतु यह और कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी, जहां भारत के बारह अवस्थित किसी आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) के संबंध में कर से प्रभार्य कोई आय किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण से छूट गई है :]

[6][[7][परंतु यह भी कि] निर्धारण अधिकारी, उस आय से भिन्न, जिसमें ऐसे विषय अंतर्वलित हैं जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु हैं, ऐसी आय का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुन: निर्धारण कर सकेगा ।]

स्पष्टीकरण 1—निर्धारण अधिकारी के समक्ष लेखा पुस्तकों या अन्य साक्ष्य का पेश किया जाना, जिससे निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्यक् से तात्त्विक साक्ष्य का पता लगाया जा सकता था, पूर्वगामी परंतुक के अर्थ में अनिवार्यत: प्रकटीकरण नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को भी ऐसे मामले समझा जाएगा जिसमें कर से प्रभार्य आय निर्धारण से छूट गई है, अर्थात्—

(क) जहां निर्धारिती ने आय की कोई विवरणी नहीं दी है यद्यपि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक थी जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ;

(ख) जहां निर्धारिती ने आय की विवरणी दी है किन्तु कोई निर्धारण नहीं किया गया है और निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आता है कि निर्धारिती ने आय का न्यून कथन किया है या विवरणी में अत्यधिक हानि, कटौती, मोक या राहत का दावा किया है ;

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 53 द्वारा (1.4.1989 से) धारा 146 का लोप किया गया ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 54 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 147 और 148 प्रतिस्थापित ।
[4] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 23 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 64 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2008 के अधिनियम सं०18 की धारा 33 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 64 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(खक) जहां निर्धारिती ऐसे किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिसकी उससे धारा 92ङ के अधीन प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई थी ।]

(ग) जहां निर्धारण किया गया है, किन्तु—

(i) कर से प्रभार्य आय अवनिर्धारित की गई है; या

(ii) ऐसी आय अत्यंत न्यून दर से निर्धारित की गई है ; या

(iii) ऐसी आय इस अधिनियम के अधीन अत्यधिक राहत का विषय बना दी गई है; या

(iv) इस अधिनियम के अधीन अत्यधिक हानि या अवक्षयण मोक या कोई अन्य मोक संगणित किया गया है ।

[2][(गक) जहां निर्धारिती ने आय की कोई विवरणी नहीं दी है या उसने आय की विवरणी दी है और धारा 133ग की उपधारा (2) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी से प्राप्त जानकारी या दस्तावेज के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि निर्धारिती की आय उस अधिकतम रकम से अधिक है जो कर से प्रभार्य नहीं है या, यथास्थिति, निर्धारिती ने कम आय का कथन किया है या विवरणी में अत्यधिक हानि, कटौती, मोक या राहत का दावा किया है;]

[1][(घ) जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि उसके पास भारत के बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) है ।]

[3][**स्पष्टीकरण 3**—इस धारा के अधीन निर्धारण या पुन:निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण अधिकारी, किसी पुरोधरण की बाबत आय का ऐसा पुरोधरण, जो निर्धारण से छूट गया है और इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में बाद में उसकी जानकारी में आया है, इस बात के होते हुए भी, निर्धारण या पुन:निर्धारण कर सकेगा कि ऐसे पुरोधरण के कारणों को धारा 148 की उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित कारणों में सम्मिलित नहीं किया गया है ।]

[1][**स्पष्टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथा संशोधित इस धारा के उपबन्ध 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे ।]

148. जहां आय निर्धारण से छूट गई है वहां सूचना का जारी किया जाना—[4][(1)] धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन:संगणना करने के पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर उससे यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील करेगा कि वह [5]*** ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सुसंगत निर्धारण वर्ष के तत्स्थानी पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय की या किसी अन्य व्यक्ति की आय की, जिसकी बाबत वह इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित, तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं उल्लिखित करते हुए एक विवरणी दे और इस अधिनियम के उपबंध, जहां तक हो सके, तद्नुसार उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह विवरणी ऐसी विवरणी हो जो धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है :]

[6][परंतु किसी मामले में,—

(क) जहां, इस धारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विवरणी दी गई है, और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की, धारा 143 की उपधारा (2) के परंतुक में, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उक्त उपधारा के संशोधन से ठीक पूर्व था, विनिर्दिष्ट बारह मास के अवसान के पश्चात्, किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन: संगणना करने के लिए समय-सीमा के अवसान से पूर्व, तामील की गई है, वहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी सूचना को विधिमान्य सूचना समझा जाएगा :

परंतु यह और कि किसी मामले में,—

(क) जहां, इस धारा के अधीन तामील की गई किसी सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 1991 को आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई विवरणी दी गई है, और

(ख) तत्पश्चात् धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन किसी सूचना की, धारा 143 की उपधारा (2) के खंड (ii) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट बारह मास के अवसान के पश्चात्, किंतु धारा 153 की उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 64 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 58 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 23 द्वारा (1-4-1989) धारा 148 को धारा 148 (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया ।
[5] 1996 के अधिनियम सं० 33 धारा 43 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 36 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित ।

निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना करने के लिए समय-सीमा के अवसान से पूर्व, तामील की गई है, वहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी सूचना विधिमान्य सूचना समझी जाएगी ।]

[1][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि पहले परंतुक या दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी विवरणी को, जो इस धारा के अधीन तामील की गई सूचना के उत्तर में 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् दी गई है, लागू नहीं होगी ।]

[2][(2) निर्धारण अधिकारी इस धारा के अधीन कोई सूचना जारी करने के पूर्व ऐसा करने के अपने कारण लेखबद्ध करेगा ।]

149. सूचना के लिए समय की परिसीमा—[3][(1) धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक—

[4][(क) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष व्यपगत हो चुके हैं तो जब तक कि वह मामला [5][खंड (ख) या खंड (ग)] के अधीन नहीं आता है ;

(ख) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष किंतु छह वर्ष से अनधिक व्यपगत हो चुके हैं तो जब तक कि कर से प्रभार्य ऐसी आय, जो निर्धारण से छूट गई है, उस वर्ष के लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक नहीं है या होनी संभाव्य नहीं है ;]

[5][(ग) यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष, किन्तु सोलह वर्ष से अनधिक वर्ष व्यपगत हो चुके हों तो जब तक कि भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) कर से प्रभार्य ऐसी आय निर्धारण से छूट नहीं गई है ।]

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कर से प्रभार्य उस आय का अवधारण करने के लिए, जो निर्धारण से छूट गई है, धारा 147 के स्पष्टीकरण 2 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के प्रयोजनों के लिए होते हैं ।]

(2) उपधारा (1) के उपबंध, सूचना के जारी किए जाने के संबंध में धारा 151 के उपबंधों के अधीन होंगे ।

(3) यदि वह व्यक्ति, जिस पर धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की जानी है, ऐसा व्यक्ति है जो धारा 163 के अधीन अनिवासी का अभिकर्ता माना जाता है और सूचना के अनुसरण में किया जाने वाला निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना ऐसे अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में उस पर की जानी है तो सूचना, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अन्त से [6][छह वर्ष] की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जाएगी ।

[5][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंध, 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे ।]

150. ऐसे मामलों के लिए उपबंध जिनमें निर्धारण अपील आदि पर आदेश के अनुसरण में किया गया है—(1) धारा 149 में किसी बात के होते हुए भी यह अपील, निर्देश या पुनरीक्षण के रूप में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी प्राधिकारी, द्वारा [7][या किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही में किसी न्यायालय द्वारा] दिए गए आदेश में, अन्तर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए निर्धारण या पुन:निर्धारण या पुन:संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 148 के अधीन सूचना किसी भी समय जारी की जा सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध किसी ऐसे मामले में लागू नहीं होंगे जिसमें कोई ऐसा निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन:संगणना जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, ऐसे निर्धारण वर्ष के संबंध में है जिसकी बाबत निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना उस आदेश के दिए जाने के समय, जो, यथास्थिति, अपील, निदेश या पुनरीक्षण का विषय था किसी ऐसे अन्य उपबंध के कारण नहीं की जा सकती थी जो उस समय को सीमित करने वाला हो जिसके अन्दर निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना के लिए कोई कार्यवाही की जाए ।

[8][**151. सूचना जारी किए जाने के लिए मंजूरी**—(1) किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 148 के अधीन कोई सूचना सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से चार वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तब तक जारी नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त का, निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है ।

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 36 द्वारा (1-10-2005 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 23 द्वारा (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 55 द्वारा नई उपधारा (1) के स्थान पर (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 65 द्वारा (1-7-2012 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 65 द्वारा (1-7-2012 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 56 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[8] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले किसी मामले से भिन्न मामले में, किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का है, धारा 148 के अधीन कोई सूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि संयुक्त आयुक्त का, ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी किए जाने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी किए जाने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने पर स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है ।]

152. अन्य उपबंध—(1) धारा 147 के अधीन किए गए निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना में, कर उस दर या उन दरों पर प्रभार्य होगा जिस पर या जिन पर वह उस दशा में प्रभारित किया गया होता जिसमें आय निर्धारण से न छूटी होती ।

(2) जहां [1][धारा 147 के अधीन] निर्धारण फिर से किया जाता है वहां निर्धारिती उस दशा में जिसमें उसने उस वर्ष के लिए मूल निर्धारण आदेश के किसी भाग पर तो न धारा 246 से 248 तक के अधीन और न धारा 264 के अधीन कोई आक्षेप किया है, यह दावा कर सकेगा कि धारा 147 के अधीन कार्यवाही उसके यह दर्शित करने पर छोड़ दी जाएगी कि वह इतनी रकम पर या इतनी राशि के लिए निर्धारित हुआ है जितना उससे न्यूनतर नहीं है जिसका कि वह सही तौर पर दायी होता यदि निर्धारण से छूटी अभिकथित आय भी गिनती में ली गई होती या निर्धारण या संगणना उचित रूप से की गई होती :

परन्तु ऐसा करने में वह उन मामलों को फिर से खुलवाने के लिए हकदार नहीं होगा जो धारा 154, 155, 260, 262 या 263 के अधीन आदेश द्वारा सुनिश्चित कर दिए गए हैं ।

[2][**153. निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा**—(1) उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आय पहली बार निर्धारणीय थी, इक्कीस मास की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा :

[3][परन्तु 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में, किसी निर्धारण आदेश की बाबत इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर "अठारह मास" शब्द रख दिए गए हों :

परन्तु यह और कि 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में, किसी निर्धारण आदेश की बाबत इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रख दिए गए हों ।]

(2) उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें धारा 148 के अधीन सूचना की तामील की गई थी, नौ मास की समाप्ति के पश्चात् धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना का कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

[3][परंतु जहां धारा 148 के अधीन सूचना 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् तामील की जाती है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "नौ मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रख दिए गए हों ।]

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें धारा 254 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त या रद्द करने वाला आदेश, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया गया था या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, से पहले किसी भी समय धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में नए निर्धारण का आदेश किया जा सकेगा :

[3][परन्तु जहां 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 254 के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है या, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया जाता है, वहां इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "नौ मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रख दिए गए हों ।]

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी उस दशा में जहां निर्धारण या पुन:निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के प्रकरण के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है वहां उक्त उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुन: निर्धारण को पूरा करने के लिए उपलब्ध समयावधि को बारह मास के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई नया निर्धारण या पुन: निर्धारण करने से भिन्न धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को पूर्णत: या भागत: प्रभावी बनाया जाना है वहां ऐसे आदेश को उस मास के अंत से जिसमें, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 के अधीन आदेश प्राप्त किया गया था या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश पारित किया गया था, तीन मास की अवधि के भीतर प्रभावी बनाया जाएगा :

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 58 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।

परंतु उस दशा में जहां निर्धारण अधिकारी के लिए, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, पूर्वोक्त समय के भीतर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाना संभव नहीं है वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाता है तो निर्धारण अधिकारी से लिखित में ऐसे कारणों की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए छह मास का, अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा :

[1][परंतु यह और कि जहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश का निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करके सत्यापन अपेक्षित है या जहां निर्धारिती को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना है, वहां धारा 250 या धारा 254 या धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन उक्त आदेश को प्रभावी करने वाला आदेश उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किया जाएगा ।]

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के निर्धारणों, पुन: निर्धारणों और पुन: संगणना को लागू नहीं होगी जो उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अध्यधीन—

(i) जहां धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 और धारा 264 के अधीन किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन अपील या निर्देश के रूप में किए जाने से भिन्न कार्यवाही में किसी न्यायालय के किसी आदेश के अनुसरण में या उसमें अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाने के लिए किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति पर निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना की जाती है, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आदेश, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त या पारित किया जाता है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जा सकेगा ;

(ii) उस फर्म की दशा में, जहां धारा 147 के अधीन फर्म पर किए गए किसी निर्धारण के परिणामस्वरूप फर्म के किसी भागीदार पर निर्धारण किया जाता है वहां उस मास के अंत से, जिसमें फर्म के मामले में निर्धारण आदेश पारित किया गया है, बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरा किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (5) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी आदेश, निष्कर्ष या निदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी बनाया जाना है और ऐसा आदेश उसमें विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 से पहले, यथास्थिति, प्राप्त या पारित किया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले ऐसे आदेश, निष्कर्ष या निदेश को प्रभावी बनाएगा या निर्धारिती की आय का निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना करेगा ।

(8) इस धारा, धारा 153क की उपधारा (2) और 153ख की उपधारा (1) के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुन: निर्धारण का कोई ऐसा आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन प्रवर्तित हो गया है, ऐसे प्रवर्तित होने के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, पूरा किया जाएगा ।

(9) इस धारा के उपबंध, जैसे ये वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा उनके संशोधन से ठीक पूर्व थे, 1 जून, 2016 से पहले निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना को या उनके संबंध में लागू होंगे :

[2][परंतु जहां धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 के अधीन सूचना 1 जून, 2016 से पहले जारी की गई है और स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण उस तारीख तक निर्धारण या पुन: निर्धारण पूरा नहीं किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण या पुन: निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अनुसार, जैसी वह वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पहले थी, किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना में निम्नलिखित को अपवर्जित कर दिया जाएगा—

(i) पूरी कार्यवाहियों या उसके किसी भाग को पुन: आरंभ करने या धारा 129 के परंतुक के अधीन निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने में लगा समय, या

(ii) वह कालावधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के किसी आदेश या व्यादेश द्वारा रोक दी गई है, या

(iii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी, केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (i) के अधीन धारा 10 के खंड (22ख) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने के आदेश या अधिसूचना के विखंडन के प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(iv) उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और,—

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 59 द्वारा (1-6-2016 से) अंत:स्थापित ।

(क) उस अंतिम तारीख को, जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है समाप्त होने वाली अवधि ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है, उस तारीख को, जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(v) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली कालावधि ; या

(vi) उस तारीख, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 158क की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्राप्त करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उस धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा आदेश किया जाता है, समाप्त होने वाली (साठ दिन से अनधिक की) कालावधि ; या

(vii) उस दशा में जहां आय-कर समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है या उसके समक्ष कार्यवाही किए जाने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञात नहीं किया है, वहां उस तारीख से जिसको धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया जाता है, आरंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको उस धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(viii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि, या

(x) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की कालावधि, इनमें से जो भी कम हो, या

(xi) उस तारीख से, जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए कोई निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि :

परंतु जहां पूर्वोक्त समय या अवधि के अपवर्जन के पश्चात् उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (7) के अधीन निर्दिष्ट वह परिसीमाकाल, जो निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण, पुन: निर्धारण, पुन: संगणना का आदेश करने के लिए उपलब्ध है, साठ दिन से कम है, वहां ऐसी अवशिष्ट अवधि साठ दिन तक विस्तारित की जाएगी और पूर्वोक्त परिसीमाकाल तद्नुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 92गक की उपधारा (3क) के परंतुक के अनुसार अंतरण मूल्यांक अधिकारी को उपलब्ध समयावधि साठ दिन बढ़ा दी जाती है, और, यथास्थिति, निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है, वहां ऐसी अवशिष्ट अवधि साठ दिन तक विस्तारित की जाएगी और पूर्वोक्त परिसीमाकाल तद्नुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन: संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध परिसीमा की अवधि धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात् एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी ; और धारा 149, [1]*** धारा 154, धारा 155 और धारा 158खङ के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए यह परंतुक भी तद्नुसार लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां उपधारा (6) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी आदेश द्वारा,—

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 59 द्वारा लोप किया गया ।

(क) किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय में से किसी आय को अपवर्जित किया जाता है, वहां किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी आय का निर्धारण धारा 150 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए किया गया निर्धारण समझा जाएगा ; या

(ख) कोई आय किसी एक व्यक्ति की कुल आय में से अपवर्जित की जाती है और अन्य व्यक्ति की आय मानी जाती है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर ऐसी आय का निर्धारण धारा 150 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए किया गया निर्धारण समझा जाएगा यदि उक्त आदेश के पारित किए जाने के पूर्व ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया गया था ।

[1][**153क. तलाशी या अध्यपेक्षा की दशा में निर्धारण**—[2][(1)] धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति की दशा में जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है वहां निर्धारण अधिकारी—

(क) ऐसे व्यक्ति को यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों में आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत आय की विवरणी विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए भेजे, तथा इस अधिनियम के उपबंध यथासाध्य तद्नुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी विवरणी धारा 139 के अधीन दी जानी अपेक्षित है ;

(ख) उस पूर्ववर्ष से जिसमें ऐसी तलाशी या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व छह निर्धारण वर्षों की [3][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों की] कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी ऐसे छह निर्धारण वर्षों के [3][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के] भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत [3][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए] कुल आय का निर्धारण या पुनर्निधारण करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी लेने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित [4][इस उपधारा में निर्दिष्ट] छह निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित [3][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए] निर्धारण या पुनर्निर्धारण यदि कोई हो, का उपशमन होगा :

[5][परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को (उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुन: निर्धारण का दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन किया गया है) विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों के [3][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए] कुल आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :]

[3][परन्तु यह भी कि निर्धारण अधिकारी द्वारा सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए तब तक निर्धारण या पुन: निर्धारण के लिए कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी जब तक कि—

(क) निर्धारण अधिकारी के कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य न हों, जो यह प्रकट करते हों कि आस्ति के रूप में व्यपदेशित आय, जो निर्धारण से रह गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष में पचास लाख रुपए या अधिक की रकम के बराबर है या बराबर होने की संभावना है या सुसंगत निर्धारण वर्षों में उसका कुल योग पचास लाख रुपए या अधिक है;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आय या उसका भाग ऐसे वर्ष या वर्षों के लिए निर्धारण से नहीं रह गया है; और

(ग) धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन की गई अध्यपेक्षा 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् नहीं की गई है ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत निर्धारण वर्ष" पद से, उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है और जो उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छह निर्धारण वर्षों से परे है, किंतु दस निर्धारण वर्षों से अपश्चात् है ।

स्पष्टीकरण 2—चौथे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "आस्ति" के अंतर्गत ऐसी स्थावर संपत्ति भी होगी, जो भूमि या भवन या दोनों, शेयर और प्रतिभूतियां, ऋण और अग्रिम, बैंक खातों में निक्षेप हैं ।]

[6][(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही या किया गया निर्धारण या पुन: निर्धारण का कोई आदेश अपील में या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है तो, उपधारा (1) या धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुन: निर्धारण, जिसका उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पुन: प्रवर्तित हो जाएगा :

परंतु यदि बातिलीकरण का ऐसा आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुन: प्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा ।]

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 65 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 36 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 60 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 36 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 67 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 36 द्वारा अंत:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि,—

(i) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 153ख और धारा 153ग, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, इस धारा के अधीन किए गए निर्धारण को लागू होंगे ;

(ii) इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किए गए किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण में, ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर या दरों पर कर प्रभार्य होगा ।

[1][**153ख. धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा**—(1) धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी निर्धारण अधिकारी,—

(क) धारा 153क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट छह निर्धारण वर्षों के भीतर आने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष की बाबत [2][और सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए] उस वित्तीय वर्ष के अंत से इक्कीस मास की अवधि के भीतर, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम को निष्पादित किया गया है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा ;

(ख) उस पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से इक्कीस मास की अवधि के भीतर जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारी में से अंतिम का निष्पादन किया गया था, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करेगा :

परंतु धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुन: निर्धारण करने के लिए परिसीमा अवधि इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट अवधि या उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती है, अंत में नौ मास, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

[3][परंतु यह और कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार को 1 अप्रैल, 2018 को आरंभ होने वाले वित्त वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था वहां,—

(i) इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर, "अठारह मास" शब्द रखे गए हों;

(ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुन: निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के अंतिम प्राधिकारों को निष्पादित किया गया था, अंत से अठारह मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियों को धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दिया जाता है, के अंत से बारह मास की अवधि, जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकारों को 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित किया गया था वहां,—

(i) इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) के उपबंधों का ऐसे प्रभाव होगा मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास" शब्द रखे गए हों;

(ii) धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुन: निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के अंतिम प्राधिकारों को निष्पादित किया गया था, अंत से बारह मास की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाती है, के अंत से बारह मास की अवधि, जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी :

परन्तु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था और कुल आय के निर्धारण या पुन: निर्धारण की कार्यवाहियों के अनुक्रम में धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया गया है, वहां निर्धारण या पुन: निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियों के अनुक्रम के दौरान धारा 92गक की उपधारा (1) के अधीन निर्देश किया जाता है, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध अवधि को बारह मास बढ़ा दिया जाएगा।]

(2) उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्राधिकारी को,—

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(क) तलाशी की दशा में किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, बनाए गए अंतिम पंचनामे में यथा अभिलिखित तलाशी पूरी होने पर, या

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध जैसे वे वित्त अधिनियम, 2016 के प्रारंभ से ठीक पहले थे, 1 जून, 2016 से पहले किए गए निर्धारण या पुनर्निर्धारण के किसी आदेश को या उसके संबंध में लागू होंगे :

[1][परंतु जहां धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई सूचना 1 जून, 2016 से पूर्व जारी की गई है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट समय के अपवर्जन के कारण ऐसी नियत तारीख तक निर्धारण पूरा नहीं हुआ है, वहां ऐसा निर्धारण इस धारा, जैसी वह वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) द्वारा उसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, के उपबंधों के अनुसार पूरा किया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण की कार्यवाही पर किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोक लगा दी जाती है; या

(ii) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराने का निदेश देता है, प्रारंभ होने वाली और—

(क) उस अंतिम तारीख को जिसको निर्धारिती से ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस उपधारा के अधीन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(ख) जहां ऐसे निदेश को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है उस तारीख को जिसको ऐसे निदेश को अपास्त किए जाने संबंधी आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि; या

(iii) उस तारीख से जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है प्रारंभ होने वाली, और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(iv) पूरी कार्रवाई या उसके किसी भाग को पुन: आरंभ करने में या निर्धारिती को धारा 129 के परन्तुक के अधीन पुन: सुनवाई का अवसर देने में लगा समय ; या

(v) उस दशा में जहां आय-कर समझौता आयोग के समक्ष किया आवेदन उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है या उसके समक्ष कार्यवाही करने के लिए उसके द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया है, वहां उस तारीख को जिसको धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष आवेदन किया गया, आरंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(vi) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245द की उपधारा (3) के अधीन आवेदन को खारिज करने वाला आदेश प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(vii) उस तारीख से, जिसको धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको धारा 245द की उपधारा (7) के अधीन उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि ; या

(viii) धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातिलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि जिसको प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है ; या

(ix) उस तारीख से, जिसको धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई निर्देश या निर्देशों में से प्रथम निर्देश किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको अनुरोध की गई सूचना अंतिम रूप से प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली अवधि या एक वर्ष की अवधि, इसमें से जो भी कम हो ; या

(x) उस तारीख से जिसको धारा 144खक की उपधारा (1) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी ठहराव को अननुज्ञेय परिवर्जन ठहराव घोषित किए जाने के लिए निर्देश प्राप्त किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (6) के अधीन कोई निदेश या उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि,

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 61 द्वारा (1-6-2016 से) अंत:स्थापित ।

अपवर्जित की जएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन के ठीक पश्चात् इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की उपलब्ध अवधि, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास साठ दिनों से कम है, वहां ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि को तद्नुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां धारा 92गक की उपधारा (3क) के परंतुक के अनुसार कीमत अंतरण अधिकारी को उपलब्ध अवधि साठ दिन तक बढ़ा दी जाती है वहां यदि निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण या पुनर्निर्धारण का आदेश करने के लिए उपलब्ध परिसीमा अवधि साठ दिन से कम है, तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक बढ़ा दिया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा अवधि को तद्नुसार बढ़ा हुआ समझा जाएगा :]

[1][परंतु यह भी कि जहां धारा 245जक के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का उपशमन होता है, वहां निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, निर्धारण या पुन: निर्धारण का आदेश करने के लिए इस धारा के अधीन उपलब्ध अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपजर्वन के पश्चात् एक वर्ष से कम नहीं होगी; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है, उसे एक वर्ष तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा ।]

153ग. किसी अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण—[2][(1)] [3][धारा 139, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 151 और धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य बहुमूल्य वस्तु या चीज ; या

(ख) अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या उसमें अंतर्विष्ट कोई सूचना,

धारा 153क में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की है या उससे तात्पर्यित है या उसके संबंध में है, वहां अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां [4][उस पूर्ववर्ष, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, से सुसंगत निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों के लिए और] ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी] [5][और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस दशा में कार्यवाही करेगा और धारा 153क के उपबंधों के अनुसार सूचना जारी करेगा तथा अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण करेगा यदि उस निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां, धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं :]

[6][परंतु ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, [7][धारा 153क की उपधारा (1)] के दूसरे परंतुक में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश है :]

[8][परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, उसके द्वारा बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित नियमों द्वारा, ऐसे अन्य व्यक्ति की बाबत, ऐसे मामलों के वर्ग या वर्गों को उन मामलों के सिवाय, जहां किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण का उपशमन किया गया है, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनमें निर्धारण अधिकारी से उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के छह निर्धारण वर्षों [4][और धारा 153क की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों की] कुल आय का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने के लिए सूचना जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।]

[6][(2) जहां उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त की जाती है या की गई है और उस निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां प्राप्त करने की तारीख से पूर्व,—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की कोई विवरणी नहीं दी गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसको कोई सूचना जारी नहीं की गई है ; या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी दी गई है किंतु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की गई है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील करने की परिसीमा समाप्त हो गई है ; या

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 47 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 62 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 55 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 47 द्वारा (1-5-2003 से) अंत:स्थापित ।
[7] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 38 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) निर्धारण या पुन: निर्धारण, यदि कोई हो, किया गया है,

वहां ऐसा निर्धारण अधिकारी धारा 153क में उपबंधित रीति में सूचना जारी करेगा और उस निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण करेगा ।]

[1][**153घ. तलाशी या अध्यपेक्षा के मामलों में निर्धारण के लिए पूर्व अनुमोदन का आवश्यक होना**—[2][धारा 153क की उपधारा (1)] के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्धारण वर्ष या धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से निन्न पंक्ति के निर्धारण अधिकारी द्वारा संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ही पारित किया जाएगा :]

[3][परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निर्धारण या पुन: निर्धारण आदेश धारा 144खक की उपधारा (12) के अधीन आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, पारित किया जाना अपेक्षित है ।]

154. मूल सुधार—[4][(1) अभिलेख में प्रकट किसी भूल को सुधारने की दृष्टि से, धारा 116 में निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी—

(क) किसी ऐसे आदेश को, जो उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किया है, संशोधित कर सकेगा ;

[5][(ख) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना को संशोधित कर सकेगा ;]

[6][(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को संशोधित कर सकेगा ;]

[7][(घ) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा ।]

[8][(1क) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से सम्बन्धित अपील या पुनरीक्षण के तौर पर किसी कार्यवाही में कोई विषय विचारित और विनिश्चित किया गया है; वहां ऐसा आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी उस उपधारा के अधीन उस आदेश को ऐसे विषय के संबंध में संशोधित कर सकेगा जो उस विषय से भिन्न है जो इस प्रकार विचारित और विनिश्चित किया गया है ।]

(2) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अधीन यह है कि संबंधित प्राधिकारी—

(क) उपधारा (1) के अधीन संशोधन स्वप्रेरणा से कर सकेगा; और

(ख) किसी ऐसी भूल को सुधारने के लिए, जो [6][निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा] [7][या संग्रहणकर्ता] और जहां संबंधित प्राधिकारी [9]*** आयुक्त (अपील) है वहां [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा भी उसके ध्यान में लाई जाती है, ऐसा संशोधन करेगा ।

[10]* * * *

(3) कोई ऐसा संशोधन जिसका परिणाम निर्धारण में वृद्धि करना या प्रतिदाय को घटाना या [6][निर्धारिती या कटौतीकर्ता] के दायित्व को अन्यथा बढ़ाना है; इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने आशय की निर्धारिती को सूचना नहीं दे दी है और [6][निर्धारिती या कटौतीकर्ता द्वारा] [7][या संग्रहणकर्ता] को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात नहीं कर दिया है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन कोई संशोधन किया जाता है वहां संबंधित आय-कर प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में आदेश पारित किया जाएगा ।

[11][(5) जहां किसी ऐसे संशोधन का परिणाम निर्धारण को कम करना या अन्यथा निर्धारिती या कटौतीकर्ता [7][या संग्रहणकर्ता] के दायित्व को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई प्रतिदाय करेगा, जो ऐसे निर्धारिती या कटौतीकर्ता [7][या संग्रहणकर्ता] को देय हो ।]

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 60 द्वारा (1.4.1989 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 70 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 38 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1964 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 31 की धारा 17 द्वारा (6.10.1964 से) अंत:स्थापित ।
[9] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[10] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 61 द्वारा (14-5-1992) से अन्त:स्थापित परन्तुक का 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 38 द्वारा (1-6-1994 से) लोप किया गया ।
[11] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(6) जहां ऐसे किसी संशोधन का परिणाम पहले से किए गए निर्धारण में वृद्धि करना या [1][प्रतिदाय को घटाना या अन्यथा निर्धारिती या कटौतीकर्ता [2][या संग्रहणकर्ता] के दायित्व को बढ़ाना है, वहां निर्धारण अधिकारी संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना की, यथास्थिति, निर्धारिती या कटौतीकर्ता [2][या संग्रहणकर्ता] पर तामील करेगा और ऐसी मांग की सूचना धारा 156 के अधीन जारी की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(7) धारा 155 में या धारा 186 की उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन कोई संशोधन [3][उस वित्तीय वर्ष के अन्त से जिसमें ऐसा आदेश जिसका संशोधन चाहा गया है, पारित किया गया था] चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा ।

[4][(8) उपधारा (7) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस धारा के अधीन संशोधन के लिए कोई आवेदन [1][निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा] [2][या संग्रहणकर्ता द्वारा] उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी को 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् किया जाता है वहां वह प्राधिकारी उस मास की, जिसमें उसके द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है, समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर निम्नलिखित के लिए आदेश पारित करेगा,—

(क) संशोधन करने ; या

(ख) दावा अनुज्ञात करने से इंकार करने ।]

155. अन्य संशोधन—(1) [5][जहां, 1 अप्रैल, 1992 को आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म के किसी भागीदार के किसी संपूरित निर्धारण की बाबत—]

(क) फर्म के निर्धारण या पुन: निर्धारण पर, या

(ख) इस धारा, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन फर्म की आय के घटाए या बढ़ाए जाने पर, [6][या]

[6][(ग) फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित किए आदेश पर],

यह पाया जाता है कि फर्म की आय में भागीदार का अंश भागीदार के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है या यदि सम्मिलित किया गया है तो सही नहीं है वहा [@][निर्धारण अधिकारी] यथास्थिति, निर्धारण में अंश सम्मिलित करने या उसे सही करने की दृष्टि से भागीदार के निर्धारण के आदेश को संशोधित कर सकेगा और उसको धारा 154 के उपबंध उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना, [7][उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उस फर्म के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया था, अन्त से] की जाकर यावत्शक्य लागू होंगे ।

[8][(1क) जहां किसी फर्म के किसी संपूरित निर्धारण की बाबत—

(क) फर्म के निर्धारण या पुन: निर्धारण पर, या

(ख) इस धारा, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन फर्म की आय के घटाए या बढ़ाए जाने पर, या

(ग) फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश पर,

यह पाया जाता है कि किसी भागीदार का कोई पारिश्रमिक धारा 40 के खंड (ख) के अधीन कटौती-योग्य नहीं है वहां निर्धारण अधिकारी उस रकम की उस सीमा तक जो उस प्रकार कटौती-योग्य नहीं है, भागीदार की आय का समायोजन करने की दृष्टि से भागीदार के निर्धारण आदेश का संशोधन कर सकेगा और उसको धारा 154 के उपबन्ध जहां तक हो सके लागू होंगे, और उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की उस वित्तीय वर्ष के अंत से गणना की जाएगी जिसमें फर्म की दशा में अन्तिम आदेश पारित किया गया था ।]

(2) जहां व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय के सदस्य के किसी संपूरित निर्धारण की बाबत—

(क) संगम या निकाय के निर्धारण या पुन: निर्धारण पर, या

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 38 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 29 द्वारा (1-10-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 65 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 62 द्वारा (1-4-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) अन्त:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[7] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 62 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।

(ख) इस धारा, धारा 154, धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन संगम या निकाय की आय के घटाए या बढ़ाए जाने पर, [1][या]

[1][(ग) संगम या निकाय द्वारा किए आवेदन पर धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन पारित किसी आदेश पर],

यह पाया जाता है कि, यथास्थिति, संगम या निकाय की आय में सदस्य का अंश सदस्य के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है या यदि सम्मिलित किया गया हो तो सही नहीं है, वहां [@][निर्धारण अधिकारी], यथास्थिति, निर्धारण में अंश को सम्मिलित करने या सही करने की दृष्टि से, सदस्य के निर्धारण के आदेश को संशोधित कर सकेगा, और उसको धारा 154 के उपबंध, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना [1][उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें, यथास्थिति, उस संगम या निकाय के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया था, अन्त से] की जा कर यावत्शक्य लागू होंगे ।

[2]* * * * *

(4) जहां धारा 147 के अधीन आरम्भ की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप हानि या अवक्षयण पुन:संगणित किया गया है और परिणामास्वरूप यह आवश्यक हो गया है कि उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों के लिए, जिनको कि हानि या अवक्षयण मोक की धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 73 की उपधारा (2) या [3][धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3)] [4][या धारा 74क की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अग्रनीत या मुजरा किया गया है, निर्धारिती की कुल आय को पुन:संगणित किया जाए वहां [@][निर्धारण अधिकारी] ऐसे वर्ष या वर्षों की बाबत कुल आय की पुन:संगणना करने की कार्यवाही कर सकेगा, और आवश्यक संशोधन कर सकेगा और उसको धारा 154 के उपबंध, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना [5][उस वित्तीय वर्ष के जिसमें धारा 147 के अधीन अन्तिम आदेश पारित किया गया था, अन्त से] की जाकर, यावत्शक्य लागू होंगे ।

[6][(4क) जहां, धारा 32ग के अधीन किसी निर्धारण वर्ष में किसी पोत या वायुयान या किसी मशीनरी या संयंत्र की बाबत पूर्णत: या भागत: निर्धारिती को विनिधान मोक के रूप में मोक दिया गया है और तत्पश्चात् :—

(क) उस पूर्व वर्ष के अंत में जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था, आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय उस पोत, वायुयान, मशीनरी या संयंत्र का विक्रय या अन्यथा, अंतरण निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी से भिन्न है, अथवा धारा 32क की उपधारा (6) या उपधारा (7) में निर्दिष्ट किसी समामेलन या उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है ; या

(ख) उस पूर्व वर्ष के अंत में जिसमें पोत या वायुयान अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था, दस वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती धारा 33क की उपधारा (4) के अधीन रिजर्व खाते जमा रकम का उपयोग उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए नए पोत या नए वायुयान या (धारा 32क की उपधारा (1) के [दूसरा परन्तुक] के खंड (क), (ख) और (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति की मशीनरी या संयंत्र से भिन्न नई मशीनरी या संयंत्र के अर्जन के प्रयोजनों के लिए नहीं करता है ; या

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट दस वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती धारा 32क की उपधारा (4) के अधीन रिजर्व खाते में जमा की गई रकम का उपयोग—

(i) लाभांशों या लाभों के तौर पर वितरण के लिए करता है ; या

(ii) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए करता है ; या

(iii) किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए करता है जो उपक्रम के कारबार का प्रयोजन नहीं है,

वहां प्रारंभ में अनुज्ञात विनिधान मोक गलत तौर पर अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा और [@][निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती कुल आय पुन: संगणित कर सकेगा, और आवश्यक संशोधन कर सकेगा और उसको धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे तथा उस धारा को उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना :—

(i) खण्ड (क) में निर्दिष्ट दशा में उस पूर्व वर्ष के अन्त से की जाएगी जिसमें विक्रय या अन्य अन्तरण हुआ था ; (ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट दशा में उस खण्ड में निर्दिष्ट दस वर्ष के अंत से की जाएगी ;

(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट दशा में उस पूर्व वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें रकम का उपयोग किया गया था ।

---

[1] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 61 द्वारा (1-4-1989 से) उपधारा (3) का लोप किया गया ।

[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) "धारा 74 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-1975 से) अंत:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[5] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) "धारा 147 के अधीन पारित आदेश की तारीख से" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 21 द्वारा (1-4-1976) से अन्त:स्थापित ।

स्पष्टीकरण—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए "नया पोत" से "नया वायुयान" या "नई मशीनरी या संयंत्र" का वही अर्थ है जो उसको [1][धारा 32क की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण] में है ।

(5) जहां धारा 33 के अधीन या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के तत्समान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारण वर्ष में, 1957 के दिसम्बर के 31वें दिन के पश्चात् प्रतिष्ठापित पोत, मशीनरी या संयंत्र की बाबत पूर्णत: या भागत: निर्धारिती को विकास रिबेट के रूप में मोक दिया गया है और तत्पश्चात्—

(i) उस वर्ष के अंत में, जिसमें पोत अर्जित किया गया था या मशीनरी या संयंत्र प्रतिष्ठापित किया गया था, आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय, उस पोत, मशीनरी या संयंत्र का विक्रय या अन्यथा अन्तरण निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी से भिन्न है, अथवा धारा 33 की उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी समामेलन या उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है,

(ii) धारा 34 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती उस उपधारा के खंड (क) के अधीन रिजर्व खाते में जमा की गई रकम का उपयोग —

(क) लाभांशों या लाभों के रूप में वितरण के लिए करता है, या

(ख) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए करता है, या

(ग) किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए करता है, जो उपक्रम के कारबार का प्रयोजन नहीं है,

वहां प्रारंभ में अनुज्ञात विकास रिबेट गलत तौर पर अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा और [@][निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुन: संगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा; और उसको धारा 154 के उपबंध उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें वह विक्रय या अंतरण हुआ था या धन उस प्रकार उपयुक्त किया गया था, अंत से की जाकर, यावत्शक्य लागू होंगे ।

[2][(5क) जहां धारा 33क के अधीन किसी निर्धारण वर्ष में किसी क्षेत्र में रोपण खर्च की बाबत पूर्णत: या भागत: निर्धारिती को विकास मोक के रूप में मोक दिया गया है और तत्पश्चात्—

(i) उस पूर्ववर्ष के अंत में जिसमें ऐसा मोक दिया गया था आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी उस समय उस भूमि का विक्रय या अन्यथा अंतरण निर्धारिती द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, किसी केन्द्रीय, राज्य, या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी से भिन्न है, अथवा धारा 33क की उपधारा (5) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी समामेलन या उत्तरवर्तन के संबंध में किया जाता है, या

(ii) धारा 33क की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी समय निर्धारिती उस उपधारा के खंड (क) के अधीन रिजर्व खाते में जमा की गई रकम का उपयोग—

(क) लाभांशों या लाभों के रूप में वितरण के लिए करता है, या

(ख) लाभों के रूप में भारत के बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी आस्ति के सृजन के लिए करता है, या

(ग) किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए करता है, जो उपक्रम के कारबार का प्रयोजन नहीं है,

वहां प्रारंभ में अनुज्ञात विकास मोक गलत तौर पर अनुज्ञात किया गया समझा जाएगा और [@][निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुन: संगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा ; और उसको धारा 154 के उपबंध उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चालू वर्ष की कालावधि की गणना, उस पूर्ववर्ष के जिसमें वह विक्रय या अंतरण हुआ था या उस प्रकार उपयुक्त किया गया था, अंत से की जाकर यावत्शक्य लागू होंगे ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई निर्धारिती जिसका किसी भूमि पर पट्टाधृति या अधिभोग का अनन्य अधिकार है ऐसा अधिकार अंतरित करता है वहां यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी भूमि का विक्रय या अन्यथा अन्तरण किया है ।]

---

[1] 1986 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम सं० 46 की धारा 32 द्वारा (1-4-1988 से) स्पष्टीकरण में "धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 39 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 24 द्वारा (1.4.1965 से) अन्त:स्थापित ।

[1][(5ख) जहां धारा 35 की उपधारा (2ख) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष में वैज्ञानिक अनुसंधान पर किसी व्यय की बाबत कोई कटौती की गई है और निर्धारिती विहित प्राधिकारी द्वारा उसके पूरा किए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम के पूरा होने का प्रमाणपत्र देने में असफल रहता है वहां प्रारंभ में अनुज्ञात कटौती जो वास्तव में उपगत व्यय के आधिक्य में है, गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और [@][निर्धारण अधिकारी], इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुन: संगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा और उसकी धारा 154 के उपबंध, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना उस पूर्ववर्ष के जिसमें विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम के पूरा किए जाने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त हुई थी, अंत से की जाकर, यावत्शक्य लागू होंगे ।

[2]* * * * *

(7) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के फलस्वरूप, किसी वर्ष के लिए किसी ऐसी कंपनी के निर्धारण में, जिसके मामले में धारा 104 के अधीन आदेश उस वर्ष के लिए दे दिया गया है, यह आवश्यक है कि उस कंपनी की वितरण योग्य आय पुन: संगणित की जाए, वहा [@][निर्धारण अधिकारी] वितरण योग्य आय को पुन: संगणित करने की कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी पुन: संगणना के आधार पर संदेय [3][कर] अवधारित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा और उसको धारा 154 के उपबंध, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना, उस कार्यवाही के संबंध में [4][उस वित्तीय वर्ष के जिसमें उस कम्पनी के मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया था अंत से की जाकर, यावत्शक्य लागू होंगे ।]

[2]* * * * *

[5][(7ख) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ, धारा 47क के, यथास्थिति, खंड (iv) या खंड (v) के उपबंधों के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं किए जाते हैं किन्तु धारा 47क के अधीन ऐसे पूर्व वर्ष के "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के रूप में समझे जाते हैं जिसमें ऐसा अन्तरण—

(i) ऐसी अंतरिती कम्पनी द्वारा ऐसी पूंजी आस्ति के उसके द्वारा अपने कारबार के व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित किए जाने या उसके द्वारा उस रूप में माने जाने ; या

(ii) यथास्थिति, मूल कम्पनी या उसके नामनिर्देशितियों अथवा नियंत्री कम्पनी द्वारा समनुषंगी कम्पनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करना छोड़ देने के कारण,

ऐसे अंतरण की तारीख से आठ वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय किया गया था, वहां [@][निर्धारण अधिकारी] इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अंतरक कम्पनी की कुल आय की पुन: संगणना कर सकेगा और उसमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा और उसकी धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि उस पूर्ववर्ष के अंत से गिनी जाएगी जिसमें पूंजी आस्ति इस प्रकार संपरिवर्तित की गई थी या मानी गई थी अथवा जिसमें, यथास्थिति, मूल कम्पनी या उसके नामनिर्देशितियों अथवा नियंत्री कम्पनी ने समनुषंगी कम्पनी की संपूर्ण शेयर पूंजी धारण करना छोड़ दिया है ।]

[2]* * * * *

[6][(10क) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में [7][दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के] अंतरण से उद्भूत होने वाले पूंजी अभिलाभ पर कर प्रभारित किया जाता है और ऐसे अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर निर्धारिती ने धारा 54ङ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान या निक्षेप किया है वहां [@][निर्धारण अधिकारी] निर्धारण आदेश को इस प्रकार संशोधित करेगा कि [8][धारा 54ङ की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन] कर से प्रभारित न होने वाले पूंजी अभिलाभ की रकम उससे अपवर्जित हो जाए और जहां तक हो सके धारा 154 के उपबंध उसको लागू होंगे, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि [9][उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें निर्धारण किया गया था, अंत से] गिनी जाएगी ।

[2]* * * * *

[10][(11) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, ऐसी किसी मूल आस्ति के, जो धारा 54ज में निर्दिष्ट है, अंतरण से उद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ, कर से प्रभार्य है और उस धारा के अधीन विस्तारित अवधि के भीतर निर्धारिती, यथास्थिति, उस धारा में

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 26 द्वारा (1-4-1981 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 61 द्वारा (1-4-1992 से) लोप किया गया ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[3] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 39 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) "उस कम्पनी के मामले में पारित अंतिम आदेश की तारीख" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित ।

[6] 1977 के अधिनियम सं० 29 की धारा 23 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।

[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर (1.4.1988 से) प्रतिस्थापित ।

[8] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 19 द्वारा (1-4-1978 से) प्रतिस्थापित ।

[9] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 30 द्वारा (1-10-1984 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 36 द्वारा (1-4-1986 से) लोप की गई उपधारा (11) को 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 48 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित किया गया ।

निर्दिष्ट नई आस्ति अर्जित करता है या इस प्रकार विस्तारित अवधि के भीतर ऐसे पूंजी अभिलाभ की रकम का निक्षेप या विनिधान करता है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश का संशोधन करेगा जिससे कि धारा 54ज में निर्दिष्ट धाराओं में से किसी के अधीन कर से अप्रभार्य पूंजी अभिलाभ की रकम अपवर्जित की जा सके ; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा धारा 154 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें निर्धारिती द्वारा प्रतिकर प्राप्त किया गया था, अंत से की जाएगी ।]

[1][(11क) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है, अनुमोदन से भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की गई है या भारत से बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने के पश्चात्, या भारत से बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के पश्चात् भारत में नहीं लाई गई है और तत्पश्चात् ऐसी आय या उसका कोई भाग भारत मे पूर्वोक्त रीति में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाता है या लाया गया है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश में संशोधन करेगा जिससे ऐसी आय या उसके भाग की बाबत जो इस प्रकार भारत में प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है, यथास्थिति, धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौती अनुज्ञात की जा सके और उसको धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है ।]

[2][(12) जहां 1 अप्रैल, 1988 के पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, किसी आय की बाबत, जो धारा 80ण में निर्दिष्ट स्वामिस्व, कमीशन, फीस या किसी वैसे ही संदाय के रूप में संपूर्ण आय है या उसका कोई भाग है, उस धारा के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय भारत में, संपरिर्वतनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की गई है अथवा भारत के बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने पर या भारत के बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यवहार के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार भारत में नहीं लाई गई है तथा तत्पश्चात् ऐसी आय या उसका कोई भाग पूर्वोक्त रीति से भारत में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाता है अथवा लाया गया है या लाया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश का संशोधन करेगा जिससे कि, ऐसी आय या उसके किसी भाग की बाबत जो भारत में इस प्रकार प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है, धारा 80ण के अधीन कटौती अनुज्ञात की जा सके; और धारा 154 के उपबन्ध, जहां तक हो सके उसे लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है, अंत से की जाएगी ; किन्तु 1 अप्रैल, 1988 से 30 सितम्बर, 1991 तक की अवधि का, चार वर्ष की अवधि की संगणना करने में अपवर्जन किया जाएगा ।

[3][(13) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में धारा 80जजख या धारा 80जजग या धारा 80जजघ या धारा 80जजङ या धारा 80ण या धारा 80द या धारा 80दद या धारा 80ददक के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय भारत में, संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की गई है अथवा भारत के बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाने पर या भारत के बाहर संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तित की जाने पर निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिसे विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यवहारों के विनियमन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत किया गया है, अनुमोदन से भारत में नहीं लाई गई है और तत्पश्चात् ऐसी आय या उसका कोई भाग पूर्वोक्त रीति से भारत में प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया जाता है अथवा लाया गया है या लाया जाता है वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारण आदेश का संशोधन करेगा जिससे कि ऐसी आय या उसके किसी भाग की बाबत जो भारत में इस प्रकार प्राप्त किया जाता है या लाया जाता है, यथास्थिति, धारा 80जजख या धारा 80जजग या धारा 80जजघ या धारा 80जजङ या धारा 80ण या धारा 80द या धारा 80दद या धारा 80ददक के अधीन कटौती अनुज्ञात की जा सके और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्व वर्ष के, जिसमें ऐसी आय भारत में इस प्रकार प्राप्त की जाती है या लाई जाती है, अंत से की जाएगी ।]

[4][(14) जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, [5][यथास्थिति, धारा 199 या धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए या संगृहीत कर के लिए प्रत्यय] इस आधार पर नहीं दिया गया है कि [5][धारा 203 या धारा 206ग] के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया था और तत्पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र उस निर्धारण वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, दो वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निर्धारण आदेश या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसको लागू होंगे :

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 14 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 48 द्वारा (1-10-1991 से) अन्त:स्थापित । इसके पूर्व 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 44 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया था ।

[3] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 66 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 62 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक [1][उस आय को, जिससे कर की कटौती कर ली गई है, या उस आय को, जिस पर कर संगृहीत कर लिया गया है] सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय-कर विवरणी में प्रकट नहीं कर दिया जाता है।

[2][(14क) जहां किसी पूर्ववर्ष के निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, भारत से बाहर किसी देश या धारा 90, धारा 90क या धारा 91 में निर्दिष्ट भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त किसी आय-कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि ऐसे कर का संदाय किसी विवाद के अधीन था और यदि तत्पश्चात् ऐसे विवाद का समाधान हो जाता है और निर्धारिती, उस मास के, जिसमें विवाद का समाधान हो जाता है, अंत से छह मास के भीतर निर्धारण अधिकारी को विवाद के समाधान का साक्ष्य और ऐसे कर के संदाय का साक्ष्य इस वचनबंध के साथ प्रस्तुत करता है कि किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी रकम के संबंध में किसी प्रत्यय का दावा नहीं किया गया है या दावा नहीं किया जाएगा, वहां निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण आदेश या किसी सूचना या समझी गई किसी सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध उसे यथाशक्य लागू होंगे :]

परन्तु उस कर को, जो विवाद के अधीन था, प्रत्यय उस वर्ष के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसी आय को भारत में कर के लिए प्रस्थापित या कर के लिए उसका निर्धारण किया गया था।]

(15) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण से प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना, धारा 50ग की उपधारा (1) के अनुसार स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकार या निर्धारित किए जाने वाले मूल्य के रूप में अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में, उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में ऐसा मूल्य, पुनरीक्षित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण आदेश को संशोधित करेगा, जिससे कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में इस प्रकार पुनरीक्षित मूल्य के रूप में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर पूंजी अभिलाभ की संगणना की जा सके ; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक संभव हो सकें, उसको लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से की जाएगी, जिसमें मूल्य का पुनरीक्षण करने वाला आदेश उस अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में पारित किया गया था।]

[3][(16) जहां किसी वर्ष के निर्धारण में किसी पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में अंतरण है या ऐसा अंतरण है जिसके लिए प्रतिफल केंद्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया गया था, प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत हुए समझे जाने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में, यथास्थिति, धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतिकर या प्रतिफल को या खंड (ख) में निर्दिष्ट बढ़े हुए या और बढ़े हुए प्रतिकर या प्रतिफल के मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में उस प्रतिकर या प्रतिफल को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा जिससे कि न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार कम किए गए प्रतिकर या प्रतिफल को प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में लेकर पूंजी लाभ की संगणना की जा सके ; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसे लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ष के, जिसमें प्रतिकर को कम करने वाला आदेश न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अंत से की जाएगी।

(17) जहां किसी निर्धारिती को किसी निर्धारण वर्ष में किसी पेटेंट की बाबत धारा 80ददख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है और बाद में पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) के अधीन नियंत्रक या उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा,—

(i) पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था, या

(ii) निर्धारिती के नाम को उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में पेटेंट रजिस्टर से निकाल दिया गया था,

वहां उस अवधि के लिए, जिसके दौरान पेटेंट प्रतिसंहृत किया गया था या उस अवधि के लिए जिसके लिए निर्धारिती का नाम उस पेटेंट की बाबत पेटेंटी के रूप में निकाला गया था, दिए गए स्वामिस्व के रूप में आय से कटौती गलत तौर पर अनुज्ञात की गई समझी जाएगी और निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय पुन:संगणित कर सकेगा और आवश्यक संशोधन कर सकेगा तथा धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसको लागू होंगे, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्ववर्ष के जिसमें पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की, यथास्थिति, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रक या उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का ऐसा आदेश पारित किया गया था, अंत से की जाएगी।]

[4][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अतिरिक्त प्रतिकर" का वही अर्थ होगा जो धारा 54 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड (1) में है ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 63 द्वारा अंत:स्थापित।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 66 द्वारा अंत:स्थापित।
[4] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 19 द्वारा अंत:स्थापित।

(ख) ऐसी किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के संबंध में जिसके लिए प्रतिफल केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया जाता है "अतिरिक्त प्रतिफल" से अभिप्रेत है किसी न्यायालय, अभिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे अंतरण के लिए वर्धित प्रतिफल की रकम और इस प्रतिफल की रकम के बीच अंतर जो तब संदेय होता जब ऐसी वृद्धि न की गई होती ।

156. मांग की सूचना—जहां इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप कोई कर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि [1]*** संदेय है वहां [@][निर्धारण अधिकारी] इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में मांग की सूचना निर्धारिती पर तामील करेगा :

[2][परंतु जहां [3][धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी राशि का अवधारण निर्धारिती द्वारा या कटौतीकर्ता द्वारा संग्रहणकर्ता द्वारा] संदेय राशि के रूप में किया जाता है, वहां उन उपधाराओं के अधीन सूचना को, इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझा जाएगा ।]

157. हानि की प्रज्ञापना—जब किसी निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के अनुक्रम में यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी हानि हुई है जिसका धारा 72 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2) [4][[5][धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3)] या धारा 74क की उपधारा (3)] के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा कराने के लिए निर्धारिती हकदार है, तो [@][निर्धारण अधिकारी] लिखित आदेश द्वारा निर्धारिती को हानि की ऐसी रकम अधिसूचित करेगा जैसी धारा 72 की उपधारा (1), धारा 73 की उपधारा (2) [5][[6][धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3)] या धारा 74क की उपधारा (3)] के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा संगणित की गई है ।

158. फर्म के निर्धारण की प्रज्ञापना—[7][जब कभी 1 अप्रैल, 1992 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष की बाबत, रजिस्ट्रीकृत फर्म का निर्धारण किया जाता है] या अरजिस्ट्रीकृत फर्म का निर्धारण धारा 183 के खंड (ख) के उपबन्धों के अधीन किया जाता है तब [@][निर्धारण अधिकारी] लिखित आदेश द्वारा फर्म को उसकी निर्धारित कुल आय की रकम और विभिन्न भागीदारों के बीच उसका प्रभाजन आदि सूचित करेगा ।

[8][**अध्याय 14क**

पुनरावृत्ति अपीलों से बचने के लिए विशेष उपबन्ध

158क. प्रक्रिया जब निर्धारती दावा करेता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती यह दावा करता है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए उसके ऐसे मामले में जो [@][निर्धारण अधिकारी] या किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है (ऐसे मामले को इस धारा में इसके पश्चात् सुसंगत मामला कहा गया है), उद्भूत होने वाला कोई विधि का प्रश्न किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसके ऐसे मामले से, जो धारा 256 के अधीन किसी निर्देश पर उच्च न्यायालय के समक्ष अथवा [9][धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष या धारा 260क के अधीन अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष] लम्बित है (ऐसे मामले को इस धारा में इसके पश्चात् अन्य मामला कहा गया है), उद्भूत होने वाले विधि के प्रश्न के समरूप है वहां वह, यथास्थिति, [@][निर्धारण अधिकारी] या अपील प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि, यथास्थिति, [@][निर्धारण अधिकारी] या अपील प्राधिकारी अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम निर्णय को सुसंगत मामले में लागू करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह सुसंगत मामले में ऐसे विधि के प्रश्न को किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में अथवा [9][धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में] नहीं उठाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई घोषणा किसी अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है वहां अपील प्राधिकारी, निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता के बारे में [@][निर्धारण अधिकारी] में रिपोर्ट मंगाएगा और जहां [@][निर्धारण अधिकारी] अपील अधिकारी से उस मामले में उसकी सुनवाई का अवसर देने के लिए अनुरोध करता है वहां अपील प्राधिकारी उसको ऐसा अवसर देगा ।

(3) यथास्थिति, [@][निर्धारण अधिकारी] या अपील प्राधिकारी, लिखित आदेश द्वारा—

---

[1] 1966 के अधिनियम सं० 13 की धारा 32 और अनुसूची 3 द्वारा (1-4-1967 से) "(जिसके अन्तर्गत अध्याय 22क में निर्दिष्ट वार्षिकी निक्षेप भी है)" कोष्ठकों, शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-1975 से) "या धारा 74 की उपधारा (1)" जो दो स्थानों पर आते हैं शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1988 से) "धारा 47 की उपधारा (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 13 द्वारा (1-4-1975 से) प्रतिस्थापित ।

[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 63 द्वारा (1-4-1993 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1984 के अधिनियम सं० 67 की धारा 31 द्वारा (1-10-1984 से) "अध्याय 14क" अन्त:स्थापित ।

[9] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) निर्धारिती के ऐसे दावे को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाला विधि का प्रश्न अन्य मामले में विधि के प्रश्न के समरूप है ; या

(ii) ऐसे दावे को नामंजूर कर सकेगा यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है ।

(4) जहां कोई दावा उपधारा (3) के अधीन स्वीकार कर लिया जाता है वहां—

(क) यथास्थिति, @[निर्धारण अधिकारी] या अपील प्राधिकारी अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय का इंतजार किए बिना सुसंगत मामले को निपटाते हुए आदेश कर सकेगा ; और

(ख) निर्धारिती सुसंगत मामले के संबंध में, ऐसे विधि के प्रश्न को किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील में अथवा [1][धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में] उठाने का हकदार नहीं होगा ।

(5) यदि अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम हो जाता है तो वह सुसंगत मामले को लागू किया जाएगा और, यथास्थिति, @[निर्धारण अधिकारी] या अपील अधिकारी यदि आवश्यक हो तो उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश का ऐसे विनिश्चय के अनुरूप संशोधन करेगा ।

(6) उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील निर्देश या पुनरीक्षण के रूप में किसी कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "अपील अधिकारी" से @[उपायुक्त (अपील)] या आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) किसी निर्धारिती के संबंध में, "मामला" से निर्धारिती की कुल आय के निर्धारण के लिए अथवा उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ।]

[2][**158कक. प्रक्रिया, जब राजस्व द्वारा की गई किसी अपील में विधि का समरूप प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त की यह राय है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी निर्धारिती के मामले में (ऐसे मामले को इसमें सुसंगत मामला कहा गया है) उद्भूत होने वाला विधि का कोई प्रश्न दूसरे निर्धारण वर्ष के लिए उसके मामले में उद्भूत होने वाले ऐसे विधि के प्रश्न के समरूप हो जो धारा 261 के अधीन किसी अपील में या निर्धारिती के पक्ष में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन किसी विशेष इजाजत याचिका में, (ऐसे मामले को इसमें अन्य मामला कहा गया है) उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, वहां वह धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन निर्धारण अधिकारी को अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश देने के बजाय, निर्धारण अधिकारी को आयुक्त (अपील) का आदेश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील अधिकरण में विहित प्ररूप में आवेदन करने का निदेश दे सकेगा जिसमें यह कथन हो कि सुसंगत मामले में उद्भूत विधि के प्रश्न पर अपील तभी फाइल की जा सकती है जब अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर विनिश्चय अंतिम बन जाए ।

(2) आयुक्त या प्रधान आयुक्त, निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने का निदेश केवल तभी देगा यदि निर्धारिती से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कि अन्य मामले में विधि का प्रश्न सुसंगत मामले में उद्भूत होने वाले प्रश्न के समरूप है; और यदि ऐसी कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो आयुक्त या प्रधान आयुक्त धारा 253 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयुक्त (अपील) का आदेश अन्य मामले में विधि के प्रश्न पर अंतिम विनिश्चय के समरूप नहीं है, वहां आयुक्त या प्रधान आयुक्त @[निर्धारण अधिकारी] को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश दे सकेगा और इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय अध्याय 10 के भाग ख के सभी अन्य उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से जिसको उच्चतम न्यायालय का अन्य मामले में आदेश आयुक्त या प्रधान आयुक्त को संसूचित किया जाता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी ।]

[3][**अध्याय 14ख**

तलाशी संबंधी मामलों के निर्धारण के लिए विशेष प्रक्रिया

158ख. परिभाषाएं—इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 63 द्वारा प्रतिस्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(क) "ब्लाक अवधि" से, उस पूर्ववर्ष के पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्व वर्षों को समाविष्ट करने वाली अवधि अभिप्रेत है, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई थी या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई थी और इसके अंतर्गत उस पूर्ववर्ष में, जिसमें उक्त तलाशी ली गई थी या अध्यपेक्षा की गई थी, ऐसी तलाशी के प्रारंभ की तारीख तक या ऐसी अध्यपेक्षा की तारीख तक की अवधि भी है :

परंतु जहां, 1 जून, 2001 से पूर्व तलाशी प्रारंभ की गई है या अध्यपेक्षा की गई है वहां इस खंड के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "छह निर्धारण वर्षों" शब्दों के स्थान पर "दस निर्धारण वर्षों" शब्द रखे गए हों ;]

(ख) "अप्रकटित आय" के अंतर्गत कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज अथवा लेखापुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में किसी प्रविष्टि पर आधारित कोई आय है, जहां ऐसा धन, सोना-चांदी, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, चीज, लेखापुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या संव्यवहारों में प्रविष्टि, जो पूर्णत: या भागत: ऐसी आय या संपत्ति के रूप में है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है या नहीं की गई होती [2][या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोई व्यय, कटौती या भत्ता जो मिथ्या पाया जाता है ।]

158खक. तलाशी के परिणामस्वरूप अप्रकटित आय का निर्धारण—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति की दशा में कोई तलाशी 30 जून, 1995 के पश्चात्, धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई है या लेखा पुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई है तो निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अप्रकटित आय का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

(2) ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय को कर से धारा 113 में विनिर्दिष्ट दर पर, उस पूर्ववर्ष या वर्षों का, जिससे या जिनसे ऐसी आय संबंधित है, ध्यान रखे बिना और उस तथ्य का कि सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए नियमित निर्धारण लंबित है या नहीं, ध्यान रखे बिना, ब्लाक अवधि की आय के रूप में प्रभारित किया जाएगा ।

[3][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस अध्याय के अधीन किया गया निर्धारण, ब्लाक अवधि में सम्मिलित प्रत्येक पूर्व वर्ष की बाबत नियमित निर्धारण के अतिरिक्त होगा ;

(ख) किसी ब्लाक अवधि से संबंधित कुल अप्रकटित आय में ऐसी ब्लाक अवधि की आय के रूप में किसी नियमित निर्धारण में निर्धारित आय सम्मिलित नहीं होगी ;

(ग) इस अध्याय में निर्धारित आय को ब्लाक अवधि में सम्मिलित किसी पूर्ववर्ष के नियमित निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।]

(3) जहां निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय का कोई भाग, उस निर्धारण वर्ष से, जिसका पूर्ववर्ष समाप्त नहीं हुआ है या किसी ऐसे पूर्ववर्ष के लिए, जिसका अवसान नहीं हुआ है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख से संबंधित है और ऐसी आय अथवा ऐसी आय से संबंधित संव्यवहार ऐसे पूर्ववर्षों से संबंधित लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व अभिलिखित किए गए हैं वहां उक्त आय को ब्लाक अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

158खख. ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय की संगणना—(1) ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय, ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले पूर्ववर्षों की कुल आय का योग वह होगी [4][जो लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी की, जो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध हो और ऐसे साक्ष्य से संबंधित हो, तलाशी या अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार] संगणित की गई हो जिसमें से,—

(क) जहां निर्धारण धारा 143 या धारा 144 या धारा 147 के अधीन [4][तलाशी के प्रारंभ की तारीख से या अध्यपेक्षा की तारीख से पहले पूरे किए गए हैं] वहां, ऐसे निर्धारणों के आधार पर ;

(ख) जहां आय की विवरणियां धारा 139 [4][के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन की गई किसी सूचना की प्रतिक्रिया में] फाइल की गई हैं किंतु निर्धारण तलाशी या अपेक्षा की तारीख तक नहीं किए गए हैं वहां, ऐसी विवरणियों में प्रकट की गई आय के आधार पर ;

[4][(ग) जहां आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां—

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 66 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 34 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(अ) तलाशी या अध्यपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर जहां ऐसी प्रविष्टियां ब्लाक अवधि के अन्तर्गत आने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए हानि की संगणना के परिणामस्वरूप हैं ; या

(आ) तलाशी या अध्यपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी आय उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य नहीं है ;

(गक) जहां खंड (ग) के अधीन न आने वाले मामलों में आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां, शून्य के रूप में ;]

(घ) जहां पूर्ववर्ष समाप्त नहीं हुआ है या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की तारीख समाप्त नहीं हुई है वहां, ऐसे पूर्ववर्ष से संबंधित तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व अभिलिखित ऐसी आय या संव्यवहारों से संबंधित विशिष्टियों के आधार पर ;

(ङ) जहां परिनिर्धारण का कोई आदेश धारा 245घ की उपधारा (4) के अधीन किया गया है वहां, ऐसे आदेश के आधार पर ;

(च) जहां अप्रकटित आय का निर्धारण धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन पहले किया गया था वहां, ऐसे निर्धारण के आधार पर,

अवधारित, यथास्थिति, ऐसे पूर्ववर्षों की कुल आय का योग घटा दिया गया हो या जिसमें हानियों का योग बढ़ा दिया गया हो ।

स्पष्टीकरण—अप्रकटित आय के अवधारण के प्रयोजनों के लिए—

(क) प्रत्येक पूर्ववर्ष की कुल आय या हानियों को, संकलन के प्रयोजन के लिए, अध्याय 6 के अधीन अग्रनीत हानियों के मुजरा करने को प्रभावी बनाए बिना [1][इस अधिनियम] के उपबंधों के अनुसार संगणित कुल आय या हानियों अथवा धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन शेष अवक्षयण के रूप में लिया जाएगा :

[1][परंतु यह कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों की संगणना करने में अध्याय 6 के अधीन अग्रनीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण को मुजरा देने के लिए प्रभावी किया जाएगा ।]

[2][(ख) किसी फर्म की, विवरणी में दी गई आय और ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पूर्ववर्ष के लिए निर्धारित कुल आय वह आय होगी जो [3][किसी ऐसे भागीदार को जो कार्यरत भागीदार नहीं है] वेतन, ब्याज, कमीशन, बोनस या पारिश्रमिक की, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कटौती, अनुज्ञात करने के पूर्व अवधारित की जाए :

परन्तु इस प्रकार अवधारित फर्म की अप्रकटित आय, आबंटन पर या उसमें वृद्धि किए जाने के कारण, भागीदारों के हाथ में कर से प्रभार्य नहीं होगी ;]

(ग) धारा 143 के अधीन निर्धारण के अंतर्गत धारा 143 की उपधारा (1) या उपधारा (1ख) के अधीन आय का अवधारण है ।

(2) ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय की संगणना करने में, धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख और धारा 69ग के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे और उन धाराओं में, "वित्तीय वर्ष" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रतिनिर्देश है जिसके अंतर्गत तलाशी या अपेक्षा की तारीख के साथ समाप्त होने वाला पूर्ववर्ष है ।

(3) निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित करने का भार कि कोई आय, यथास्थिति, तलाशी या अपेक्षा के प्रारंभ के पूर्व, निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय की किसी विवरणी में पहले ही प्रकट की जा चुकी है, निर्धारिती पर होगा ।

(4) इस अध्याय के अधीन निर्धारण के प्रयोजन के लिए अध्याय 6 के अधीन पूर्ववर्ष से अग्रनीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन शेष अवक्षयण का इस अध्याय के अधीन ब्लाक निर्धारण में अवधारित अप्रकटित आय के प्रति मुजरा नहीं किया जाएगा किन्तु उन्हें नियमित निर्धारणों में गुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत किया जा सकेगा ।

158खग. ब्लाक निर्धारण के लिए प्रक्रिया—जहां, किसी व्यक्ति की दशा में, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी की गई है या धारा 132क के अधीन लेखापुस्तकों, अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की अपेक्षा की जाती है वहां—

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 65 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1996 के अधिनियम सं० 33 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(क) निर्धारण अधिकारी—

(i) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की उससे यह अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो पन्द्रह दिन से कम न हो ;

(ii) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की उससे यह अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर, जो पन्द्रह दिन से कम किन्तु पैंतालीस दिन से अधिक न हो,

और जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, विहित प्ररूप में एक विवरणी, जिसे उसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जिससे धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन किसी विवरणी को सत्यापित किया जाता है, जिसमें कुल आय, जिसके अन्तर्गत उक्त ब्लाक अवधि के लिए अप्रकटित आय है, दी गई हो, दे :

परन्तु धारा 148 के अधीन कोई सूचना, इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी :

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति, जिसने इस खंड के अधीन विवरणी दी है, कोई पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने का हकदार नहीं होगा ;]

(ख) निर्धारण अधिकारी धारा 158खख में अधिकथित रीति से ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा और धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) और उपधारा (3) [2][धारा 144 और धारा 145] के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ;

(ग) निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के अनुसार ब्लाक अवधि की अप्रकटित आय का अवधारण करने के पश्चात् निर्धारण आदेश पारित करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर का अवधारण करेगा ;

[2][(घ) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्तियों का धारा 132ख के उपबंधों के अनुसार निपटारा किया जाएगा ।]

158खघ. किसी अन्य व्यक्ति की अप्रकटित आय—जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई अप्रकटित आय किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की है, जिसके संबंध में धारा 132 के अधीन तलाशी की गई थी या जिसकी लेखापुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी आस्ति की धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई थी वहां अभिगृहीत या अपेक्षित लेखापुस्तकें, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां ऐसे निर्धारण अधिकारी को सौंप दी जाएंगी जिसे ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में अधिकारिता है और वह निर्धारण अधिकारी, [3][धारा 158खग के अधीन] ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और इस अध्याय के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

158खङ. ब्लाक निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा—[4][(1) धारा 158खग के अधीन आदेश,—

(क) उस मास के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व कोई तलाशी प्रारंभ की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा की गई है, एक वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा ;

(ख) उस मास के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के लिए अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् कोई तलाश प्रारंभ की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की अपेक्षा की गई है, दो वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा ।

(2) धारा 158खघ में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, ब्लाक निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि,—

(क) उस मास के अन्त से, जिसमें 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक वर्ष होगी ; और

(ख) उस मास के अन्त से, जिसमें 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की गई थी, दो वर्ष होगी ।]

---

[1] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 66 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 67 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[4] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी जाती है ; या

(ii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपनी लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए निदेश देता है और जो उस दिन को समाप्त होती है जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या

(iii) धारा 129 के परंतुक के अधीन संपूर्ण कार्यवाही या उसका कोई भाग फिर से आरंभ किए जाने या निर्धारिती को पुन: सुनवाई किए जाने का अवसर दिए जाने में व्यतीत समय ; या

(iv) उस मामले में जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा निरस्त किया जाता है या उसके द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है,

अपवर्जित की जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात् धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसीमा की उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और परिसीमा की पूर्वोक्त अवधि तद्नुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी ।]

[2][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकार को निम्नलिखित दशाओं में निष्पादित किया गया समझा जाएगा—

(क) तलाशी की दशा में, किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया गया है, तैयार किए गए अंतिम पंचनामे में, यथा अभिलिखित तलाशी की समाप्ति पर ;

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की दशा में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर ।]

158खच. कतिपय ब्याज और शास्तियों का उद्गृहीत या अधिरोपित न किया जाना—ब्लाक निर्धारण में अवधारित अप्रकटित आय के संबंध में, धारा 234क, धारा 234ख या धारा 234ग के उपबंधों के अधीन कोई ब्याज या धारा 271 की उपधारा (1) के खंड (ग) या धारा 271क या धारा 271ख के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति ऐसे निर्धारिती पर, यथास्थिति, उद्गृहीत या अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

[3][**158खचक. कतिपय मामलों में ब्याज और शास्ति का उद्ग्रहण**—(1) जहां धारा 158खग के खंड (क) के अधीन सूचना द्वारा यथा अपेक्षित 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत ब्लाक अवधि के लिए कुल आय की, जिसके अन्तर्गत अप्रकटित आय है, विवरणी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् दी जाती है, या नहीं दी जाती है, वहां निर्धारिती धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय के संबंध में कर पर [4][एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के ठीक अगले दिन को प्रारंभ होने वाली, और—

(क) जहां विवरणी पूर्वोक्त समय के समाप्त होने के पश्चात् समय के समाप्त होने के पश्चात् दी जाती है, वहां विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली ; या

(ख) जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को प्रारंभ होने वाली,

अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए संदाय करने का दायी होगा ।

(2) इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति ऐसी राशि का संदाय शास्ति के रूप में करेगा, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन अवधारित अप्रकटित आय की बाबत उद्ग्रहणीय कर की रकम से कम नहीं होगी, किन्तु जो इस प्रकार उद्ग्रहणीय कर की रकम के तिगुने से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि,—

---

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 34 की धारा 67 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 158खग के खंड (क) के अधीन विवरणी दी है ;

(ii) ऐसी विवरणी के आधार पर संदेय कर संदत्त कर दिया गया है या यदि अभिगृहीत आस्तियों में धन सम्मिलित है और निर्धारिती इस प्रकार अभिगृहीत धन को संदेय कर मद्धे समायोजित किए जाने की प्रस्थापना करता है ;

(iii) संदत्त कर का साक्ष्य विवरणी के साथ दिया जाता है ; और

(iv) आय के उस भाग के, जो विवरणी में दर्शित है, निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जाती है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित अप्रकटित आय विवरणी में दर्शित आय से अधिक है और ऐसे मामलों में अवधारित अप्रकटित आय के उस भाग पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी जो विवरणी में दर्शित अप्रकटित आय की रकम से अधिक है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश,—

(क) जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ;

(ख) यथास्थिति, सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक द्वारा वहां, यथास्थिति, उपायुक्त या उपनिदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय जहां शास्ति की रकम बीस हजार रुपए से अधिक है ;

(ग) किसी ऐसे मामले में जिसमें उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियों, जिनके दौरान शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है या मास के अन्त से, जिसमें, यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, छह मास के पश्चात्, दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो, निर्धारण धारा 246 [1][या धारा 246क] के अधीन आयुक्त (अपील) के लिए अपील की या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण के लिए अपील की विषय-वस्तु है ;

(घ) किसी ऐसे मामले में जिसमें निर्धारण, उस मास के अन्त से, जिसमें पुनरीक्षण का ऐसा आदेश पारित किया जाता है, छह मास के समाप्त होने के पश्चात् धारा 263 के अधीन पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है ;

(ङ) खंड (ग) और खंड (घ) में उल्लिखित मामलों से भिन्न किसी मामले में उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियां, जिनके दौरान शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है, या उस मास की समाप्ति से, जिसमें शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई प्रांरभ की जाती है, छह मास के पश्चात्, दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो ;

(च) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पहले धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों की बाबत,

नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) निर्धारिती को धारा 129 के परन्तुक के अधीन पुन: सुनवाई किए जाने का अवसर देने के लिए दिए गए समय को ;

(ii) उस अवधि को, जिसके दौरान धारा 245ज के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति प्रवृत्त रही थी ; और

(iii) उस अवधि को, जिसके दौरान उपधारा (2) के अधीन कार्यवाहियां किसी न्यायालय या व्यादेश से रोक दी जाती हैं,

अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) वह आय-कर प्राधिकारी, जो उपधारा (2) के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश करता है, जब तक कि वह स्वयं निर्धारण अधिकारी न हो, ऐसे आदेश की एक प्रति तत्काल निर्धारण अधिकारी को भेजेगा ।]

[2][**158खछ. ब्लाक निर्धारण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी**—ब्लाक अवधि के लिए निर्धारण का आदेश किसी ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश,—

(क) 30 जून, 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारम्भ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, यथास्थिति, आयुक्त या निदेशक के,

---

[1] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम सं० 14 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में, यथास्थिति, आयुक्त या उप-निदेशक के,

पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा ।]

158खज. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों का लागू होना—इस अध्याय में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध, इस अध्याय के अधीन किए गए निर्धारणों को लागू होंगे ।

[1][**158खझ. अध्याय का कतिपय तारीख के पश्चात् लागू होना**—इस अध्याय के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन लेखाबहियां, अन्य दस्तावेज या किन्हीं आस्तियों की अध्यपेक्षा की जाती है ।]

अध्याय 15

विशेष दशाओं में दायित्व

क—विधिक प्रतिनिधि

159. विधिक प्रतिनिधि—(1) जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब उसका विधिक प्रतिनिधि किसी ऐसी राशि के संदाय के दायित्वाधीन उसी रीति में और उसी परिमाण तक होगा जैसी में और जहां तक उस संदाय के दायित्वाधीन मृतक होता, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती ।

(2) मृतक की आय-कर निर्धारण (जिसके अंतर्गत् धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन:संगणना भी है) करने के प्रयोजन के लिए और उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार विधिक प्रतिनिधि के पास की किसी राशि का उद्ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए—

(क) मृतक के विरुद्ध उसको मृत्यु के पूर्व की गई कोई कार्यवाही विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की गई समझी जाएगी और उसी प्रक्रम से जिस पर कि वह मृतक की मृत्यु की तारीख को थी विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी ;

(ख) कोई कार्यवाही, जो मृतक के विरुद्ध की जा सकती यदि वह जीवित रहता, विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी ; और

(ग) इस अधिनियम के सब उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) मृतक का विधिक प्रतिनिधि, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती समझा जाएगा ।

(4) हर विधिक प्रतिनिधि ऐसे किसी कर के लिए, जो विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी हैसियत में उसके द्वारा संदेय है, उस दशा में, व्यक्तिगत तौर पर दायी होगा जिसमें वह उस समय जिस समय कि उस कर के लिए उसका दायित्व अनुन्मोचित रहता है मृतक की संपदा की किन्हीं ऐसी आस्तियों पर जो उसके कब्जे में हैं या आएं, प्रभार का सर्जन करता है या उनका व्ययन या विलगन करता है किन्तु ऐसा दायित्व ऐसे प्रभारित, व्ययनित या विलगित आस्तियों के मूल्य तक सीमित होगा ।

(5) धारा 161 की उपधारा (2), धारा 162 और धारा 167 के उपबंध, यावत्शक्य और उस विस्तार तक जिस तक वे इस धारा के उपबंधों से असंगत नहीं हैं विधिक प्रतिनिधि के संबंध में लागू होंगे ।

(6) इस धारा के अधीन विधिक प्रतिनिधि का दायित्व, उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस परिमाण तक सीमित होगा जिस तक कि संपदा दायित्व को पूरा करने के लिए समर्थ है ।

ख—प्रतिनिधि निर्धारिती-साधारण उपबन्ध

160. प्रतिनिधि निर्धारिती—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "प्रतिनिधि निर्धारिती" से अभिप्रेत है—

(i) धारा 9 की उपधारा (1) [2]*** में विनिर्दिष्ट अनिवासी की आय की बाबत, अनिवासी का अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है जो धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जाता है,

(ii) अवयस्क, पागल या जड़ की आय की बाबत वह संरक्षक या प्रबंधक जो ऐसे अवयस्क पागल या जड़ की ओर से ऐसी आय प्राप्त करने का हकदार है या प्राप्त करता है ;

(iii) ऐसी आय की बाबत जिसे प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या कोई रिसीवर या प्रबन्धक (जिसके अंतर्गत किसी भी पदाभिदान वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो अन्य की ओर से संपत्ति का वास्तव में प्रबंध करता है) जो किसी न्यायालय के किसी आदेश के द्वारा या अधीन नियुक्त है, किसी व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है ऐसा प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, रिसीवर या प्रबन्धक ;

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 32 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 26 द्वारा (1-6-1976 से) "खंड (1)" का लोप किया गया ।

(iv) ऐसी आय की बाबत जिसे सम्यक्रूपेण निष्पादित लिखत द्वारा घोषित न्यास के अधीन चाहे वह वसीयती हो या अन्यथा [जिसके अंतर्गत कोई ऐसा वक्फ विलेख है जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यताकरण अधिनियम, 1913 (1913 का 6) के अधीन विधिमान्य है] नियुक्त न्यासी किसी व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है ऐसा या ऐसे न्यासी ;

[1][(v) ऐसी आय की बाबत जो किसी मौखिक न्यास के अधीन नियुक्त न्यासी किसी व्यक्ति की ओर] से या उसके फायदे के लिए प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, ऐसा या ऐसे न्यासी ।

स्पष्टीकरण 1—किसी न्यास को जो सम्यक्त: निष्पादित लिखत द्वारा घोषित नहीं किया गया है [जिसके अंतर्गत ऐसे वक्फ विलेख हैं जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यताकरण अधिनियम 1913 (1913 का 6) के अधीन विधिमान्य है], खंड (iv) के प्रयोजनों के लिए सम्यक्त: निष्पादित लिखत द्वारा घोषित न्यास समझा जाएगा यदि न्यासी या न्यासियों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित कथन, (जिसमें न्यास के प्रयोजन या प्रयोजनों का उल्लेख हो और जिसमें न्यासी या न्यासियों के हिताधिकारी या हिताधिकारियों की ओर न्यास संपत्ति की विशिष्टियां दी गई हों, [@][निर्धारण अधिकारी] को भेजा जाता है—

(i) जहां न्यास 1 जून, 1981 तक के पहले घोषित किया गया है वहां उस तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ; और

(ii) किसी अन्य दशा में न्यास की घोषणा की तारीख से तीन मास के भीतर ।

स्पष्टीकरण 2—खण्ड (5) के प्रयोजनों के लिए "मौखिक न्यास" से ऐसा न्यास अभिप्रेत है जो सम्यक्त: निष्पादित लिखत द्वारा घोषित नहीं है । [जिसके अंतर्गत ऐसा वक्फ विलेख है जो मुसलमान वक्फ विधिमान्यताकरण अधिनियम, 1913 (1913 का 6) के अधीन विधिमान्य है] और जो स्पष्टीकरण 1 के अधीन सम्यक्त: निष्पादित लिखत द्वारा घोषित न्यास नहीं समझा जाता है ।]

(2) हर प्रतिनिधि निर्धारिती इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती समझा जाएगा ।

161. प्रतिनिधि निर्धारिती का दायित्व—(1) हर प्रतिनिधि निर्धारिती उस आय के संबंध में जिसकी बाबत यह प्रतिनिधि निर्धारिती है, से ही कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों के अधीन होगा जैसी कि वह होता यदि वह आय फायदाप्रद रूप में उसके द्वारा प्राप्त या उसको या उसके पक्ष में प्रोद्भूत आय होती है और उस आय की बाबत वह स्वयं अपने नाम में निर्धारण के दायित्वाधीन होगा, किन्तु ऐसा कोई निर्धारण उस पर उसकी प्रतिनिधिक हैसियत में ही किया गया समझा जाएगा और वह कर, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट उन उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पर उद्गृहीत और उससे वसूल उसी रीति में और उसी परिमाण तक किया जाएगा जिसमें और जिस तक कि वह उस व्यक्ति पर उद्ग्रहीत और उससे वसूल किया जाता जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ।

[2][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई आय जिसकी बाबत धारा 160 की उपधारा (1) के खंड (iv) में उल्लिखित व्यक्ति, प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में दायी है, कारबार के लाभ और अभिलाभ से मिलकर बनती है या जिसमें कारबार के लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां उस संपूर्ण आय पर जिसकी बाबत ऐसा व्यक्ति इस प्रकार दायी है, आय-कर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु इस धारा के उबपंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसे लाभ और अभिलाभ किसी व्यक्ति द्वारा उस पर संभाल और भरण-पोषण के लिए आश्रित किसी नातेदार के अनन्यत: फायदे के लिए विल द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है ।

[3]* * * * *

(2) जहां कोई व्यक्ति, प्रतिनिधि निर्धारिती की हैसियत में किसी आय की बाबत इस अध्याय के अधीन निर्धार्य है वहां वह उस आय की बाबत इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन निर्धारित नहीं किया जाएगा ।

162. संदत्त कर को वसूल करने का प्रतिनिधि निर्धारिती का अधिकार—(1) हर प्रतिनिधि निर्धारिती जो उस रूप में इस अधिनियम के अधीन कोई राशि संदत्त करता है इस प्रकार संदत्त राशि को उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह संदत्त की जाती है वसूल करने का या ऐसे संदत्त की गई राशि की बराबर रकम को उस धन में से जो, उसकी प्रतिनिधिक हैसियत में उसके कब्जे में हो या उसके पास आएं, प्रतिधारित करने का हकदार होगा ।

(2) कोई प्रतिनिधि निर्धारिती, या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में निर्धारित किए जाने की आशंका है, उस व्यक्ति को (जो इसके पश्चात् इस धारा में प्रधान के रूप में निर्दिष्ट है) जिसकी ओर से वह कर का संदाय करने के दायित्वाधीन है, अपने द्वारा संदेय किसी धन में इतनी राशि प्रतिधारित कर सकेगा जितनी इस अध्याय के अधीन उसके प्राक्कलित दायित्व के बराबर है तथा ऐसे प्रतिनिर्धारित की जाने वाली रकम के बारे में प्रधान और ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति के बीच किसी मतभेद की दशा में ऐसा प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति दायित्व के अंतिम परिनिर्धारण के लंबित रहने तक इस प्रकार प्रतिधारित की जाने वाली रकम

---

[1] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 14 द्वारा (1-4-1981 से) अंत:स्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 20 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।

[3] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 49 द्वारा (1-4-1991 से) लोप किया गया ।

कथित करने वाला प्रमाणपत्र @[निर्धारण अधिकारी] से अभिप्राप्त कर सकेगा और इस प्रकार अभिप्राप्त किया गया प्रमाणपत्र उस रकम को प्रतिधारित करने के लिए उसका समुचित आधार होगा।

(3) अंतिम परिनिर्धारण के समय ऐसे प्रतिनिधि निर्धारिती या व्यक्ति से वसूलीय रकम ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम से उस परिमाण तक के सिवाय जिस तक कि ऐसे प्रतिनिधि या व्यक्ति के पास ऐसे समय पर प्रधान की अतिरिक्त आस्तियां हों, अधिक नहीं होगी।

ग—प्रतिनिधि निर्धारिती-विशेष मामले

163. अभिकर्ता के रूप में कौन समझे जाएं—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अनिवासी के संबंध में "अभिकर्ता" के अंतर्गत भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है—

(क) जो अनिवासी के द्वारा या उसकी ओर से नियोजित है, या

(ख) जो अनिवासी के साथ कोई कारबारी सरोकार रखता है, या

(ग) जिससे या जिसके द्वारा अनिवासी चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आय प्राप्त करता है, या

(घ) जो अनिवासी का न्यासी है,

और उसके अंतर्गत कोई ऐसा अन्य व्यक्ति भी है जिसने चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, भारत में पूंजी आस्ति, अंतरण के माध्यम से अर्जित की है :

परन्तु भारत में कोई ऐसा दलाल, जो किन्हीं संव्यवहारों की बाबत, अनिवासी प्रधान के साथ या उसकी ओर से प्रत्यक्ष रूप से व्यौहार नहीं करता है किंतु अनिवासी दलाल के साथ या उसके मार्फत व्यौहार करता है ऐसे संव्यवहारों की बाबत इस धारा के अधीन अभिकर्ता नहीं समझा जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात्—

(i) संव्यवहार, कारबार के मामूली अनुक्रम में प्रथम वर्णित दलाल की मार्फत किए जाते हैं; और

(ii) अनिवासी दलाल ऐसे संव्यवहार अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में कर रहा है न कि प्रधान के रूप में।

[1][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबारी संपर्क" पद का वही अर्थ है जो इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 2 में है।]

(2) कोई व्यक्ति अनिवासी का अभिकर्ता तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी इस प्रकार माने जाने के अपने दायित्व के बारे में @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो।

[2][**164. जहां हिताधिकारियों का अंश अज्ञात हो वहां कर का प्रभारण**—(1) उपधारा (2) और (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां कोई ऐसी आय, जिसकी बाबत धारा 160 की उपधारा (1) के खंड (iii) और (iv) में वर्णित व्यक्ति प्रतिनिधि निर्धारितियों के रूप में दायी है, या उसका कोई भी भाग किसी एक व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए विनिर्दिष्टयता प्राप्य नहीं है, या जहां उन व्यक्तियों के, जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए ऐसी आय या उसका भाग प्राप्य है, अलग-अलग ओर से या जिनके फायदे के लिए ऐसी आय या उसका भाग प्राप्य है, अलग-अलग अंश अनवधारित या अज्ञात है (ऐसी आय के भाग और ऐसे व्यक्तियों को इसके पश्चात् इस धारा में क्रमश: "सुसंगत आय", "सुसंगत आय का भाग" और "हिताधिकारी" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), [3][वहां सुसंगत आय या सुसंगत आय के भाग पर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा] :

परन्तु जहां—

[4][(i) हिताधिकारियों में से किसी की भी इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसी अन्य आय नहीं है जो उस अधिकतम रकम से अधिक हो जो व्यक्तियों के संगम की दशा में कर से प्रभार्य नहीं है या हिताधिकारियों में से कोई किसी अन्य न्यास के अधीन हिताधिकारी नहीं है ; या]

(ii) सुसंगत आय या सुसंगत आय का भाग [3][किसी व्यक्ति द्वारा विल द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्रभार्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है]; या

(iii) सुसंगत आय या सुसंगत आय का भाग ऐसे न्यास के अधीन प्राप्य है जो किसी गैरवसीयती लिखत द्वारा 1970 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व सृष्ट हुआ और सुसंगत समय पर विद्यमान सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए @[निर्धारण अधिकारी] के नातेदारों के फायदे के लिए, या जहां व्यवस्थापक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है वहां अनन्यत: उस कुटुम्ब के सदस्यों

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 68 द्वारा (1-4-2004 से) अंत:स्थापित।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए।

[2] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 21 द्वारा (1-4-1971 से) प्रतिस्थापित।

[3] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) खंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

के फायदे के लिए, उन परिस्थितियों में सृष्ट किया गया जब से नातेदार या सदस्य अपनी संभाल और भारण-पोषण के लिए मुख्यत: व्यवस्थापक पर आश्रित थे; या

(iv) सुसंगत आय, कोई कारबार अथवा वृत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे कारबार अथवा वृत्ति में नियोजित व्यक्तियों के अनन्यत: फायदे के लिए सद्भावपूर्वक सृष्ट किसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी-निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या किसी अन्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्य है,

यहां वही कर [1][सुसंगत आय या सुसंगत आय के भाग पर इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा मानो वह] व्यक्तियों के किसी संगम की कुल आय हो :

[2][परन्तु यह और कि जहां कोई आय जिसकी बाबत धारा 160 की उपधारा (1) के खंड (4) में उल्लिखित व्यक्ति, प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में दायी है, कारबार के लाभ और अभिलाभ से मिलकर बनती है या जिसमें कारबार के लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां पूर्ववर्ती परन्तुक तभी लागू होगा जब ऐसे लाभ और अभिलाभ किसी व्यक्ति द्वारा उस पर संभाल और भरण-पोषण के लिए व्यक्ति किसी नातेदार के अनन्यत: फायदे के लिए विल द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है ।]

(2) उस सुसंगत आय की दशा में, जो ऐसी संपत्ति से व्युत्पन्न होती है जो संपूर्णत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन भारित है, [3][या जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (2क) में [4][या जो धारा 11 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट प्रकृति की है], कर सुसंगत आय के उस भाग पर जो धारा 11 के या धारा 12 के अधीन छूट प्राप्य नहीं है] इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा मानो सुसंगत आय, जो ऐसे छूट-प्राप्त नहीं है, व्यक्तियों के किसी संगम की आय हो :

[2][परन्तु उस दशा में जहां 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर धारा 11 या धारा 12 के अधीन ऐसी सम्पूर्ण सुसंगत आय या उसका कोई भाग छूट प्राप्त नहीं है, वहां सुसंगत आय पर या सुसंगत आय के भाग पर कर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा ।]

(3) [3][जहां सुसंगत आय ऐसी संपत्ति से व्युत्पन्न होती है जो केवल भागत: पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए न्यास के अधीन धारित है या धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (2क) में निर्दिष्ट और या तो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोज्य [4][सुसंगत या जो धारा 11 की उपधारा (4क) में निर्दिष्ट प्रकृति की है]] या (उसका कोई भाग) [5][किसी एक व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए विनिर्दिष्टतया प्राप्य नहीं है या इस प्रकार उपयोज्य आय में हिताधिकारियों के अलग-अलग अंश अनवधारित या अज्ञात हैं वहां सुसंगत आय पर प्रभार्य कर निम्नलिखित का योग होगा :—

(क) वह कर जो सुसंगत आय के उस भाग पर (उसमें से वह आय, यदि कोई हो, घटाकर जो धारा 11 के अधीन छूट-प्राप्त है) जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोज्य है, ऐसे प्रभार्य होगा, मानो वह भाग (या इस प्रकार घटाकर आया भाग) व्यक्तियों के किसी संगम की कुल आय हो तो, और

(ख) सुसंगत आय के उस भाग पर, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोज्य है और जो किसी एक व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए विनिर्दिष्टतया प्राप्य नहीं है या जिसकी बाबत हिताधिकारियों के अंश अनवधारित या अज्ञात हैं, अधिकतम मार्जिन दर से कर :]

परन्तु जहां—

[6][(i) सुसंगत आय के उस भाग के, जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोज्य नहीं है, हिताधिकारियों में से किसी की भी इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसी अन्य आय नहीं है जो उस अधिकतम रकम से अधिक हो जो व्यक्तियों के संगम की दशा में कर से प्रभार्य नहीं है या हिताधिकारियों में कोई किसी अन्य न्यास के अधीन हिताधिकारी नहीं है ; या]

(ii) सुसंगत आय [1][किसी व्यक्ति द्वारा विल द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ; या]

(iii) सुसंगत आय ऐसे न्यास के अधीन प्राप्य है जो किसी गैरवसीयती लिखत द्वारा 1970 के मार्च के प्रथम दिन के पूर्व सृष्ट किया गया, और सुसंगत समय पर विद्यमान सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए [@][निर्धारण अधिकारी] का समाधान हो जाता है कि जहां तक न्यास पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए नहीं है, वहां तक वह सद्भावपूर्वक अनन्यत: व्यवस्थापक के नातेदारों के फायदे के लिए या जहां व्यवस्थापक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है वहां अनन्यत: उस कुटुम्ब के

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा (1-4-1985 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 27 द्वारा (1-4-1973 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1983 के अधिनियम सं० 11 की धारा 37 द्वारा (1-4-1984 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) खंड (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

सदस्यों के फायदे के लिए उन परिस्थितियों में सृष्ट किया गया जब वे नातेदार या सदस्य अपनी संभाल और भरण-पोषण के लिए मुख्यत: व्यवस्थापक पर आश्रित थे,

वह कर [1][सुसंगत आय पर कर इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा मानो सुसंगत आय] (उस से वह आय यदि कोई हो, घटाकर जो धारा 11 के अधीन छूट-प्राप्त है) व्यक्तियों के किसी संगम की कुल आय हो :

[2][परन्तु यह और कि जहां सुसंगत आय कारबार के लाभ और अभिलाभ से मिलकर बनती है या जिसमें कारबार के लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है वहां पूर्ववर्ती परन्तुक तभी लागू होगा जब ऐसी आय किसी व्यक्ति द्वारा उस पर संभाल और भरण-पोषण के लिए आश्रित किसी नातेदार के अनन्यत: फायदे के लिए विल द्वारा घोषित न्यास के अधीन प्राप्य है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है :

परन्तु यह और भी कि उस दशा में जहां धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) या खंड (घ) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर धारा 11 या धारा 12 के अधीन ऐसी सम्पूर्ण सुसंगत आय या उसका कोई भाग छूट प्राप्त नहीं है वहां सुसंगत आय पर या सुसंगत आय के भाग पर कर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा ।]

[3][**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) ऐसी आय जिसकी बाबत धारा 160 की उपधारा (1) के खंड (3) और खंड (4) में वर्णित व्यक्ति प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में दायी है या उसके किसी भाग की बाबत यह समझा जाएगा कि वह एक व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए विनिर्दिष्टतया प्राप्त नहीं है, तब तक वह व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए ऐसी आय या उसका ऐसा भाग पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्य है, यथास्थिति, न्यायालय के आदेश या न्यास लिखत या वक्फ विलेख में अभिव्यक्त रूप से कथित है और ऐसे आदेश, लिखत या विलेख की तारीख को उस रूप में पहचाना जा सकता है ;

(ii) ऐसे व्यक्तियों के जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए ऐसी आय का उसका ऐसा भाग प्राप्त किया जाता है, अलग-अलग अंश अनवधारित या अज्ञात समझे जाएंगे जब तक कि उन व्यक्तियों के अलग-अलग अंश जिनके फायदे के लिए ऐसी आय या उसका ऐसा भाग प्राप्य है, यथास्थिति, न्यायालय के आदेश या न्यास लिखत या वक्फ विलेख में अभिव्यक्त रूप से कथित नहीं है और ऐसे आदेश लिखत या विलेख की तारीख को उस रूप में अभिनिश्चेय नहीं है ।

[4]* * * * *

[5][**164क. मौखिक न्यास की दशा में कर का प्रभारण**—जहां कोई न्यासी किसी मौखिक न्यास के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए कोई आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी आय पर कर का प्रभारण अधिकतम मार्जिन दर पर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

[6]* * * *

(ii) "मौखिक न्यास" का वही अर्थ है जो धारा 160 की उपधारा (2) में है ।]

165. मामले जिनमें न्यास की आय का भाग प्रभार्य हो—जहां किसी न्यास की आय का केवल एक भाग इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य है वहां न्यास से हिताधिकारी द्वारा प्राप्य आय का केवल उतना अनुपात जितना इस प्रकार प्रभार्य भाग का न्यास की संपूर्ण आय से है, उस भाग से व्युत्पन्न समझा जाएगा ।

घ—प्रतिनिर्धारिती-प्रकीर्ण उपबन्ध

166. प्रत्यक्ष निर्धारण या वसूली का वर्जित न होना—इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं की कोई बात न तो उस व्यक्ति का, जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उसे निर्दिष्ट आय प्राप्त है, प्रत्यक्ष निर्धारण और न ऐसी आय की बाबत संदेय कर की ऐसे व्यक्ति से वसूली ही निवारित करेगी ।

167. प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपाय—[@][निर्धारण अधिकारी] को, किसी प्रतिनिधि में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी प्रकार की सारी संपत्ति के विरुद्ध वैसे ही उपाय, जैसे कि उसे कोई कर संदत्त करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध होने, और अपने ही पूर्व और व्यापक रीति में प्राप्त होंगे चाहे मांग प्रतिनिधि निर्धारिती के विरुद्ध उठाई जाती है या सीधे हिताधिकारी के विरुद्ध ।

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1984 के अधिनियम सं० 21 की धारा 21 द्वारा (1-4-1985 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 27 द्वारा (1-4-1980 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 64 द्वारा स्पष्टीकरण 2 का (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[5] 1981 के अधिनियम सं० 16 की धारा 15 द्वारा (1-4-1981 से) अंत:स्थापित ।
[6] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 64 द्वारा (1-4-1989 से) खण्ड (i) का लोप किया गया ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1][**घघ—फर्म, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय]**

[1][**167क. फर्म की दशा में कर का प्रभारण**—(1) किसी ऐसी फर्म की दशा में जो फर्म के रूप में निर्धारणीय है, उसकी कुल आय पर कर [2][सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से] प्रभारित किया जाएगा ।]

[3][**167ख. जहां व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय के सदस्यों के अंश अज्ञात हैं वहां कर का प्रभारण, आदि**—(1) जहां किसी व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की (जो किसी कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से भिन्न है), संपूर्ण आय में या ऐसे संगम या निकाय की आय के किसी भाग में उनके अलग-अलग अंश अनवधारित या अज्ञात हैं, वहां संगम या निकाय की कुल आय पर कर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे संगम या निकाय के किसी सदस्य की कुल आय कर के लिए ऐसी दर पर प्रभार्य है, जो अधिकतम मार्जिन दर से उच्चतर है, वहां संगम या निकाय की कुल आय पर कर ऐसी उच्चतर दर पर प्रभार्य होगा ।

(2) जहां पूर्वोक्त किसी व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय के मामले में [जो उपधारा (1) के अधीन आने वाला मामला नहीं है],—

(i) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उसके किसी सदस्य की कुल आय (ऐसे संगम या निकाय से उसके अंश को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो उस सदस्य के मामले में सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसे संगम या निकाय की कुल आय पर कर अधिकतम मार्जिन दर से प्रभारित किया जाएगा ;

(ii) उसका कोई सदस्य ऐसी दर या दरों पर कर से प्रभार्य है या हैं, जो अधिकतम मार्जिन दर से उच्चतर है, वहां ऐसे संगम या निकाय की कुल आय के उस प्रभाग या उन पर कर प्रभारित किया जाएगा, जो, यथास्थिति, ऐसी उच्चतर दर या दरों पर ऐसे सदस्य या सदस्यों के अंश या अंशों से संबंधित है या हैं, और संगम या निकाय की कुल आय के अतिशेष पर अधिकतम मार्जिन दर से कर प्रभारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की कुल आय में या उसके किसी भाग में ऐसे संगम या निकाय के सदस्यों के अलग-अलग अंश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अनवधारित या अज्ञात है, यदि ऐसे अंश (ऐसी कुल आय या उसके किसी भाग के संबंध में) ऐसे संगम या निकाय की विरचना की तारीख को या उसके बाद किसी समय अनवधारित या अज्ञात है ।]

[4][**167ग. समापनाधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व**—सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी से किसी पूर्ववर्ष की किसी आय की बाबत या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान ऐसा अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी था, किसी आय की बाबत देय किसी कर की वसूली नहीं की जा सकती है वहां, उस मामले में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार था, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अवसूली को सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से कोई सकल उपेक्षा, अपकरण, किसी कर्तव्य का भंग नहीं माना जा सकता है, ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होगा ।]

[5][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है ।]

ङ—निष्पादक

168. निष्पादक—(1) इसके पश्चात् इसमें यथा उपबन्धित के अधीन, मृत व्यक्ति की संपदा की आय निष्पादक के पास इस प्रकार कर से प्रभार्य होगी कि—

(क) यदि केवल एक निष्पादक है तो मानो वह निष्पादक एक व्यष्टि है,

(ख) यदि एक से अधिक निष्पादक हैं तो मानो वे निष्पादक व्यक्तियों का संगम है, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निष्पादक को उसी तरह निवासी या अनिवासी समझा जाएगा जिस तरह कि मृत व्यक्ति उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी, निवासी या अनिवासी था ।

(2) इस धारा के अधीन निष्पादक का निर्धारण उस किसी निर्धारण से पृथक् रूप में किया जाएगा जो उसकी अपनी आय के बारे में उस पर किया जाए ।

---

[1] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 27 द्वारा (1-4-1989 से) धारा 167क का लोप किया गया परन्तु 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 64 द्वारा (1-4-1993 से) उप-शीर्ष तथा धारा 167क अन्त:स्थापित ।

[2] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 44 द्वारा (1-4-1998 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 28 द्वारा धारा 167ख (1-4-1989 से) अन्त:स्थापित ।

[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 59 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 44 द्वारा अंत:स्थापित ।

(3) हर संपूरित पूर्ववर्ष या उसके भाग की, जो मृत्यु की तारीख से लेकर हिताधिकारियों के पृथक्-पृथक् हितों के अनुसार संपदा के उनको पूर्ण वितरण की तारीख तक की कालावधि के अंतर्गत है, कुल आय पर इस धारा के अधीन पृथक् निर्धारण किए जाएंगे ।

(4) इस धारा के अधीन किसी पूर्ववर्ष की कुल आय संगणित करने में, उस पूर्ववर्ष की संपदा की कोई आय अपवर्जित कर दी जाएगी जो कि उस पूर्ववर्ष के दौरान संपदा के किसी विनिर्दिष्ट वसीयतदार को वितरित की गई है या उसके फायदे के लिए प्रयुक्त की गई है ; किन्तु इस प्रकार अपवर्जित आय ऐसे विनिर्दिष्ट वसीयतदार की पूर्ववर्ष की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "निष्पादक" के अंतर्गत प्रशासक या अन्य व्यक्ति भी है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का प्रशासन करता है ।

169. निष्पादक का संदत्त कर को वसूल करने का अधिकार—धारा 162 के उपबंध निष्पादक की दशा में, उसके द्वारा संदत्त या संदेय कर की बाबत यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे प्रतिनिधि निर्धारिती की दशा में लागू होते हैं ।

च—कारबार या वृत्ति का उत्तराधिकार

170. मृत्यु पर से अन्यथा कारबार का उत्तराधिकार—(1) जहां किसी व्यक्ति का, (ऐसा व्यक्ति इसके पश्चात् इस धारा में पूर्वाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) जो कोई कारबार या वृत्ति चलाता है, उसमें उत्तराधिकार ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा (जो उसके पश्चात् इस धारा में उत्तराधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) ग्रहण किया जाता है जो उस कारबार या वृत्ति को चलाता रहता है, वहां—

(क) पूर्वाधिकारी, पूर्ववर्ष की, जिसमें उत्तराधिकार हुआ है, उत्तराधिकार की तारीख तक की आय की बाबत निर्धारित किया जाएगा,

(ख) उत्तराधिकारी, पूर्ववर्ष की उत्तराधिकार की तारीख के पश्चात् की आय की बाबत निर्धारित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए यह है कि जब पूर्वाधिकारी नहीं पाया जा सकता तब पूर्ववर्ष को, जिसमें उत्तराधिकार हुआ, उत्तराधिकार की तारीख तक हो और उस वर्ष की पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष की आय का निर्धारण उत्तराधिकारी पर उसी रीति में और उसी परिमाण तक किया जाएगा जिसमें और जिस तक कि वह पूर्वाधिकारी पर किया जाता है और इस अधिनियम के सब उपबंध यावत्शक्य, तदनुसार लागू होंगे ।

(3) जब ऐसे पूर्ववर्ष के लिए जिसमें उत्तराधिकार हुआ, उत्तराधिकार की तारीख तक या उस वर्ष के पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष के लिए ऐसे कारबार या वृत्ति की आय की बाबत इस धारा के अधीन संदेय कोई राशि, जो पूर्वाधिकारी पर निर्धारित है, उससे वसूल नहीं की जा सकती तब @[निर्धारण अधिकारी] उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और पूर्वाधिकारी द्वारा संदेय राशि तत्पश्चात् उत्तराधिकारी द्वारा संदेय और उससे वसूलीय होगी और उत्तराधिकारी इस प्रकार संदत्त किसी राशि को पूर्वाधिकारी से वसूल करने का हकदार होगा ।

(4) जहां हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा चलाया जा रहा कोई कारबार या वृत्ति उत्तराधिकार में जाती है और उत्तराधिकार के साथ ही या उत्तराधिकार के पश्चात् सदस्यों या सदस्यों के समूह में अविभक्त कुटुम्ब संपत्ति का विभाजन हुआ है, वहां उत्तराधिकार में गए कारबार या वृत्ति की उत्तराधिकार की तारीख तक की आय की बाबत देय कर, धारा 171 में उपबंधित रीति में, किन्तु इस धारा के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारित और वसूल किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आय" के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिलाभ भी है जो उत्तराधिकार के फलस्वरूप कारबार या वृत्ति के किसी भी रीति में, अन्तरण से प्रोद्भूत होता है ।

छ—विभाजन

171. हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन के पश्चात् निर्धारण—(1) अविभक्त रूप में अब तक निर्धारित हिन्दू कुटुम्ब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस दशा के और वहां तक के सिवाय हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब बना रहा समझा जाएगा जिस दशा में और जहां तक उस हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की बाबत इस धारा के अधीन विभाजन का निष्कर्ष दिया गया हो ।

(2) जहां धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण करते समय, अविभक्त रूप में निर्धारित हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के किसी सदस्य के द्वारा या उसकी ओर से यह दावा किया जाता है कि ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के बीच, चाहे पूर्ण या आंशिक, विभाजन हो चुका है, वहां @[निर्धारण अधिकारी] उसकी जांच कुटुम्ब के सब सदस्यों को जांच की सूचना देने के पश्चात् करेगा ।

(3) जांच के पूरे होने पर @[निर्धारण अधिकारी] इस संबंध में निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति का पूर्ण या आंशिक विभाजन हुआ है और यदि ऐसा विभाजन हुआ है तो वह किस तारीख को हुआ है ।

(4) जहां इस धारा के अधीन @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा पूर्ण या आंशिक विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है और विभाजन पूर्ववर्ष के दौरान हुआ हो,—

(क) विभाजन की तारीख तक की कालावधि की बाबत अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय इस प्रकार निर्धारित की जाएगी मानो कोई विभाजन न हुआ हो, और

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

(ख) हर एक सदस्य या सदस्यों या समूह ऐसे किसी कर के अतिरिक्त जिसका वह पृथक् रूप से दायी हो और धारा 10 के खण्ड (2) में किसी बात के होने पर भी, ऐसे निर्धारित आय पर कर का संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होगा ।

(5) जहां इस धारा के अधीन @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा पूर्ण या आंशिक विभाजन का निष्कर्ष अभिलिखित किया गया है और विभाजन पूर्ववर्ष की समाप्ति के पश्चात् हुआ है, वहां अविभक्त कुटुम्ब की पूर्ववर्ष की कुल आय इस प्रकार निर्धारित की जाएगी मानो कोई विभाजन नहीं हुआ हो ; और उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंध इस मामले को यावत्शक्य लागू होंगे ।

(6) इस धारा में किसी बात के होने पर भी यदि @[निर्धारण अधिकारी] को हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का निर्धारण पूरा हो जाने के पश्चात् पता चलता है कि वह कुटुम्ब चाहे पूर्ण या आंशिक विभाजन पहले की कर चुका है तो @[निर्धारण अधिकारी] ऐसे हर व्यक्ति से कर वसूल करने की कार्रवाई करेगा जो विभाजन के पूर्व उस कुटुम्ब का सदस्य था और ऐसा हर व्यक्ति निर्धारित आय पर कर का संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी सदस्य या सदस्यों के समूह के तद्धीन पृथक्-पृथक् दायित्व की संगणना, अविभक्त कुटुम्ब की संपत्ति के उस अनुपात के अनुसार की जाएगी जो उसे चाहे पूर्ण या आंशिक विभाजन पर आबंटित किया गया हो ।

(8) इस धारा के उपबंध हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के चाहे पूर्ण या आंशिक विभाजन की तारीख तक की, किसी कालावधि की बाबत किसी शास्ति, ब्याज, जुर्माने या अन्य राशि के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में यावत्शक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसी किसी कालावधि की बाबत कर के उद्ग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

[1][(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां आंशिक विभाजन ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के, जो अभी तक अविभक्त के रूप में निर्धारित या सदस्यों में 31 दिसम्बर, 1978 के पश्चात् हुआ है, वहां—

(क) उपधारा (2) के अधीन इस दावे पर विचार नहीं किया जाएगा कि ऐसा आंशिक विभाजन हुआ है और उपधारा (3) के अधीन यह निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जाएगा कि ऐसा आंशिक विभाजन हुआ है और उपधारा (3) के अधीन इस प्रभाव का अभिलिखित निष्कर्ष, चाहे वह 18 जून, 1980 के पहले हो या बाद में जो वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1980 के पुरःस्थापन की तारीख है, शून्य और बातिल होगा ;

(ख) ऐसा कुटुम्ब इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा मानो ऐसा आंशिक विभाजन न हुआ हो ;

(ग) ऐसे आंशिक विभाजन के ठीक पहले ऐसे कुटुम्ब का प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह और वह कुटुम्ब इस अधिनियम के अधीन उस कुटुम्ब द्वारा ऐसे आंशिक विभाजन के पहले या बाद की किसी अवधि के लिए संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज, जुर्माने या अन्य राशि के लिए सम्यक्तः और पृथक्तः दायी होगा ;

(घ) पूर्वोक्त किसी सदस्य या सदस्यों के समूह का पृथक् दायित्व, ऐसे आंशिक विभाजन पर, उसको आबंटित संयुक्त कुटुम्ब की संपत्ति के भाग के अनुसार संगणित किया जाएगा,

और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "विभाजन" से तात्पर्य,—

(i) जहां सम्पत्ति का भौतिक विभाजन हो सकता है वहां संपत्ति का भौतिक विभाजन अभिप्रेत है किन्तु आय का भौतिक विभाजन उस आय की उत्पन्न करने वाली संपत्ति के भौतिक विभाजन के बिना विभाजन नहीं समझा जाएगा, या

(ii) जहां संपत्ति का भौतिक विभाजन नहीं हो सकता है वहां ऐसा विभाजन अभिप्रेत है जैसा कि उस संपत्ति का हो सकता है, किन्तु केवल प्रास्थिति के विच्छेद को विभाजन नहीं समझा जाएगा ;

(ख) आंशिक विभाजन से ऐसा विभाजन अभिप्रेत है जो हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब गठित करने वाले व्यक्तियों के या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की संपत्तियों के या दोनों के संबंध में आंशिक है ।

ज—यदाकदा किए जाने वाले पोत परिवहन कारबार से अनिवासियों के लाभ

172. अनिवासियों का पोत परिवहन कारबार—(1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबंध किसी अनिवासी के, या उस द्वारा पोत भाड़े पर लिए गए, किसी ऐसे पोत की दशा में जो भारत के किसी पत्तन पर पोत में लिए गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल का वहन करता है कर के उद्ग्रहण और वूसली के प्रयोजन के लिए लागू होंगे [2]***

---

[1] 1980 के अधिनियम सं० 44 की धारा 28 द्वारा (1-4-1980 से) अंतःस्थापित ।

[2] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 19 द्वारा "जब तक आय-कर अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता कि अनिवासी का कोई अभिकर्ता है जिससे कर अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन वसूलीय होगा" शब्दों का (1-6-1975 से) लोप किया गया ।

(2) जहां ऐसा पोत भारत के किसी पत्तन पर पोत में लिए गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल का वहन करता है, वहां स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाले को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे वहन की बाबत संदत्त रकम का [1][साढ़े सात प्रतिशत] चाहे वह रकम भारत में या भारत के बाहर संदत्त या संदेय है, ऐसे वहन की बाबत स्वामी या चार्टर पर लेने वाले को भारत में प्रोद्भूत होने वाली आय समझा जाएगा ।

(3) ऐसे किसी पोत के भारत के किसी पत्तन से प्रस्थान के पूर्व, पोत का मास्टर उस पत्तन पर पोत के अन्तिम आगमन से पोत में लिए गए सब यात्रियों, पशुधन, डाक या माल के वहन की बाबत स्वामी या पोत भाड़े पर लेने वाले या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को संदत्त या संदेय पूरी रकम की विवरणी तैयार करेगा और [@][निर्धारण अधिकारी] को देगा :

परन्तु जहां [@][निर्धारण अधिकारी] का समाधान हो जाता है कि पोत के मास्टर के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस उपधारा द्वारा अपेक्षित विवरणी, पत्तन के पोत के प्रस्थान के पूर्व दे और परंतु तब जब कि पोत के मास्टर ने अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवरणी दाखिल करने और कर का संदाय करने के लिए समाधानप्रद इन्तजाम कर दिए हैं [@][निर्धारण अधिकारी] उस दशा में जिसमें विवरणी पोत के प्रस्थान के तीस दिन के अन्दर दाखिल कर दी जाती है, मास्टर द्वारा वैसे प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विवरणी के दाखिल किए जाने को इस उपधारा का पर्याप्त अनुपालन मान सकेगा ।

(4) विवरणी की प्राप्ति पर [@][निर्धारण अधिकारी] उपधारा (2) में निर्दिष्ट आय निर्धारित करेगा और उस पर कर के रूप में संदेय राशि का अवधारण ऐसी कंपनी को, जिसने धारा 194 में निर्दिष्ट इंतजाम नहीं किए हैं कुल आय-कर लागू [2][प्रवृत्त दर या दरों] पर करेगा और ऐसी राशि पोत के मास्टर द्वारा संदेय होगी ।

[3][(4क) आय का निर्धारण करने वाला और उस पर संदेय कर की राशि का अवधारण करने वाला कोई भी आदेश उपधारा (4) के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अंत से नौ मास की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसमें उपधारा (3) के अधीन विवरणी दी जाती है :

परंतु जहां उपधारा (3) के अधीन विवरणी 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व दी गई है, वहां ऐसा आदेश 31 दिसंबर, 2008 को या उसके पूर्व किया जाएगा ।]

(5) उपधारा (4) के अधीन संदेय कर अवधारित करने के प्रयोजन के लिए [@][निर्धारण अधिकारी] ऐसे लेखे या दस्तावेज मांग सकेगा जिनकी उसको अपेक्षा हो ।

(6) पोत को पत्तन-निकासी पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि सीमाशुल्क कलक्टर का या उसे देने के लिए सम्यक्त: प्राधिकृत अन्य अधिकारी का समाधान नहीं हो जाता है कि इस धारा के अधीन प्रभार्य कर सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया है या उसके संदाय के लिए समाधानप्रद इंतजाम कर दिए गए हैं ।

(7) इस धारा की कोई बात, पोत के स्वामी या पोत भाड़े पर लेने की, उस पूर्ववर्ष जिसमें भारतीय पत्तन से पोत के प्रस्थान की तारीख पड़ती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व, या दावा करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी कि उसकी पूर्ववर्ष की कुल आय का निर्धारण किया जाए और उसके आधार पर संदेय कर का अवधारण इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार किया जाए और यदि वह वैसा दावा करता है तो पूर्ववर्ष के दौरान भारतीय पत्तनों पर पोत में लिए गए यात्रियों, पशुधन, डाक या माल की बाबत इस धारा के अधीन किया गया कोई संदाय उस निर्धारण वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय कर के अग्रिम संदाय के रूप में समझा जाएगा और ऐसे संदत्त राशि और ऐसे निर्धारण पर उसके द्वारा संदेय पाए गए कर की रकम का अंतर, यथास्थिति, उसके द्वारा संदत्त या उसको प्रतिदत्त किया जाएगा ।

[4][(8) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम में डेमरेज प्रभार या उठाई-धराई प्रभार या उसी प्रकार की किसी अन्य रकम के रूप में संदत्त या संदेय रकम सम्मिलित होगी ।]

झ—अनिवासियों की बाबत कर की वसूली

173. अनिवासी की बाबत कर की उसकी आस्तियों में से वसूली—धारा 161 की उपधारा (1) के या धारा 167 के उपबंधों पर प्रतिकूल डाले बिना यह है कि जहां धारा 9 की उपधारा (1) में खंड (i) में निर्दिष्ट आय का हकदार व्यक्ति अनिवासी है, वहां उस पर प्रभार्य कर चाहे उसके नाम में या उसके अभिकर्ता के नाम में जो कि प्रतिनिधि निर्धारिती के रूप में दायित्व के अधीन है, अध्याय 17ख के उपबंधों में से किसी के अधीन कटौती द्वारा वसूल किया जा सकेगा और कर के कोई बकाया भी अनिवासी की किन्हीं आस्तियों से, जो भारत के अन्दर है या किसी समय आए, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जा सकेंगे ।

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 19 द्वारा (1-6-1975 से) "छठा भाग" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 29 द्वारा (1-4-1967 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।

ञ—भारत छोड़ने वाला व्यक्ति

174. भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण—(1) धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जब @[निर्धारण अधिकारी] को यह प्रतीत होता है कि कोई व्यष्टि चालू निर्धारण वर्ष के दौरान या उसकी समाप्ति के शीघ्र पश्चात् भारत छोड़कर जा सकता है और भारत लौटने का उसका उस समय कोई आशय नहीं है तब उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष की समाप्ति से लेकर भारत से उसके प्रस्थान की अधिसंभाव्य तारीख तक की कालावधि के लिए ऐसे व्यक्ति की कुल आय उस निर्धारण वर्ष में कर से प्रभार्य होगी ।

(2) ऐसी कालावधि में सम्मिलित हर संपूरित पूर्ववर्ष या किसी पूर्ववर्ष के भाग की कुल आय उस निर्धारण वर्ष में प्रवृत्त दर या दरों पर कर से प्रभार्य होगी और ऐसे हर संपूरित पूर्ववर्ष या किसी पूर्ववर्ष के भाग की बाबत पृथक् निर्धारण किया जाएगा ।

(3) @[निर्धारण अधिकारी] ऐसी कालावधि या उसके किसी भाग के लिए ऐसे व्यष्टि की आय ऐसी दशा में प्राक्कलित कर सकेगा जिसमें वह इस अधिनियम में उपबंधित रीति में सुगमता से अवधारित नहीं की जा सकती ।

(4) उपधारा (1) के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए @[निर्धारण अधिकारी] ऐसे व्यष्टि पर सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह सात दिन से कम न होने वाले इतने समय के भीतर जितना सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि में समाविष्ट हर संपूरित पूर्ववर्ष की अपनी कुल आय और उस कालावधि में समाविष्ट पूर्ववर्ष के किसी भाग की अपनी प्राक्कलित कुल आय को उपवर्णित करते हुए उसी प्ररूप में और उसी रीति में सत्यापित विवरणी [1][जिसमें धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन विवरणी होती है] और इस अधिनियम के उपबंध यावत्शक्य और इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे लागू होंगे मानो वह सूचना [2][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन जारी की गई सूचना] हो ।

(5) इस धारा के अधीन प्रभार्य कर, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्रभार्य कर के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं, वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी कर की बाबत [2][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148 के अधीन] @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा दी गई किसी सूचना में ऐसे व्यष्टि से, यथास्थिति, [3][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148] में किसी बात के होते हुए भी, यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह सात दिन से कम न होने वाली इतनी कालावधि के अन्दर विवरणी दे जितनी कि @[निर्धारण अधिकारी] उचित समझे ।

[3][ञक—किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाया गया व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति

174क. किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण—धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए या स्थापित या निगमित व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति के, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें ऐसा व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, बनाया गया, स्थापित या निगमित किया गया था या ऐसे निर्धारण वर्ष के ठीक पश्चात् विघटित होने की संभावना है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से उसके विघटन की तारीख तक की अवधि के लिए, ऐसे संगम या निकाय या विधिक व्यक्ति की कुल आय, उस निर्धारण वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी और धारा 174 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे व्यक्ति के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते है ।]

ट—अपनी आस्तियों को अन्यसंक्रांत करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति

175. ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति का अंतरित किया जाना संभाव्य है—धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी चालू निर्धारण वर्ष के दौरान @[निर्धारण अधिकारी] को यह प्रतीत होता है, कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी दायित्व के संदाय से बचने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के अपनी आस्तियों में से किसी को प्रभारित करने, विक्रीत करने, अन्तरित करने, व्ययनित करने या अन्यथा विलग करने की सम्भाव्यता है, तो उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष की समाप्ति से उस तारीख तक की कालावधि के लिए @[निर्धारण अधिकारी] इस धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ करता है, ऐसे व्यक्ति की कुल आय उस निर्धारण वर्ष में कर से प्रभार्य होगी और धारा 174 की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में किसी कार्यवाही में यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।

ठ—कारबार का बन्द कर दिया जाना या विघटन

176. बन्द कर दिया गया कारबार—(1) धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी कारबार या वृत्ति को किसी निर्धारण वर्ष में बन्द कर दिया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष की समाप्ति से ऐसे बन्द कर दिए जाने की तारीख तक की कालावधि की @[निर्धारण अधिकारी] के विवेकानुसार उस निर्धारण वर्ष में कर से प्रभारित की जा सकेगी ।

---

[1] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा प्रतिस्थापित

[2] 1988 के अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित ।

(2) ऐसी कालावधि के अन्तर्गत हर संपूरित पूर्ववर्ष या किसी पूर्ववर्ष के भाग की कुल आय उस निर्धारण वर्ष में प्रवृत्त दर या दरों पर कर से प्रभार्य होगी, और ऐसे हर संपूरित पूर्ववर्ष या किसी पूर्ववर्ष के भाग की बाबत पृथक्-पृथक् निर्धारण किए जाएंगे ।

(3) किसी कारबार या वृत्ति को बन्द करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे बन्द कर दिए जाने की सूचना ऐसा करने के पन्द्रह दिन के अन्दर @[निर्धारण अधिकारी] को देगा ।

[1][(3क) जहां कोई कारबार किसी वर्ष में बन्द कर दिया जाता है वहां ऐसे बन्द किए जाने के पश्चात् प्राप्त हुई राशि प्राप्तिकर्ता की आय समझी जाएगी और यदि ऐसे बन्द किए जाने के पूर्व प्राप्त होने पर ऐसी राशि उस व्यक्ति की जो कारबार चलाता था, कुल आय में सम्मिलित की जाती तो वह तद्नुसार प्राप्ति के वर्ष में कर से प्रभारित की जाएगी ।]

(4) जहां वृत्ति चलाने वाले व्यक्ति द्वारा समाप्त कर देने या उसकी निवृत्ति या मृत्यु के कारण कोई वृत्ति किसी वर्ष में बन्द कर दी जाती है वहां बन्द कर देने के पश्चात् प्राप्त कोई राशि प्राप्तिकर्ता की आय समझी जाएगी और यदि ऐसे बन्द किए जाने से पूर्व प्राप्त होने पर वह राशि पूर्वोक्त व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जाती है तो वह तद्नुसार प्राप्ति के वर्ष में कर से प्रभारित की जाएगी ।

(5) जहां निर्धारण इस धारा के उपबंधों के अधीन किया जाता है, वहां @[निर्धारण अधिकारी] उस व्यक्ति पर जिसकी आय निर्धारित की जानी है, या फर्म की दशा में, ऐसे किसी व्यक्ति पर जो उस फर्म के बन्द किए जाने के समय उसका भागीदार था या कंपनी की दशा में उसके प्रधान अधिकारी पर, ऐसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें ऐसी सब या कोई अपेक्षाएं अन्तर्विष्ट होंगी जो [2][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन] सूचना के अन्तर्गत हो सकती है और इस अधिनियम के उपबंध तद्नुसार यावत्शक्य ऐसे लागू होंगे मानो वह सूचना [2][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के अधीन] जारी की गई सूचना हो ।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार्य कर, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन प्रभार्य कर के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के उपबंध लागू हैं वहां इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी कर की बाबत [3][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148] के अधीन @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा दी गई किसी सूचना में, यथास्थिति, [3][धारा 142 की उपधारा (1) के खण्ड (i) या धारा 148] में किसी बात के होने पर भी, उस व्यक्ति से, जिसको पूर्वोक्त सूचनाएं दी गई हैं यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह सात दिन से कम न होने वाली इतनी कालावधि के अन्दर विवरणी दे जिनती @[निर्धारण अधिकारी] उचित समझे ।

177. विघटित संगम या बन्द कर दिया गया कारबार—(1) जहां व्यक्तियों के संगम द्वारा चलाए गए किसी कारबार या वृत्ति को बन्द कर दिया गया है या जहां व्यक्तियों का संगम विघटित कर दिया जाता है वहां @[निर्धारण अधिकारी] व्यक्तियों के संगम की कुल आय का निर्धारण इस प्रकार करेगा मानो ऐसे कोई बन्द किया जाना या विघटन हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सब उपबंध, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन प्रभार्य शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण संबंधी उपबंध भी हैं, ऐसे निर्धारण को यावत्शक्य लागू होंगे ।

(2) पूर्वगामी उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि व्यक्तियों के किसी ऐसे संगम की बाबत जो उस उपधारा में निर्दिष्ट किया गया है इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में @[निर्धारण अधिकारी] या [4]*** [आयुक्त (अपील)] का समाधान हो जाता है कि वह व्यक्तियों का संगम अध्याय 21 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी का दोषी था तो वह उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या अधिरोपित करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) हर व्यक्ति, जो ऐसे बन्द किए जाने या विघटन के समय व्यक्तियों के संगम का सदस्य था और ऐसे उस किसी व्यक्ति का, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, विधिक प्रतिनिधि, कर की रकम, शास्ति या अन्य संदेय राशि के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: देनदार होगा और इस अधिनियम के सब उपबंध किसी ऐसे निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण को यावत्शक्य लागू होंगे ।

(4) जहां ऐसे बन्द किया जाना या विघटन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी कार्यवाही के आरम्भ होने के पश्चात् होता है वहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर ऐसे बन्द होने या विघटन के समय वह कार्यवाही थी और इस अधिनियम के सब उपबंध यावत्शक्य तद्नुसार लागू होंगे ।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 159 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

178. समापनाधीन कंपनी—(1) हर व्यक्ति—

---

[1] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 49 द्वारा (1-4-1976 से) अंत:स्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 139 की उपधारा (2) के अधीन" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 126 द्वारा (1-4-1989 से) "धारा 139 की उपधारा (2) या धारा 148 की उपधारा (1)" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा (1-10-1998 से) लोप किया गया ।

(क) जो किसी ऐसी कंपनी का समापक है जिसका चाहे न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्यथा परिसमापन किया जा रहा है, या

(ख) जो किसी कंपनी की किन्हीं आस्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है,

(जो इसके पश्चात् इसमें समापक के रूप में निर्दिष्ट है) ऐसा समापक होने के तीस दिन के अन्दर ऐसे @[निर्धारण अधिकारी] को, जो कंपनी की आय का निर्धारण करने का हकदार है, इस रूप में अपनी नियुक्ति की सूचना देगा ।

(2) @[निर्धारण अधिकारी] ऐसी जांच करने या ऐसी जानकारी मांगने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे उस तारीख से, जिसको वह समापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, तीन मास के अन्दर समापक को वह रकम अधिसूचित करेगा जो @[निर्धारण अधिकारी] की राय में ऐसे किसी कर के लिए उपबंध करने के लिए पर्याप्त होगी, जो कंपनी द्वारा उस समय संदेय है या जिसका तत्पश्चात् संदेय होना सम्भाव्य है ।

[1][(3) समापक—

(क) कंपनी की आस्तियों या अपने पास की सम्पत्तियों में से किसी को @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] की मंजूरी के बिना तब तक विलग नहीं करेगा जब तक कि उसे उपधारा (2) के अधीन @[निर्धारण अधिकारी] द्वारा अधिसूचित न कर दिया गया हो ; और

(ख) ऐसे अधिसूचित किए जाने पर, अधिसूचित रकम के बराबर रकम अलग रख देगा और कंपनी की आस्तियों या अपने पास की सम्पत्तियों में से किसी को तब तक विलग नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी रकम को ऐसे अलग नहीं रख देता :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट, कोई बात कंपनी द्वारा संदेय कर के संदाय के प्रयोजन के लिए या ऐसे प्रतिभूत लेनदारों को, जिसके ऋण समापन की तारीख को सरकार को देय ऋणों से संदाय की पूर्तिकर्ता के लिए विधि के अधीन हकदार है, कोई संदाय करने के लिए या कंपनी के परिसमापन के ऐसे खर्चों और व्ययों को, जैसे @[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] की राय में युक्तियुक्त है, पूरा करने के लिए ऐसी आस्तियों या सम्पत्तियों को विलग करने से समापक को विवर्जित नहीं करेगा ।]

(4) यदि समापक उपधारा (1) के अनुसार सूचना देने में असफल रहता है, या उपधारा (3) में यथा अपेक्षित रकम अलग रखने में असफल रहता है या कंपनी की आस्तियों या अपने पास की सम्पत्तियों में से किसी को उस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में विलग करता है तो वह उस कर के संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जिसके संदाय के लिए कंपनी दायी हो :

परन्तु यदि कंपनी द्वारा संदेय किसी कर की रकम उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित की गई है तो इस धारा के अधीन समापक वैयक्तिक दायित्व ऐसी रकम तक ही होगा ।]

(5) जहां एक से अधिक समापक है वहां इस धारा के अधीन समापक से संलग्न बाध्यताएं और दायित्व संयुक्ततः और पृथक्तः सब समापकों से संलग्न होंगे ।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी इस धारा के उपबंध प्रभावी होंगे ।

[2][ङ—प्राइवेट कंपनियां]

179. समापनाधीन प्राइवेट कंपनी के निदेशकों का दायित्व—[3][(1)] [4][कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किसी प्राइवेट कंपनी से, अथवा किसी ऐसे पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किसी प्राइवेट कंपनी से, अथवा किसी ऐसे पूर्ववर्ष की आय के संबंध में किसी अन्य कंपनी से, जिसके दौरान ऐसी अन्य कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, प्राप्य किसी कर की] वसूली नहीं की जा सकती तब ऐसा हर व्यक्ति जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय उस प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होगा जब तब कि वह यह साबित नहीं कर देता कि ऐसी गैर वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी ओर से हुई घोर उपेक्षा, अपकरण या कर्तव्य भंग के फलस्वरूप हुई मानी जा सकती है ।

[5][(2) यदि किसी प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी के रूप में संपरिवर्तन किया जाता है और किसी ऐसी पूर्व आय के संबंध में जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, निर्धारित कर की वसूली नहीं की जा सकती तो उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का निदेशक था 1962 के अप्रैल के प्रथम दिन से पूर्व प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय ऐसी प्राइवेट कंपनी की किसी आय के संबंध में देय किसी कर के बारे में लागू नहीं होगी ।]

[6][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि भी है ।]

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 41 द्वारा (1-4-1965 से) प्रतिस्थापित ।

@ संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[2] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 50 द्वारा (1-10-1975 से) "ङ—समापनाधीन प्राइवेट कंपनी" उपशीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 50 द्वारा (1-10-1975 से) धारा 179 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[4] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 50 द्वारा (1-10-1975 से) प्रतिस्थापित ।

[5] 1975 के अधिनियम सं० 41 की धारा 50 द्वारा (1-10-1975 से) अंतःस्थापित ।

[6] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 45 द्वारा अंतःस्थापित ।

ढ—कुछ प्रकारों की आय के लिए विशेष उपबन्ध

180. साहित्यिक या कलात्मक कृति के लिए स्वामिस्व या प्रतिलिप्याधिकार फीसें—जहां किसी साहित्याकार कृति के रचयिता द्वारा उसके सृजन में लगाया गया समय बारह मास से अधिक है वहां उस कृति के प्रतिलिप्यधिकार में उसके हितों में से किसी के या उस कृत्ति की बाबत स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार फीसों के समनुदेशन या अनुदान के लिए किसी एकमुश्त प्रतिफल की बाबत किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम का आबंटन, यदि वह ऐसा दावा करता है तो निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में और ऐसी कालावधि के लिए किया जाएगा जैसी विहित की जाए ।

[1][परंतु इस धारा की कोई बात, 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के संबंध में लागू नहीं होगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "रचयिता" पद के अन्तर्गत संयुक्त रचयिता भी है और स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार फीसों के संबंध में "एकमुश्त राशि" पदावलि के अन्तर्गत स्वामिस्वों या प्रतिलिप्यधिकार फीसों की बाबत ऐसा अग्रिम संदाय भी है जो वापसी योग्य नहीं है ।

[2][**180क. व्यवहार ज्ञान के लिए प्रतिफल**—जहां किसी व्यष्टि द्वारा, जो भारत का निवासी है, व्यवहार ज्ञान विकसित करने के लिए लिया गया समय बारह मास से अधिक है वहां वह यह निर्वाचन कर सकता है कि ऐसे व्यवहार ज्ञान के उपयोग को अनुज्ञात करने के लिए [3][1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या पूर्वानिर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान] उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की एकमुश्त राशि को सकल रकम के बारे में उस वर्ष और उसके ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए आय-कर प्रभारित किए जाने के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि उस राशि का एक तिहाई उन वर्षों में से प्रत्येक के लिए कर से प्रभार्य उसकी आय में सम्मिलित किया गया है और यदि वह ऐसा निर्वाचन करता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसी सकल रकम उसी प्रकार मानी जाएगी ; और

(ख) दो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए निर्धारण में, यदि किया गया है, तो तद्नुसार धारा 154 के अधीन सुधार किया जाएगा, उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्ष की कालावधि की गणना उस वित्तीय वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे व्यष्टि द्वारा रकम प्राप्त की गई थी या प्राप्त थी, संबंधित निर्धारण किया जाता है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यवहार ज्ञान" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो धारा 35कख में है ।]

[4]* * * * *

अध्याय 16

फर्मों को लागू विशेष उपबंध

क—फर्मों का निर्धारण

[5]* * * * *

ख—फर्मों का रजिस्ट्रीकरण

[6][**184. फर्मों के रूप में निर्धारण**—(1) फर्म का इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी फर्म के रूप में निर्धारण किया जाएगा, यदि—

(i) भागीदारी किसी लिखत द्वारा साक्ष्यित है ; और

(ii) भागीदार के व्यक्तिगत अंश उस लिखत में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट भागीदारी लिखत की एक प्रमाणित प्रति, 1 अप्रैल, 1993 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत उस पूर्ववर्ष की, जिसकी बाबत किसी फर्म के रूप में निर्धारण पहली बार चाहा गया है, फर्म की आय की विवरणी के साथ होगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भागीदारी लिखत की प्रति, सभी भागीदारों द्वारा (जो अवयस्क नहीं है) या जहां विवरणी फर्म के विघटन के पश्चात् दी जाती है वहां ऐसे सभी व्यक्तियों द्वारा (जो अवयस्क नहीं है) जो फर्म के विघटन के ठीक

---

[1] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 67 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1985 के अधिनियम सं० 32 की धारा 31 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 27 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 36 द्वारा लोप किया गया ।
[5] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (1-4-1993 से) धारा 182 और 183 का लोप किया गया ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 66 द्वारा प्रतिस्थापित ।

पूर्व उसमें भागीदार थे और किसी ऐसे भागीदार के, जिसकी मृत्यु हो जाती है, विधिक प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की जाएगी ।

(3) जहां किसी फर्म का किसी निर्धारण वर्ष के लिए उस हैसियत में निर्धारण किया जाता है वहां उसका निर्धारण प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए उसी हैसियत में किया जाएगा, यदि ऐसी भागीदारी लिखत द्वारा साक्ष्यित जिसके आधार पर फर्म के रूप में निर्धारण पहली बार चाहा गया था, फर्म के गठन या भागीदारों के अंशों में कोई तब्दीली नहीं होती है ।

(4) जहां पूर्ववर्ष में ऐसी कोई तब्दीली हुई है वहां फर्म ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ पुनरीक्षित भागीदारी लिखत की एक प्रमाणित प्रति देगी और इस धारा के सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

[1][(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी फर्म की ओर से ऐसी कोई असफलता होती है जो धारा 144 में उल्लिखित है वहां फर्म का इस प्रकार निर्धारण किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के लिए चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, धारा 28 के खंड (v) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।]

[2][**185. जब धारा 184 का अनुपालन नहीं किया जाता है तब निर्धारण**—इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई फर्म, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 184 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है वहां उस फर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक के संदाय के लिए, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो ऐसी फर्म द्वारा ऐसी फर्म के किसी भागीदार को किया गया हो, कोई कटौती "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना में अनुज्ञात नहीं की जाएगी और ऐसा ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, धारा 28 के खंड (v) के अधीन आय-कर के लिए प्रभार्य नहीं होगा ।

ग—गठन में तब्दीलियां, उत्तराधिकार और विघटन

187. फर्म के गठन में तब्दीली—(1) जहां धारा 143 या धारा 144 के अधीन निर्धारण करते समय यह पाया जाता है कि फर्म के गठन में तब्दीली हुई है वहां निर्धारण, निर्धारण करने के समय यथागठित फर्म पर किया जाएगा :

[3]* * * * *

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए फर्म के गठन में उस दशा में तब्दीली हो जाती है—

(क) जिसमें भागीदारों में से एक या अधिक भागीदार नहीं रहता या एक या अधिक नए भागीदार ऐसी परिस्थिति में सम्मिलित किए जाते हैं कि उन व्यक्तियों में से, जो तब्दीली से पहले फर्म के भागीदार थे, एक या अधिक तब्दीली के पश्चात् भागीदार बने रहते हैं ; या

(ख) जिसमें सब भागीदार अपने-अपने अंशों में या अपने में से कुछ अंशों में तब्दीली के साथ बने रहते हैं :

[4][परन्तु खण्ड (क) की कोई बात ऐसे मामले को लागू नहीं होगी जहां फर्म का उसके किसी भागीदार की मृत्यु पर विघटन हो जाता है ।

188. एक फर्म का दूसरी फर्म द्वारा उत्तराधिकार—जहां कारबार या वृत्ति चलाने वाली किसी फर्म का उत्तराधिकार किसी दूसरी फर्म को मिलता है और वह मामला ऐसा नहीं है जो धारा 187 के अंतर्गत हो, वहां धारा 170 के उपबंधों के अनुसार पूर्वाधिकारी फर्म और उत्तराधिकारी फर्म पर पृथक्-पृथक् निर्धारण किए जाएंगे ।

[5][**188क. फर्म द्वारा संदेय कर के लिए भागीदारों का संयुक्त और पृथक् दायित्व**—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्ववर्ष के दौरान, फर्म का भागीदार था और ऐसे किसी व्यक्ति का जो मृत है विधिक प्रतिनिधि के निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए ऐसा पूर्ववर्ष सुसंगत है, फर्म द्वारा देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि की रकम के लिए फर्म के साथ संयुक्तत: और पृथक्त: दायी होंगे और इस अधिनियम के सभी उपबंध जहां तक हो सके ऐसे कर या अधिरोपण के निर्धारण या ऐसी शास्ति या अन्य धनराशि के उद्ग्रहण को लागू होंगे ।]

189. विघटित फर्म या बन्द किया गया कारबार—(1) जहां किसी फर्म के द्वारा चलाए गए किसी कारबार या वृत्ति को बन्द कर दिया गया है या जहां फर्म विघटित कर दी जाती है वहां [@][निर्धारण अधिकारी] फर्म की कुल आय का निर्धारण ऐसे करेगा मानो ऐसे कोई बन्द किया जाना या विघटन हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सब उपबंध जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन प्रभार्य शास्ति या किसी अन्य राशि के उद्ग्रहण सम्बन्धी उपबंध भी हैं, ऐसे निर्धारण को यावत्शक्य लागू होंगे ।

---

[1] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 69 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 67 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।
[4] 1984 के कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 67 की धारा 33 द्वारा (1-4-1975 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 70 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

(2) पूर्वगामी उपधारा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि किसी ऐसी फर्म की बाबत जो उस उपधारा में निर्दिष्ट की गई है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्याही के अनक्रम में @[निर्धारण अधिकारी] या @[[1]*** आयुक्त (अपील)] का समाधान हो जाता है कि फर्म अध्याय 21 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी की दोषी थी तो उस अध्याय के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या अधिरोपित करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) हर व्यक्ति जो ऐसे बन्द किए जाने के समय या विघटन के समय फर्म का भागीदार था, और ऐसे उस किसी व्यक्ति का जिसकी मृत्यु हो चुकी है विधिक प्रतिनिधि, कर की रकम शास्ति या अन्य संदेय राशि के लिए संयुक्तत: और पृथक्त: देनदार होगा और इस अधिनियम के सब उपबंध किसी ऐसे निर्धारण या शास्ति या अन्य राशि के अधिरोपण को यावत्शक्य लागू होंगे ।

[2]* * * * *

(4) जहां ऐसे बन्द किया जाना या विघटन किसी निर्धारण वर्ष की बाबत किसी कार्यवाही के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् होता है, वहां उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकेगी जिस पर ऐसे बन्द होने या विघटन के समय वह कार्यवाही थी और इस अधिनियम के सब उपबंध यावत्शक्य तद्नुसार लागू होंगे ।

(5) इस धारा की कोई बात धारा 159 की उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[3][**189क. फर्मों के पूर्व निर्धारणों को लागू उपबंध**—1 अप्रैल, 1992 को प्रारंभ वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष के लिए किसी फर्म और उसके भागीदारों के निर्धारण के संबंध में, इस अध्याय के उपबंध, जैसे कि वे 1 अप्रैल, 1993 के ठीक पूर्व विद्यमान थे, लागू होते रहेंगे ।

अध्याय 17

कर का संग्रहण और वूसली

क—साधारण

190. स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय—(1) इस बात के होते हुए भी कि किसी आय की बाबत नियमित निर्धारण किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में किया जाना है, ऐसी आय पर कर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर कटौती द्वारा [4][या संग्रहण द्वारा] या अग्रिम संदाय द्वारा [5][या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदाय द्वारा] संदेय होगा ।

(2) इस धारा की कोई बात, धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर के प्रभार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

191. प्रत्यक्ष संदाय—[6]*** ऐसी आय की दशा में जिसकी बाबत आय-कर की कटौती संदाय के समय करने के लिए इस अध्याय के अधीन उपबंध नहीं किया गया है और ऐसी किसी दशा में जिसमें इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है, आय-कर निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा ।

[7]* * * * *

[8][**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) के अर्थ के भीतर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा ।]

---

[1] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 65 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 68 द्वारा (1-4-1993 से) लोप किया गया ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 69 द्वारा (1-4-1993 से) अंत:स्थापित ।
[4] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 29 द्वारा (1-6-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 70 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 43 द्वारा (1-4-1965 से) "(1)" कोष्ठक और अंक का लोप किया गया ।
[7] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 43 द्वारा (1-4-1965 से) उपधारा (2) का लोप किया गया ।
[8] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।

ख—स्रोत पर कटौती

192. वेतन—(1) "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, वेतन संदाय के समय संदेय रकम पर आय-कर [1]*** कटौती आय-कर की उस औसत दर [2]*** पर करेगा जो इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की उस वित्तीय वर्ष की प्राक्कलित आय पर, उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें संदाय किया जाता है, [3][प्रवृत्त दरों] के आधार पर संगणित हो ।

[4][(1क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी परिलब्धियों के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसके लिए धारा 17 के खंड (2) में निर्दिष्ट धनीय संदाय के रूप में उपबंधित नहीं किया गया है, अपने विकल्प पर ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर उस समय जब ऐसा कर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अन्यथा कटौती योग्य था, उससे कोई कटौती किए बिना कर का संदाय कर सकेगा ।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर, जिसके अन्तर्गत उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय भी है, वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर के औसत पर अवधारित किया जाएगा और इस प्रकार संदेय कर का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो यह उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कटौती योग्य कर था और वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन होगा ।]

[5][(2) जहां, वित्तीय वर्ष के दौरान, निर्धारिती एक ही समय में एक से अधिक नियोजकों के अधीन नियोजित है या जहां, उसने एक से अधिक नियोजकों के अधीन क्रमवर्ती नियोजन धारण किया है वहां वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जो उक्त नियोजकों में से ऐसा एक है जिसका निर्धारिती मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, चयन करे) ऐसे अन्य नियोजक या नियोजकों से उसको शोध्य या प्राप्त "वेतन" शीर्ष के अधीन आय के ऐसे ब्यौरे, उसके स्रोत पर कटौती किया गया कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाएं, सत्यापित करके दे सकेगा और तब ऊपर निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कटौती करने के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दिए गए ब्यौरों को हिसाब में लेगा ।

(2क) जहां ऐसा निर्धारिती, जो सरकारी सेवक है या किसी [6][कंपनी, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय] का कर्मचारी है, धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन राहत का हकदार है वहां वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसी अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, सत्यापित करके दे सकेगा और तब यथापूर्वोक्त उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी विशिष्टियों के आधार पर राहत की संगणना करेगा और उपधारा (1) के अधीन कटौती करने में उनको हिसाब में लेगा ।

[7][**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के रूप में घोषित की गई संस्था है ।]

[8][(2ख) जहां ऐसा कोई निर्धारिती जो, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय प्राप्त करता है और साथ ही आय के किसी अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय (जो "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि से भिन्न किसी ऐसे शीर्ष के अधीन हानि नहीं है) उसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त करता है वहां वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को,—

(क) ऐसी अन्य आय और इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन उस पर कटौती किए गए कर ;

(ख) "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि, यदि कोई हो,

की विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सत्यापित करके भेज सकेगा और तब यथापूर्वोक्त उत्तरदायी व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन कटौती करने के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ऐसी अन्य आय और उस पर कटौती किया गया कर, यदि कोई हो ;

(ii) "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हानि, यदि कोई हो,

को भी हिसाब में लेगा :

---

[1] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर की औसत दर" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] 1968 के अधिनियम सं० 19 की धारा 13 द्वारा (1-4-1968 से) "प्रवृत्त कर की दरों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 45 द्वारा (1-6-1987 से) उपधारा (1) के पश्चात् अंत:स्थापित । पहले इसका 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा (1-4-1965 से) लोप किया गया था ।

[6] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 21 द्वारा (1-6-1989 से) "पब्लिक सेक्टर उपक्रम" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 21 द्वारा (1-6-1989 से) अन्त:स्थापित ।

[8] 1998 के अधिनियम सं० 21 की धारा 42 द्वारा (1-6-1998 से) प्रतिस्थापित ।

परंतु किसी भी दशा में इस उपधारा का यह प्रभाव नहीं होगा कि वहां के सिवाय जहां "गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि को हिसाब में लिया गया है, "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से कटौती किया जाने वाला कर उस रकम से कम हो जाए जिसकी कटौती की जाती यदि अन्य आय और उस पर कटौती किए गए कर को हिसाब में नहीं लिया जाता ।]

[1][(2ग) ऐसा कोई व्यक्ति, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे व्यक्ति को, जिसको ऐसा संदाय किया जाता है, उसको वेतन के बदले में दी गई परिलब्धियों या लाभों और उसके मूल्य की सही और पूर्ण विशिष्टियां देते हुए एक विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।]

[2][(2घ) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, निर्धारिती की आय का प्राक्कलन करने या उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती से अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित दावों का (जिसके अंतर्गत हानि को मुजरा करने का दावा भी है) साक्ष्य या सबूत या विशिष्टियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से अभिप्राप्त करेगा, जो विहित किए जाएं ।]

(3) उपधारा (1) [3][या उपधारा (1क)] [4][या उपधारा (2) या उपधारा (2क) या उपधारा (2ख)] में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, किसी ऐसे आधिक्य या कमी का समायोजन करने के प्रयोजन के लिए, जो वित्तीय वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती कटौती से या कटौती न करने से उद्भूत होती हो, इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली रकम को कटौती करते समय, बढ़ा या घटा सकेगा ।

(4) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के न्यासी या ऐसा कोई व्यक्ति, जो कर्मचारियों को देय संचित अतिशेषों का संदाय करने के लिए निधि के विनियमों द्वारा, प्राधिकृत है, उन मामलों में जिनमें चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 9 का उपनियम (1) लागू होता है, कर्मचारी को देय संचित अतिशेष को संदत्त करते समय, उसमें से चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 10 में उपबन्धित कटौती करेगा ।

(5) जहां किसी अनुमोदित अधिवार्षिकी निधि में नियोजक द्वारा किया गया अभिदाय, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदायों पर ब्याज, यदि कोई हो, भी है, कर्मचारी को संदत्त किया जाता है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम पर निधि के न्यासियों द्वारा [5][कर] की कटौती उस परिमाण तक की जाएगी जिस तक चतुर्थ अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में उपबन्धित है ।

(6) विदेशी करेंसी में संदेय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए ऐसे वेतन का पैसों में मूल्य विनिमय का विहित दर के अनुसार परिकलित किया जाएगा ।

[6][**192क. किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष का संदाय**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 के अधीन विचरित कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के न्यासी या स्कीम के अधीन कर्मचारियों को देय संचित अतिशेष का संदाय करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे मामले में, जहां किसी मान्यताप्राप्त भविष्य-निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी को देय संचित अतिशेष को चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 8 के उपबंधों के लागू न होने के कारण उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने योग्य है, कर्मचारी को देय संचित अतिशेष का संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां पाने वाले को किए गए, यथास्थिति, ऐसे संदाय की संदाय की रकम या ऐसे संकलित रकम [7][पचास हजार रुपए] से कम है :

परंतु यह और कि ऐसी किसी रकम को जिस पर इस धारा के अधीन कर कटौती योग्य है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति, अपना स्थायी खाता संख्यांक ऐसे कर की कटौती करने के उत्तरदायी व्यक्ति को देगा, जिसमें असफल रहने पर, अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी ।]

193. प्रतिभूतियों पर ब्याज—[8][प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्ष के अधीन प्रभार्य] [9][किसी निवासी को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति] संदेय ब्याज की रकम पर, प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर [10]*** की कटौती [11][पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वोतर हो, करेगा ।]

---

[1] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 68 द्वारा (1-6-2001 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 41 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 45 द्वारा (1-6-1987 से) अंत:स्थापित इससे पहले "या उपधारा (2)" शब्दों का 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा (1-4-1965 से) लोप किया गया था ।
[5] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 44 द्वारा (1-4-1965 से) "आय-कर और अधिकर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 37 द्वारा (1-4-1989 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 45 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर" शब्दों का लोप किया गया ।
[11] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 22 द्वारा (1-6-1989 से) "संदाय के समय करेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]* * * * *

परंतु [1]*** किसी कर की कटौती—

(i) $4^1/_4$ प्रतिशत वाले राष्ट्रीय रक्षा बांड, 1972 पर संदेय किसी ब्याज से उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वे बाण्ड किसी ऐसी व्यष्टि द्वारा धारित है, जो अनिवासी नहीं है ; या

[2][(iक) $4^1/_4$ प्रतिशत वाले राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1968 या $4^3/_4$ प्रतिशत वाले राष्ट्रीय रक्षा ऋण, 1972 पर किसी व्यष्टि को संदेय किसी ब्याज से नहीं की जाएगी ; या]

[3][(iख) राष्ट्रीय विकास बांड पर संदेय किसी ब्याज से नहीं की जाएगी ; या]

[4]* * * * * *

[5][(iiक) सात वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र (चतुर्थ निर्गम) पर संदेय किसी ब्याज से नहीं की जाएगी ;]

[6][(iiख) किसी संस्था या प्राधिकारी या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी (जिसके अन्तर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक है) द्वारा पुरोधृत ऐसे डिबेंचरों पर जो केंद्रीय सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, संदेय किसी ब्याज से नहीं की जाएगी ।]

[7]* * * * * *

(iii) $6^1/_2$ प्रतिशत वाले स्वर्णबांड, 1977 पर या 7 प्रतिशत वाले स्वर्णबांड, 1980 पर संदेय किसी ब्याज से उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वे बांड किसी ऐसे व्यष्टि द्वारा धारित हैं जो अनिवासी नहीं हैं और उनका धारक ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के समक्ष लिखित रूप में घोषणा करता है कि उनके द्वारा धारित, यथास्थिति, $6^1/_2$ प्रतिशत वाले स्वर्णबांड, 1977 या 7 प्रतिशत वाले स्वर्णबांड, 1980 का (जिनके अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से धारित यदि कोई हो, ऐसे बांड भी हैं) कुल अंकित मूल्य, दोनों में से किसी भी दशा में उस कालावधि के दौरान जिससे ब्याज सम्बद्ध है, किसी भी समय दस हजार रुपए से अधिक नहीं हुआ था ।

[8]* * * * * *

[9][(iv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिभूति पर संदेय ब्याज से नहीं की जाएगी :]

[10][परंतु इस खंड की कोई बात वित्तीय वर्ष के दौरान 8 प्रतिशत वाले बचत (कराधेय) बांड, 2003 पर संदेय दस हजार रुपए से अधिक के ब्याज को लागू नहीं होगी ;]

[11][(v) किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, पुरोधृत किसी डिबेंचर पर ऐसे किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जो भारत में निवासी है, संदेय कोई ब्याज, यदि—

(क) कंपनी द्वारा ऐसे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे डिबेंचर पर, संदत्त या संदत्त किए जाने वाले संभाव्य, यथास्थिति, ऐसे ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की रकमों का योग पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) कंपनी द्वारा ऐसा ब्याज, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा संदत्त किया जाता है ;]

[12][(vi) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या

(vii) भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 70 द्वारा (1-6-1992 से) लोप किया गया ।
[2] 1965 के कराधान विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम सं० 41 की धारा 4 द्वारा (4-12-1965 से) अंत:स्थापित ।
[3] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 20 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 37 द्वारा (1-4-1989 से) लोप किया गया ।
[5] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 22 द्वारा (1-4-1970 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 29 द्वारा (1-6-1986 से) खण्ड (iiख) प्रतिस्थापित ।
[7] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 74 द्वारा (1-4-1987 से) स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।
[8] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 46 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 52 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 72 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 72 द्वारा अंत:स्थापित ।

पर बनाई गई चार कंपनियों में से किसी को, ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या

(viii) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ;]

[1][(ix) किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसकी अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सुचीबद्ध है, संदेय कोई ब्याज ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—[3]*** इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे "देय ब्याज खाते" या "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसी जमा रकम को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय की जमा रकम समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[3]* * * * *

194. लाभांश—भारतीय कंपनी का या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी जिसने भारत में लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं, कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चेक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व या धारा 2 के खण्ड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अर्थ में किसी लाभांश का कोई वितरण या संदाय शेयर धारक को [4][जो भारत में निवासी है,] करने के पूर्व, ऐसे लाभांश की रकम में से प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर [5]*** की कटौती करेगा :

[6][परन्तु ऐसी कोई कटौती किसी शेयर धारक के मामले में, जो एक व्यष्टिक है, नहीं की जाएगी, यदि,—

(क) कंपनी द्वारा लाभांश का संदाय पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा किया जाता है, और

(ख) यथास्थिति, ऐसे लाभांश की रकम या ऐसे लाभांश की रकमों का योग जो कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान शेयर धारक को वितरित या संदत्त किया जाता है या उसके वितरण या संदाय किए जाने की संभावना है, [7][दो हजार पांच सौ रुपए] से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित को जमा की गई है या संदत्त की गई है,—

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है ;

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाई गई चार नई कंपनियों में से किसी को (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् ऐसी कंपनी कहा गया है), ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है ; या

(ग) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है :]

[8][परंतु यह भी कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किन्हीं लाभांशों की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

[9][**194क. "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज**—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो [9]["प्रतिभूतियों पर ब्याज" के रूप में] आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय निवासी को संदत्त करने का उत्तरदायी है पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक काट कर या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा ।

---

[1] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1989 के अधिनियम सं० 13 की धारा 22 द्वारा (1-6-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 70 द्वारा "1" और स्पष्टीकरण 2 का (1-6-1992 से) लोप किया गया ।
[4] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 46 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर" का लोप किया गया ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 73 द्वारा (1-6-2002 से) प्रतिस्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 73 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 1967 के अधिनियम सं० 20 की धारा 30 द्वारा (1-4-1967 से) अन्त:स्थापित ।

[1]* * * * *

[2][परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां यथापूर्वोक्त ब्याज के रूप में कोई आय ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे "देय ब्याज खाते" या "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसी जमा रकम को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय की जमा रकम समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[1]* * * * *

(3) उपधारा (1) के उपबंध—

[4][(i) वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का या जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पाने वाले को, या उसके खाते में संदत्त या जमा की जाने की सम्भाव्यता है [5][निम्नलिखित से अधिक नहीं होता है—

(क) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता ऐसी बैंककारी कंपनी है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (इसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ;

(ख) दस हजार रुपए, जहां संदायकर्ता बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित और इस निमित्त उसके द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन डाकघर में किसी जमा पर दस हजार रुपए ; और

(घ) किसी अन्य दशा में पांच हजार रुपए :]

[6][परन्तु—

(क) किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था है) सर्वाधिक निक्षेपों की बाबत ; या

(ख) बैंककारी के कारबार में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में सावधिक निक्षेपों की बाबत: या

(ग) किसी पब्लिक कंपनी में, जो आवासिक प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के अन्निर्माण या क्रय के लिए दीर्घकालिक वित्त का उपबंध करने का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से [7][भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत की गई है] और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है, निक्षेपों की बाबत,

खाते में जमा की गई या संदत्त की गई आय के संबंध में [8]*** पूर्वोक्त रकम की संगणना, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी की शाखा या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा खाते में जमा की गई या संदत्त की गई आय के प्रति निर्देश से की जाएगी :]

[9][परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट रकम की संगणना, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा जमा की गई या संदत्त की गई आय के प्रति निर्देश से की जाएगी, जहां कि ऐसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी द्वारा आंतरिक बैंककारी समाधानों को अंगीकार किया गया हो ।]

[10]* * * * *

(iii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित के खाते में जमा या उसको संदत्त की गई है,—

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 71 द्वारा (1-6-1992 से) लोप किया गया ।
[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 74 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 47 द्वारा (1-6-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[4] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 20 द्वारा (1-4-1975 से) प्रतिस्थापित ।
[5] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2000 के अधिनियम सं० 10 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित
[8] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 69 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 69 द्वारा लोप किया गया ।

(क) कोई बैंककारी कम्पनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है या बैंककारी का कारबार करने में लगी हुई (जिसके अंतर्गत सहकारी भूमि बंधक बैंक भी है) कोई सहकारी सोसाइटी, अथवा

(ख) किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित कोई वित्तीय निगम, अथवा

(ग) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम, अथवा

(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अथवा

(ङ) बीमा कारबार चलाने वाली, कोई कंपनी या सहकारी सोसाइटी, अथवा

(च) ऐसी अन्य संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं, संगमों या निकायों का वर्ग जिसे केन्द्रीय सरकार अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित करे ;

[1][(iv) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी फर्म द्वारा फर्म के किसी भागीदार के खाते में जमा या उसको संदत्त की गई है ;]

(v) [2][ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है या ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है, लागू नहीं होंगे ।]

[3][**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सहकारी बैंक" का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के भाग 5 में उसका है ;]

[4][(vi) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और उसके द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन निक्षेपों की बाबत खाते में जमा की गई या संदत्त की गई है ;

[5][(vii) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट बैंक या बैंककारी संस्था है) निक्षेपों की (जो 1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न हैं) बाबत खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है ;]

(viiक) ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जो,—

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों की बाबत खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है ;

(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी या बैंक से भिन्न बैंककारी के कारबार में लगी सहकारी सोसाइटी में (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न) निक्षेपों की बाबत खाते में जमा की गई है या संदत्त की गई है ;

[6][(viii) उस समय को लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम या भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11), सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) या दान-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) या अभिलाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14), या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) या ब्याज-कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) के किसी उपबंध के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा खाते में जमा की गई या संदत्त की गई हो ;]

[2][(ix) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में जमा की गई ऐसी आय को लागू नहीं होंगे ;

(ixक) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम पर ब्याज के रूप में संदत्त ऐसी आय को लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त ऐसी आय की रकमों का योग पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है ;]

---

[1] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 30 द्वारा (1-4-1988 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 43 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 23 द्वारा (1-4-1970 से) अन्त:स्थापित ।
[5] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 33 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 20 द्वारा (1-4-1975 से) अन्त:स्थापित ।

[1][(x) ऐसी आय को, जिसका किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी [2][या अनुसूचित बैंक] द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किसी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में ऐसी कंपनी [2][या अनुसूचित बैंक] या निधि द्वारा संदाय किया जाता है या संदेय है ।]

[3][(xi) किसी ऐसी आय को लागू नहीं होंगे, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में है ।]

[4][**स्पष्टीकरण 1**—खंड (i), खंड (vii) और खंड (viiक) के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप (जिसके अंतर्गत [5][आवर्ती निक्षेप भी है] अभिप्रेत है ।]

[6]* * * * *

[7][(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, किसी ऐसी कमी या वृद्धि का समायोजन करने के लिए, जो वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ववर्ती कटौती से या कटौती न करने से उद्भूत होती हो, इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली रकम को कटौती करते समय घटा या बढ़ा सकेगा ।]

[8]* * * * *

[9][**194ख. लाटरी या वर्ग पहेली से जीत**—किसी व्यक्ति को किसी लाटरी या वर्ग पहली [10][या ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल] से [11][दस हजार रुपए] से अधिक रकम की जीत के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसका संदाय करने के समय, प्रवृत्त दरों से उस पर आय-कर की कटौती करेगा :

[12]* * * * *

[13][परन्तु यह [12]*** किसी ऐसे मामले में, जहां ऐसी जीत, पूर्णत: वस्तु रूप में है अथवा भागत: नकद रूप में और भागत: वस्तु रूप में है, किन्तु नकदी का भाग, संपूर्ण जीत की बाबत कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जीत का संदाय करने के पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जीत की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ।]

[14][**194खख. घुड़दौड़ से जीत**—कोई व्यक्ति जो बुकमेकर है या ऐसा व्यक्ति है जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा किसी घुड़दौड़ के मैदान में घुड़दौड़ के लिए या घुड़दौड़ के मैदान में सट्टा या दांव लगाने का प्रबन्ध करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है और जो किसी व्यक्ति को घुड़दौड़ से [15][दस हजार रुपए] से अधिक रकम की जीत के रूप में आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसा संदाय करने के समय उस पर प्रवृत्त दरों से आय-कर की कटौती करेगा :

[16]* * * * *

[17][**194ग. ठेकेदारों को संदाय**—(1) ठेकेदार और किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसरण में, कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को, (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ठेकेदार कहा गया है) किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करने के समय, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी राशि के,—

(i) जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत ;

(ii) जहां किसी व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां दो प्रतिशत,

के बराबर रकम की उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 60 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2014 के अधिनियम 25 की धारा 56 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2015 के अधिनियम सं० 70 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 40 द्वारा लोप किया ।
[7] 1975 के अधिनियम सं० 25 की धारा 20 द्वारा (1-4-1975 से) अन्त:स्थापित ।
[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 71 द्वारा (1-6-1992 से) लोप किया गया ।
[9] 1972 के अधिनियम सं० 16 की धारा 28 द्वारा (1-4-1972 से) अन्त:स्थापित ।
[10] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 70 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[11] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 35 द्वारा (1-6-1986 से) प्रतिस्थापित ।
[12] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 70 द्वारा लोप किया गया ।
[13] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[14] 1978 के अधिनियम सं० 19 की धारा 21 द्वारा (1-4-1978 से) अन्त:स्थापित ।
[15] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[16] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 71 द्वारा लोप किया गया ।
[17] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में, किसी खाते में चाहे उसका नाम "उचंत खाता" या कोई अन्य खाता हो, जमा की जाती है, वहां ऐसे जमा किए जाने को आदाता के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(3) जहां किसी राशि को स्पष्टीकरण के खंड (iv) के उपखंड (ङ) में वर्णित किसी काम को करने के लिए संदत्त या जमा किया जाता है वहां,—

(i) सामग्री के मूल्य को, यदि ऐसा मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित किया गया है, छोड़कर बीजक मूल्य पर ; या

(ii) यदि सामग्री का मूल्य पृथक् रूप से बीजक में वर्णित नहीं किया गया है, तो संपूर्ण बीजक मूल्य पर,

स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी ।

(4) जहां किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से कोई राशि जमा या संदत्त की जाती है, वहां ऐसा व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त ऐसी राशि पर आय-कर की कटौती के लिए दायी नहीं होगा ।

(5) ठेकेदार के खाते में जमा या उसको संदत्त या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित किसी राशि की रकम से कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसी राशि [1][तीस हजार रुपए] से अधिक न हो :

परंतु जहां वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई या जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशियों की कुल रकम [1][एक लाख रुपए] से अधिक हो जाती है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने के लिए दायी होगा ।

(6) [2][माल वाहन चलाने, किराए या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान, पूर्ववर्ष के दौरान ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई या संदत्त किए जाने के लिए संभावित ऐसी राशि से कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां कि ऐसे ठेकेदार के स्वामित्वाधीन पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय दस या उससे कम माल वाहन है और उसने इस आशय का घोषणापत्र स्थायी लेखा संख्यांक सहित उस राशि का संदाय करने या जमा करने वाले व्यक्ति को दे दिया है ।]

(7) उपधारा (6) में निर्दिष्ट व्यक्ति को किसी राशि का संदाय या जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति विहित आय-कर प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, देगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,—

(क) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

(ग) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम ; या

(घ) कोई कंपनी ; या

(ङ) कोई सहकारी सोसाइटी ; या

(च) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन भारत में गठित ऐसा कोई प्राधिकरण, जो निवास स्थान की आवश्यकता से निपटने और उसे पूरा करने के प्रयोजन के लिए या नगरों, कस्बों और गांवों की योजना, विकास या सुधार के प्रयोजन के लिए या दोनों के लिए, काम में लगा हुआ ; या

(छ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी ; या

(ज) कोई न्यास ; या

(झ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था ; या

(ञ) किसी विदेशी राज्य की कोई सरकार या विदेशी उद्यम या भारत के बाहर स्थापित संगम या निकाय ; या

---

[1] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ट) कोई फर्म ; या

(ठ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति,—

(अ) पूर्ववर्ती किसी उपखंडों के अंतर्गत नहीं आता है ; और

(आ) उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है ;

(ii) "माल वाहन" का वही अर्थ है जो धारा 44कङ की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण में है ;

(iii) "संविदा" के अंतर्गत उपसंविदा भी है ;

(iv) "काम" के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(क) विज्ञापन करना ;

(ख) प्रसारण और दूर प्रसारण, जिसके अंतर्गत ऐसे प्रसारण या दूर प्रसारण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण भी है ;

(ग) रेल से भिन्न परिवहन के किसी ढंग द्वारा माल या यात्रियों का वहन ;

(घ) खानपान ;

(ङ) किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना,

किंतु ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय किए गए माल का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना इसके अंतर्गत नहीं है ।]

[1][**194घ. बीमा कमीशन**—कोई व्यक्ति जो निवासी को बीमा कारबार की याचना करने या उसे प्राप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों के बने रहने, नवीकरण या पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार भी है) पारिश्रमिक या इनाम के रूप में, चाहे कमीशन के रूप में हो या अन्यथा, कोई आय संदत्त करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती, करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन 1973 के जून के प्रथम दिन से पहले जमा की गई या संदत्त किसी आय से कटौती नहीं की जाएगी :]

[2][परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे मामले में नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा किए जाने के लिए संभाव्य या संदत्त, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम [3][पंद्रह हजार रुपए] से अधिक नहीं है ।]

[4][**194घक. जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय**—कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर [5][एक प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले की, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है ।]

[6][**194ङ. अनिवासी खिलाड़ियों का खेलकूद संगमों को संदाय**—जहां धारा 115खखक में निर्दिष्ट कोई आय, किसी अनिवासी खिलाड़ी (जिसके अन्तर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है) [7][या किसी मनोरंजनकर्ता] जो भारत का नागरिक नहीं है या अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था को संदेय हो, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, या

---

[1] 1973 के अधिनियम सं० 21 की धारा 17 द्वारा (1-4-1973 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 48 द्वारा (1-6-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 75 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 57 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 76 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम सं० 36 की धारा 22 द्वारा (1-11-1989 से) अन्त:स्थापित ।
[7] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 73 द्वारा अन्त:स्थापित ।

नकद या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, उनमें से जो पूर्वतर हो, उसका संदाय करते समय उस पर [1][बीस प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

[2][**194ङङ. राष्ट्रीय बचत स्कीम, आदि के अधीन निक्षेपों की बाबत संदाय**—ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 80गगक की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी रकम का किसी व्यक्ति को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसका संदाय करते समय उस पर [3][दस प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती तब नहीं की जाएगी जब वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम दो हजार पांच सौ रुपए से कम है :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात निर्धारिती के वारिसों को उक्त रकम के संदाय के संबंध में लागू नहीं होगी ।]

[4][**194च. पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के पुन:क्रय मद्धे संदाय**—ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 80गगख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई रकम किसी व्यक्ति को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है उसका संदाय करते समय उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।]

[5][**194छ. लाटरी टिकटों के विक्रय पर कमीशन आदि**—[6][(1)] कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय, करता है या जिसने लाटरी टिकटों का स्टाक, वितरण, क्रय या विक्रय किया है, ऐसे टिकटों पर कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम के रूप में (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) [7][पंद्रह हजार रुपए] से अधिक रकम की किसी आय का, 1 अक्तूबर, 1991 को या उसके पश्चात्, संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर [7][पांच प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

[8]* * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे ।

[9][**194ज. कमीशन या दलाली**—कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर [10][पांच प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन किसी ऐसे मामले में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां वित्तीय वर्ष के दौरान, पाने वाले के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम [10][पन्द्रह हजार रुपए] से अधिक नहीं है :

[11][परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा कमीशन या दलाली जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा :]

[12][परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती, भारत संचार निगम लिमिटेड या महानगर टेलीफोन लिमिटेड द्वारा उसके पब्लिक काल आफिस के विशेष विक्रय अधिकार प्राप्त व्यक्तियों को संदेय किसी कमीशन या दलाली के संबंध में नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 54 द्वारा (1-10-1991 से) अन्त:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 40 द्वारा (1-4-1991 से) अंत:स्थापित ।
[5] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 55 द्वारा (1-10-1991 से) अन्त:स्थापित ।
[6] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 73 द्वारा (1-6-1992 से) धारा 194छ को धारा 194छ (1) के रूप में पुन:संख्यांकित और उपधारा (2) व (3) को अन्त:स्थापित किया गया ।
[7] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 76 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 76 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 55 द्वारा अंत:स्थापित ।

(i) "कमीशन या दलाली" के अंतर्गत की गई सेवाओं के लिए (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) या माल के क्रय या विक्रय के अनुक्रम में अथवा किसी आस्ति, मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित, जो प्रतिभूतियां नहीं हैं, किसी संव्यवहार के संबंध में किन्हीं सेवाओं के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्राप्त या प्राप्य कोई संदाय है ;

(ii) "वृत्तिक सेवा" पद से विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुकला वृत्ति या लेखाकर्म या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सज्जा की वृत्ति या बोर्ड द्वारा धारा 44कक के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति चलाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(iii) "प्रतिभूति" पद का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

(iv) जहां कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

[1][**194झ. किराया**—[2][कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है, और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है,] पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, [3][उस पर—

[4][(क) किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए, दो प्रतिशत ; और

(ख) किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए, दस प्रतिशत,]

आय-कर की कटौती करेगा ।

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती तब नहीं की जाएगी जब वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा किए जाने के लिए संभाव्य या संदत्त, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम [5][एक लाख अस्सी हजार रुपए] से अधिक नहीं है ।

[6][परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा :]

[7][परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में अनुज्ञात नहीं की जाएगी जहां कि ऐसे किसी कारबार न्यास के, जो भू-संपदा विनिधान निधि है, खाते में धारा 10 के खंड (23चगक) में निर्दिष्ट किसी भू-संपदा आस्ति की बाबत, जो प्रत्यक्षतया ऐसे कारबार न्यास के स्वामित्वाधीन है, किराए के रूप में आय जमा की गई है या उसे संदत्त की गई है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

[8][(i) "किराया" से किसी,—

(क) भूमि ; या

(ख) भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन है) ; या

(ग) भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन है) से अनुलग्नक भूमि ; या

(घ) मशीनरी ; या

(ङ) संयंत्र ; या

(च) उपस्कर ; या

---

[1] 1994 के अधिनियम सं० 32 की धारा 40 द्वारा (1-6-1994 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 35 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 62 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 77 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 45 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(छ) फर्नीचर ; और

(ज) फिटिंग,

चाहे उपरोक्त में से कोई या सभी पाने वाले के स्वामित्व में हो या नहीं, के प्रयोग के लिए (पृथक् रूप से या सामूहिक रूप से) किसी पट्टे, उपपट्टे, किराएदारी या किसी अन्य करार या ठहराव के अधीन कोई संदाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो अभिप्रेत है ;]

(ii) जहां कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[1][**194झक. कृषि भूमि से भिन्न कतिपय स्थावर संपत्ति के अंतरण पर संदाय**—(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो कोई अंतरिती है और जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में किसी राशि का निवासी अंतरक को (धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न) संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि अंतरक के खाते में जमा कराते समय या ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय, उस पर आय-कर के रूप में, ऐसी राशि के एक प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी जहां किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए प्रतिफल पचास लाख रुपए से कम है ।

(3) धारा 203क के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिससे इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा की जाती है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कृषि भूमि" से भारत में ऐसी कृषि भूमि अभिप्रेत है जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि न हो ;

(ख) "स्थावर संपत्ति" से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है ।]

[2][**194झख. कतिपय व्यष्टियों या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किराए का संदाय**—(1) कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, (धारा 194झ के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट से भिन्न) और जो किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी मास या मास के भाग के लिए किराए द्वारा पचास हजार रुपए से अधिक किसी आय का संदाय किसी निवासी को करने के लिए उत्तरदायी है, वह ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम की कौटती आय-कर के रूप में करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय-कर की कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास, यदि वर्ष के दौरान संपत्ति रिक्त की जाती है, के लिए, ऐसी आय पर, किराए को पाने वाले के खाते में जमा करने के समय या उसके नकद या चेक अथवा ड्राफ्ट जारी करके संदाय के समय या किसी अन्य ढंग से जमा किए जाने के समय, इनमें जो पूर्वतर हो, की जाएगी ।

(3) धारा 203क के उपबंध, इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

(4) ऐसे मामले में, जहां कर की कटौती धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार की जानी अपेक्षित है, वहां ऐसी कटौती, यथास्थिति, पूर्ववर्ष के अंतिम मास या किराएदारी के अंतिम मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किराया" से किसी भूमि या भवन या दोनों के उपयोग के लिए किसी पट्टा, उप पट्टा, किराएदारी या किसी अन्य करार या ठहराव के अधीन किया गया कोई संदाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है ।]

[3][**194झग. विनिर्दिष्ट करार के अधीन संदाय**—धारा 194झक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 45 की उपधारा (5क) में निर्दिष्ट करार के अधीन प्रतिफल द्वारा, जो वस्तु के रूप में प्रतिफल न हो, किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरादायी कोई व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय या इसका नकद में या किसी चेक अथवा ड्राफ्ट या किसी ढंग से संदाय करते समय, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की आय-कर के रूप में कटौती करेगा ।]

[4][**194ञ. वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस**—(1) कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो किसी निवासी को—

(क) वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस, या

(ख) तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, [5][या]

---

[1] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2017 के अधिनियम सं 7 की धारा 64 द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 2017 के अधिनियम सं 7 की धारा 65 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 35 द्वारा अंत:स्थापित ।

[5] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(खक) किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या]

[2][(ग) स्वामिस्व, या

(घ) धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि,] के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है,

पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के [3][दस प्रतिशत] के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट राशि पर आय-कर के रूप में, कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती,—

(अ) 1 जुलाई, 1995 के पूर्व जमा या संदत्त की गई पूर्वोक्त किसी राशि में से नहीं की जाएगी ; या

(आ) तब नहीं की जाएगी जब वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले के खाते में पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा जमा की गई या उसको संदत्त अथवा जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य, यथास्थिति, ऐसी राशि की रकम या ऐसी राशियों की कुल रकम,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस की दशा में, [4][तीस हजार रुपए] से, या

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की दशा में, [4][तीस हजार रुपए] से, [2][या]

[2][(iii) खंड (ग) में निर्दिष्ट स्वामिस्व की दशा में [4][तीस हजार रुपए से] या ;

(iv) खंड (घ) में निर्दिष्ट राशि की दशा में [4][तीस हजार रुपए से],

अधिक नहीं है ।

[5][परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वृत्तिक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं से फीस के रूप में ऐसी राशि जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा :]

[6][परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यष्टि या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस के रूप में राशि पर आय-कर की कटौती का दायी नहीं होगा यदि ऐसी राशि ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से जमा या संदत्त की जाती है ।]

[7][परन्तु यह भी कि इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी ऐसे पाने वाले की दशा में, जो केवल किसी काल सेंटर के प्रचालन के कारबार में ही लगा हुआ है, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दो प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।]

[8]* * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "वृत्तिक सेवा" से विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी या वास्तुकला वृत्ति या लेखा कर्म या तकनीकी सलाह या भीतरी सज्जा या विज्ञापन की वृत्ति अथवा बोर्ड द्वारा धारा 44कक या इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित कोई अन्य वृत्ति चलाने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा की गई सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(ख) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के नीचे के स्पष्टीकरण 2 में है ;

[9][(खक) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है ;]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 74 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 57 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 41 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 78 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 78 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 66 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 78 द्वारा लोप किया गया ।
[9] 2006 के अधिनियम सं० 29 की धारा 16 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ग) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि, ऐसी राशि का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी राशि का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

[1]* * * * *

[2][**194ठक. कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय**—कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्दे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय उस पर आय-कर के रूप में उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा :

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम [3][दो लाख पचास हजार रुपए] से अधिक नहीं होती है :

[4][परंतु यह और कि इस धारा के अधीन उस दशा में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जहां ऐसा संदाय किसी ऐसे अधिनिर्णय या करार की बाबत किया गया है, जा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारो अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 96 के अधीन आय-कर के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त है ।]

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कृषि भूमि" से भारत में कृषि भूमि अभिप्रेत है जिसमें धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) और मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि सम्मिलित है ;

(ii) "स्थावर संपत्ति" से कोई भूमि (कृषि भूमि से भिन्न) या कोई भवन या किसी भवन का भाग अभिप्रेत है ।]

[5][**194ठख. अवसंरचना ऋण निधि से ब्याज के रूप में आय**— जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को, धारा 10 के खंड (47) में निर्दिष्ट अवसंरचना ऋण निधि द्वारा ब्याज के रूप में कोई आय संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या किसी चेक या ड्राफ्ट को जारी करके या किसी अन्य पद्धति द्वारा संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।]

[6][**194ठखक. किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय**—(1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के [3][खंड (23चग) के उपखंड (क) में] [7][या खंड 23चगक] में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के [3][खंड (23चग) के उपखंड (क)] में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, [8][जो अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है] संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।]

[7][(3) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23 चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी को संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दरों से आय-कर की कटौती करेगा ।]

[9][**194ठखख. विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में आय**—जहां कोई आय, जो आय के उस अनुपात से भिन्न है जो उसी प्रकृति की आय है जैसी धारा 10 के खंड (23चखख) में निर्दिष्ट है, किसी यूनिट धारक को धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विनिधान निधि की यूनिटों के संबंध में संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 80 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 38 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 67 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2011 के अधिनियम सं० 8 की धारा 28 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 58 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।

खाते में जमा करते समय या उसका नकद में या कोई चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय [1][उस पर आय-कर की कटौती,—

(i) जहां पाने वाला निवासी है, दस प्रतिशत की दर से की जाएगी ;

(ii) जहां पाने वाला अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, प्रवृत्त दरों पर की जाएगी :

परंतु जहां पाने वाला कोई अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, ऐसी आय के संबंध में, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है, कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "यूनिट" का वही अर्थ होगा जो धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) में उसका है ;

(ख) जहां यथा पूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है, वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[2][**194ठखग. प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में आय**—(1) जहां कोई आय धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में विनिधान के संबंध में विनिधानकर्ता को, जो निवासी है, संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर—

(i) यदि पाने वाला व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, तो दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) यदि पाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है तब तीस प्रतिशत की दर से,

आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) जहां कोई आय धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास में किसी विनिधान के संबंध में किसी विनिधानकर्ता को, जो अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या कोई विदेशी कंपनी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर प्रवृत्त दरों पर आय-कर की कटौती करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो धारा 115नगक के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है ;

(ख) जहां यथापूर्वोक्त किसी आय को ऐसे किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा बहियों में जमा किया जाता है वहां ऐसे जमा किए जाने को पाने वाले के खाते में उस आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[3][**194ठग. भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय**—(1) जहां उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को, किसी विनिर्दिष्ट कंपनी [4][या किसी कारबार न्यास] द्वारा संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज विनिर्दिष्ट कंपनी [5][या किसी कारबार न्यास]—

[6][(i) (क) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु [7][1 जुलाई, 2020] के पूर्व किसी समय किसी ऋण करार के अधीन ; या

(ख) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के रूप में ; या

---

[1] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 82 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 84 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 76 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 58 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 59 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[6] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 59 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 67 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ग) 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किंतु [1][1 जुलाई, 2020] के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी है, के निर्गमन के रूप में,

भारत के बाहर किसी स्रोत से, विदेशी करेंसी में, उधार ली गई ऐसी धनराशियों की बाबत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाएं ; [1][या]

[2][(iक) भारत के बाहर किसी स्त्रोत से 1 जुलाई, 2020 के पूर्व रूपए में अंकित बंधपत्र के निर्गमन द्वारा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशियों की बाबत, और]

(ii) उस सीमा तक, जिस तक ऐसा ब्याज केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त अनुमोदित दर पर, ऋण या बंधपत्र और उसके प्रतिदाय के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, परिकलित ब्याज की रकम से अधिक नहीं है,

उसके द्वारा संदेय ब्याज के रूप में, आय होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ होगा, जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ;

(ख) "विनिर्दिष्ट कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है ।

[3][**194ठघ. कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय**—ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी व्यक्ति को, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता या अर्हित विदेशी विनिधानकर्ता है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी आय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय पाने वाले द्वारा,—

(i) किसी भारतीय कंपनी के रुपए के अंकित बंधपत्र में ; या

(ii) किसी सरकारी प्रतिभूति में,

किए गए विनिधान की बाबत [1 जून, 2013] को या उसके पश्चात् किन्तु [4][1 जुलाई, 2020] के पूर्व संदेय ब्याज होगा :

परंतु खंड (i) में निर्दिष्ट बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है ;

(ख) "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है ;

(ग) "अर्हित विदेशी विनिधानकर्ता" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र संख्यांक परिपत्र/ आई० एम० डी०/ डी० एफ०/ 14 / 2011, तारीख 9 अगस्त, 2011, समय-समय पर यथासंशोधित में उसका है ।]

195. अन्य राशियां—[5][(1) कोई व्यक्ति, जो किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को, [6][किसी ब्याज का (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग [7][या धारा 194ठघ] में निर्दिष्ट ब्याज नहीं है)] (जो प्रतिभूतियों पर ब्याज नहीं है) या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी अन्य राशि का (जो "वेतन" [8]*** शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय नहीं है) संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा :

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 67 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 67 की धारा 68 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 49 द्वारा (1-6-1987 से) उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 48 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 56 द्वारा (1-10-1991 से) लोप किया गया ।

[1][परन्तु उस दशा में जहां ब्याज का संदाय करने के लिए सरकार या धारा 10 के खंड (23घ) के अर्थ में पब्लिक सेक्टर बैंक या उस खंड के अर्थ में लोक वित्तीय संस्था उत्तरदायी है, वहां कर की कटौती उसके नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति से संदाय के समय की जाएगी ।]

[2][परंतु यह और कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण [3][(**1**)]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां यथापूर्वोक्त ब्याज या अन्य राशि ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखाबहियों में, किसी खाते में चाहे "देय ब्याज खाते" या "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसी जमा रकम को, पाने वाले के खाते में ऐसी आय की जमा रकम समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

[4][**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) का अनुपालन करने और उसके अधीन कटौती करने की बाध्यता सभी व्यक्तियों, निवासी या अनिवासी को लागू होती है और सदैव लागू हुई समझी जाएगी तथा विस्तारित होती है और सदैव विस्तारित की गई समझी जाएगी, चाहे अनिवासी व्यक्ति का—

(i) भारत में कोई निवास या कारबार स्थान या कारोबारी संबंध ; या

(ii) भारत में किसी प्रकार की किसी रीति में कोई अन्य उपस्थिति, हो या नहीं ।]

(2) जहां किसी अनिवासी की इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य ऐसी किसी राशि के [5][जो [6]***, [7]*** [8]*** वेतन से भिन्न है] संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यह समझता है कि ऐसी सम्पूर्ण राशि ऐसी आय नहीं होगी जो प्राप्तिकर्ता के मामले में प्रभार्य हो, वहां वह [@][निर्धारण अधिकारी] से आवेदन कर सकेगा कि वह [9][साधारण या विशेष आदेश द्वारा,] ऐसी राशि का इस प्रकार प्रभार्य समुचित अनुपात अवधारित करे और ऐसे अवधारण पर उस राशि के केवल उसी अनुपात पर जो इस प्रकार प्रभार्य है उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जाएगी ।

[10]* * * * *

[11][(3) उपधारा (5) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति जो कोई ऐसा ब्याज या अन्य राशि जिस पर आय-कर की कटौती उपधारा (1) के अधीन की जानी हो, प्राप्त करने का हकदार हो, [@][निर्धारण अधिकारी] से एक ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने के विहित प्ररूप में आवेदन कर सकेगा, जो ऐसा ब्याज या अन्य राशि उस उपधारा के अधीन कटौती किए बिना प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करे और जहां ऐसा प्रमाणपत्र दिया जाए, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस व्यक्ति को, जिसे ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया हो, ऐसे ब्याज या अन्य राशि के संदाय के लिए उत्तरदायी हो जब तक वह प्रमाणपत्र प्रवृत्त बना रहे उस ब्याज या अन्य राशि का संदाय उस पर उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती किए बिना करेगा ।]

(4) उपधारा (3) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान तक अथवा, यदि वह उस कालावधि के अवसान के पूर्व [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा रद्द कर दिया जाए तो ऐसा रद्द किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(5) बोर्ड, निर्धारितियों की सुविधा और राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा जो वे दशाएं और परिस्थितियां, जिनमें उपधारा (3) के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा, और वे शर्तें जिनके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करे और तत्संबद्ध सब विषयों के लिए उपबन्ध करे ।]

[12][(6) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या न हो, का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए ।]

[4][(7) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों या मामलों का कोई वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य हो या नहीं, संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति निर्धारण

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 36 की धारा 23 द्वारा (1-6-1987 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 80 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं 23 की धारा 77 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं 23 की धारा 77 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 22 द्वारा (1-6-1976 से) प्रतिस्थापित ।
[6] 1976 के अधिनियम सं० 66 की धारा 22 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 56 द्वारा (1-10-1991 से) लोप किया गया ।
[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा ……लोप किया गया ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[9] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 39 द्वारा उपधारा (2) में "साधारण या विशेष आदेश द्वारा" शब्दों के स्थान पर (1-3-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 56 द्वारा (1-4-1991 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
[11] 1970 के अधिनियम सं० 19 की धारा 24 द्वारा (1-4-1970 से) अन्त:स्थापित ।
[12] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अधिकारी को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात का अवधारण करने के लिए आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती, उस राशि के अनुपात पर की जाएगी, जो इस प्रकार प्रभार्य है ।]

[1][**195क. "करहीन" संदेय आय**—[2][धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट दशा से भिन्न किसी दशा में, जहां किसी करार या अन्य ठहराव के अधीन,] इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में निर्दिष्ट किसी आय पर प्रभार्य कर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके द्वारा आय संदेय है वहां उन उपबंधों के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, ऐसी आय उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो उस वित्तीय वर्ष के लिए जिसमें ऐसी आय संदेय है, प्रवृत्त दरों पर उसमें से कर की कटौती करने के पश्चात् ऐसे करार या ठहराव के अधीन संदेय शुद्ध रकम के बराबर होगी ।]

[3][**196. सरकार, रिजर्व बैंक या कुछ निगमों को संदेय ब्याज या लाभांश या अन्य राशियां**—इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कर की कोई कटौती किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी राशियों में से, जो—

(i) सरकार को, या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक को, या

(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित ऐसे निगम, जिसको अपनी आय पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आय-कर से छूट प्राप्त है, या

(iv) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि को,

संदेय है, उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें ऐसी राशि उसे अपने स्वामित्व में की किन्हीं प्रतिभूतियों या शेयरों की बाबत ब्याज या लाभांश के रूप में संदेय है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाप्रद हित है या उसे कोई अन्य आय प्रोद्भूत या उद्भूत होती है ।

[4][**196क. अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय**—(1) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खातें में ऐसी आय जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।]

[5][परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है ।]

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अनिवासी भारतीय या अनिवासी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को, जहां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, दोनों दशाओं में, भारत में किसी बैंक में रखे गए किसी अनिवासी (विदेशी) खाते में की निधियों से, या विदेशी करेंसी में निधियों के प्रेषण द्वारा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट अर्जित किए गए हैं, संदेय किसी आय में से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विदेशी करेंसी" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में है ;

(ख) "अनिवासी भारतीय" का वही अर्थ है जो धारा 115ग के खंड (ङ) में है ;

(ग) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ;

(घ) जहां पूर्वोक्त कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखापुस्तकों में किसी खाते में, चाहे "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।]

[6][**196ख. यूनिटों से आय**—[7][जहां धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों की बाबत या ऐसे यूनिटों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय किसी अपतट निधि को संदेय है] वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा ।]

---

[1] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 50 द्वारा (1-6-1987 से) अन्त:स्थापित ।

[2] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 75 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[4] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 37 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 81 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 58 द्वारा (1-10-1991 से) अंत:स्थापित ।

[7] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 26 द्वारा (1-6-1991 से) "जहां धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों की बाबत कोई आय किसी अपतट निधि को संदेय है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**196ग. भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों से आय**—[2][जहां धारा 115कग में निर्दिष्ट [3][बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों] की बाबत ब्याज या लाभांशों के रूप में अथवा ऐसे [3][बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों] के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय अनिवासी को संदेय है] वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

[4][परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

[5][**196घ. प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की आय**—जहां [6][धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है] किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट दे कर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा :

[7][परंतु धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

(2) धारा 115कघ में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को संदेय किसी आय में से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

197. निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र—(1)[8][[9][किसी व्यक्ति की कोई आय या किसी व्यक्ति को संदेय राशि] की दशा में जहां, यथास्थिति, जमा करते समय या संदाय करते समय आय-कर की कटौती धारा 192, धारा 193, [10][धारा 194,] [11][धारा 194क, [12][धारा 194ग, धारा 194घ, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठक,] [13][धारा 194 ठखख, धारा 194ठखग]] और धारा 195 के उपबंधों के अधीन प्रवृत्त दरों पर करना अपेक्षित है वहां यदि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि] प्राप्तिकर्ता की कुल आय [14]*** इतनी है कि, यथास्थिति, आय-कर [15]*** की कटौती किन्हीं निम्नतर दरों के अनुसार करना या आय-कर की [15]*** कोई कटौती न करना न्यायोचित हो तो [@][निर्धारण अधिकारी] निर्धारिती द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर उसे ऐसा प्रमाणपत्र देगा जैसा समुचित हो ।

(2) जहां ऐसा कोई प्रमाणपत्र दिया जाता है वहां आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जब तक कि ऐसा प्रमाणपत्र [@][निर्धारण अधिकारी] द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता, यथास्थिति, आय-कर [16]*** की कटौती ऐसे प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार करेगा या कर की कटौती नहीं करेगा ।

[17][(2क) बोर्ड, निर्धारितियों की सुविधा को और राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे मामले जिनमें और वे परिस्थितियां जिनके अधीन, उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने वाले और उनसे संबंधित सभी अन्य विषयों का उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा ।]

[18]* * * * *

[19][**197क. कुछ दशाओं में कटौती का न किया जाना**—(1) [20]*** धारा 194 [21]*** [22][या धारा 194ङङ] में किसी बात के होते हुए भी, भारत में निवासी किसी व्यष्टि की दशा में उक्त धाराओं में से किसी के भी अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, [20]*** धारा 194 [21]*** [22][या धारा 194ङङ] में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 75 द्वारा (1-6-1992 से) अंत:स्थापित ।
[2] 1993 के अधिनियम सं० 36 की धारा 27 द्वारा (1-6-1993 से) "जहां ब्याज या लाभांशों के रूप में कोई आय किसी अनिवासी को धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या शेयरों की बाबत संदेय है" शब्द प्रतिस्थापित ।
[3] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 82 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 26 द्वारा (1-6-1993 से) अंत:स्थापित ।
[6] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 83 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 76 द्वारा (1-6-1992 से) प्रतिस्थापित ।
[9] 2001 के अधिनियम सं० 14 की धारा 73 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 1993 के अधिनियम सं० 38 की धारा 29 द्वारा (1-6-1993 से) अन्त:स्थापित ।
[11] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 84 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 39 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[13] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।
[14] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 48 द्वारा (1-4-1965 से) "या कुल विश्व आय" शब्दों का लोप किया गया ।
[15] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 48 द्वारा (1-4-1965 से) "या अधिकर" शब्दों का लोप किया गया ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[16] 1965 के अधिनियम सं० 10 की धारा 48 द्वारा (1-4-1965 से) "और अधिकर" शब्दों का लोप किया गया ।
[17] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 51 द्वारा (1-6-1987 से) अंत:स्थापित ।
[18] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 39 द्वारा (1-4-1987 से) लोप किया गया ।
[19] 1982 के अधिनियम सं० 14 की धारा 26 द्वारा (1-6-1982 से) अंत:स्थापित ।
[20] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 77 द्वारा लोप किया गया ।
[21] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 77 द्वारा (1-6-1992 से) "या धारा 194क" का लोप किया गया ।
[22] 1991 के अधिनियम सं० 49 की धारा 59 द्वारा (1-10-1991 से) अन्त:स्थापित ।

उत्तरदायी व्यक्ति को लिखत रूप में इस प्रभाव की घोषणा दो-दो प्रतियों में विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित करके देता है कि [1][उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना की जानी है, प्राक्कलित कल आय पर कर शून्य होगा ।]

[2][(1क) [3][धारा 192क या धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क [4][या धारा 194घ] या धारा 194घक] [5][या धारा 194झ] या धारा 194ट में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में (जो कंपनी या फर्म नहीं है) [6][उक्त धाराओं में से किसी के] अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, [3][धारा 192क या धारा 193 या धारा 194 [4][या धारा 194घ] या धारा 194घक] [5][या धारा 194झ] या धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित करके, लिखित रूप में इस प्रभाव की घोषणा दो प्रतियों में देता है कि उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है, प्राक्कलित कुल आय पर कर शून्य होगा ।]

[7][(1ख) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की रकम या ऐसी आयों की कुल रकम जो, उस पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई है या संदाय की गई है या जमा किए जाने या संदाय किए जाने की संभावना है उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।]

[8][(1ग) [3][या धारा 192क या धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क [4][या धारा 194घ] धारा 194घक] धारा 194ङ [5][या धारा 194झ] या धारा 194ट या इस धारा की उपधारा (1ख) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में से किसी के अधीन कर की कोई कटौती ऐसे किसी निवासी भारतीय व्यष्टि की दशा में नहीं की जाएगी, जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय [9][साठ वर्ष] या अधिक की आयु का है [10]*** यदि ऐसा व्यष्टि, यथास्थिति, [3][धारा 192क या धारा 193 या धारा 194 या धारा 194क [4][या धारा 194घ] [5][या धारा 194घक] या धारा 194ङ [5][या धारा 194झ] धारा 194ट में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय के संदाय के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में दो प्रतियों में लिखित रूप में और विहित रीति में सत्यापित इस प्रभाव की एक घोषणा प्रस्तुत कर देता है कि उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित की जानी है उसकी अनुमानित कुल आय पर, कर शून्य होगा ।]

[11][(1घ) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपतट बैंककारी यूनिट द्वारा :—

(क) किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए निक्षेप पर ; या

(ख) किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लिए गए उधारों पर,

संदत्त ब्याज से कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अपतट बैंककारी यूनिट" का वही अर्थ है, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (प) में उसका है ।]

[12][(1ङ) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, धारा 10 के खंड (44) में निर्दिष्ट नई पेंशन प्रणाली न्यास के लिए या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को किसी संदाय से कोई कर की कटौती नहीं की जाएगी ।]

[13][(1च) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था, संगम या निकाय या संस्थाओं, संगमों या निकायों के वर्ग को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, ऐसे विनिर्दिष्ट संदाय से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी ।]

---

[1] 1990 के अधिनियम सं० 12 की धारा 50 द्वारा (1-4-1990 से) "उसकी उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसी आय उसकी कुल आय की संगणना में सम्मिलित की जानी है प्राक्कलित कुल आय, आय कर के लिए न्यूनतम से कम होगी" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1995 के अधिनियम सं० 22 की धारा 39 द्वारा (1-7-1995 से) अन्त:स्थापित ।

[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 86 द्वारा अंत:स्थापित ।

[6] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।

[8] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।

[9] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[10] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 58 द्वारा लोप किया गया ।

[11] 2005 के अधिनियम सं० 28 की धारा 27 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[12] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 63 द्वारा अंत:स्थापित ।

[13] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 78 द्वारा अन्त:स्थापित ।

(2) उपधारा (1) [1][या उपधारा (1क)] [2][या उपधारा (1ग)] में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उपधारा (1) [1][या उपधारा (1क)] [2][या उपधारा (1ग)] में निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति, उसे घोषणा दिए जाने के ठीक आगामी मास की सातवीं तारीख को या उसके पहले [@][मुख्य आयुक्त या आयुक्त] को प्रदान करेगा या कराएगा ।]

198. कटौती किया गया कर प्राप्त हुई आय है—[3][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अनुसार कटौती की गई सब राशियां निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, प्राप्त आय समझी जाएगी :

[4][परंतु यह कि ऐसी राशि, जो किसी निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर है, प्राप्त हुई आय नहीं समझी जाएगी ।]

[5][**199. कटौती किए गए कर के लिए मुजरा**—(1) ऐसी कोई कटौती, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई है, यथास्थिति, उस व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय से कटौती की गई थी या प्रतिभूति के स्वामी या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी या यूनिटधारक अथवा शेयरधारक की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी ।

(2) ऐसी कोई राशि, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जिसका केन्द्रीय सरकार को संदाय कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, संदत्त कर समझी जाएगी ।

(3) बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों के निबंधनानुसार कटौती किए गए कर या संदत्त कर की बाबत मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा, जो आवश्यक हों, जिनके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को और उस निर्धारण वर्ष के संबंध भी, जिसके लिए ऐसा मुजरा दिया जा सकेगा, मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं ।]

200. कर की कटौती करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य—[6][(1)] कोई व्यक्ति जो [7][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है इस प्रकार कटौती की गई राशि का संदाय विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में या जैसे बोर्ड निर्दिष्ट करे वैसे करेगा ।

[8][(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, विहित समय के भीतर कर का संदाय, केंद्रीय सरकार के खाते में या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, करेगा ।]

[9][(2क) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां इस अध्याय के पूर्वमागी उपबंधों के अनुसार काटी गई राशि को या धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कर को कोई चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसी राशि या कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को एक विवरण ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित कराकर, उसमें ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।]

[10][(3) यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीरत [11][ऐसी अवधि के लिए जो विहित की जाए, ऐसे विवरण तैयार करेगा] और ऐसा विवरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा :]

[12][परंतु वह व्यक्ति किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण उस प्राधिकारी को परिदत्त भी कर सकेगा ।]

---

[1] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 77 द्वारा (1-6-1992 से) अन्त:स्थापित ।
[2] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 85 द्वारा अंत:स्थापित ।
[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 40 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 86 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 88 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[7] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 88 द्वारा अंत:स्थापित ।
[9] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 42 द्वारा अंत:स्थापित
[11] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 64 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[12] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 60 द्वारा अंत:थापित ।

[1][**200क. स्रोत पर कर की कटौती के विवरण की प्रक्रिया**—(1) जहां स्रोत पर कर कटौती का कोई विवरण [2][या कोई संशोधन विवरण] धारा 200 के अधीन किसी धनराशि की कटौती करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया है (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है), वहां ऐसे विवरण पर निम्नलिखित रीति में कार्रवाई की जाएगी, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के अधीन कटौती योग्य धनराशियों की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरण में कोई अंकगणितीय भूल ; या

(ii) विवरण में किसी सूचना से प्रकट कोई गलत दावा ;

(ख) ब्याज की, यदि कोई है, संगणना विवरण में यथासंगणित कटौती योग्य धनराशियों के आधार पर की जाएगी ;

[3][(ग) फ़ीस, यदि कोई हो, की संगणना धारा 234ङ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ;

(घ) कटौतीकर्ता द्वारा संदेय राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन संगणित रकम का धारा 200 या धारा 201 या धारा 234ङ के अधीन संदत्त किसी रकम और कर या ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

(ङ) एक इत्तिला, कटौतीकर्ता द्वारा खंड (घ) के अधीन संदेय रूप में अवधारित राशि को या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी या बनाई जाएगी और उसे भेजी जाएगी ; और

(च) खंड (घ) के अधीन अवधारण के अनुसरण में कटौतीकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम कटौतीकर्ता को दी जाएगी ।]

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई इत्तिला उस वित्तीय वर्ष, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "विवरण में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से किसी विवरण में किसी प्रविष्टि के आधार पर ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो,—

(i) ऐसे विवरण में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है ;

(ii) स्रोत पर कर की कटौती की दर के संबंध में है, जहां ऐसी दर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विवरणों पर कार्रवाई करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उक्त उपधारा की अपेक्षा के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा संदेय कर या उसको शोध्य प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने के लिए स्रोत पर काटे गए कर के विवरणों पर केंद्रीयकृत कार्रवाई के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा ।]

201. कटौती करने की या संदाय करने की असफलता के परिणाम—[4][(1) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है ; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा :

[5][परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, जो किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस निवासी ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को हिसाब में लिया है ; और

(iii) आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

---

[1] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 65 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 52 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2008 के अधिनियम सं० 18 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थपित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 79 द्वारा अन्त:स्थापित ।

और वह व्यक्ति किसी लेखापाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है :]

[1][परंतु यह और कि] ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के अधीन ऐसी कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की कटौती करने और उसका संदाय करने में, ठोस और पर्याप्त कारणों के बिना, असफल रहा है ।]

[2][(1क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ऐसा कोई व्यक्ति, प्रधान अधिकारी या कंपनी, जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करती है या कटौती करने के पश्चात् कर का संदाय करने में असफल रहती है तो वह,—

(i) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की जानी थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई है, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से ; और

(ii) उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की गई थी, उस तारीख तक, जिसको ऐसा कर वास्तव में संदत्त किया गया है, ऐसे कर की रकम पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए एक सही एक बटा दो प्रतिशत की दर से,

साधारण ब्याज का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा या होगी और ऐसे ब्याज का संदाय धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व किया जाएगा ।]

[3][परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है, किसी निवासी को संदत्त राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तो खंड (i) के अधीन ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे निवासी द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।]

[4][(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को भारत में निवासी किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।]

(4) धारा 153 की उपधारा (3) के उपखंड (ii) और धारा 153 के स्पष्टीकरण के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (3) में विहित समय-सीमा को लागू होंगे ।

[3][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लेखापाल" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ।]

202. वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होना—[5][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अधीन कटौती के द्वारा [6][कर वसूल] करने की शक्ति वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

203. कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र—[7][(1)] हर व्यक्ति जो धारा [8][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अनुसार कर की कटौती करता है [9][यथास्थिति, राशि जमा करते समय या संदाय करते समय या शेयरधारक को किसी लाभांश का संदाय करने के लिए चेक काटते या अधिपत्र देते समय ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम वह रकम जमा की गई,] या जिसको ऐसा संदाय किया गया है या चेक काटा या अधिपत्र दिया गया है इस भाव का कि कर की कटौती कर ली गई है एक प्रमाणपत्र देगा तथा उसमें इस प्रकार कटौती की गई रकम, वह दर जिस पर कर की कटौती की गई है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित की हों विनिर्दिष्ट होंगी ।

[10][(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि केंद्रीय सरकार को कर का संदाय कर दिया गया है और इस प्रकार संदत्त राशि, वह दर जिस पर कर संदत्त किया गया है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा ।]

[11]* * * * *

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 42 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 79 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2014 के अधिनियम सं० 25 की धारा 62 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 43 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 53 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 90 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 54 द्वारा (1-6-1987 से) प्रतिस्थापित ।
[10] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 90 द्वारा अंत:स्थापित ।
[11] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 43 द्वारा लोप किया गया ।

[1][**203क. कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक**—(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती या कर का संग्रहण करता है, जिसे, यथास्थिति, कर कटौती लेखा संख्यांक या कर संग्रहण लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को, "कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक" के आबंटन के लिए आवेदन करेगा ।

(2) जहां, यथास्थिति, "कर कटौती लेखा संख्यांक" या "कर संग्रहण लेखा संख्यांक" या "कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक" किसी व्यक्ति को दिया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति—

(क) धारा 200 या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;

(ख) धारा 203 या धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

[2][(खक) धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए और परिदत्त किए गए या परिदत्त करवाए गए सभी [3]*** विवरणों में ;

(ग) धारा 206 या धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अनुसार किसी आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त सभी विवरणियों में ; और

(घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं,

उस संख्यांक का हवाला देगा ।]

[4][**203कक. कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिया जाना**—विहित आय-कर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, [5][1 अप्रैल, 2008] को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर विहित प्ररूप में, इस प्रकार कटौती की गई और संदत्त कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करेगा और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे आय-कर की कटौती की गई है या जिसकी बाबत आय-कर का संदाय किया गया है, परिदत्त करेगा ।]

204. "संदाय करने के लिए उत्तरदायी" व्यक्ति का अर्थ—[6][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों] और धारा 285 के प्रयोजनों के लिए "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" पद से अभिप्रेत है—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदायों से भिन्न "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के संदायों की दशा में, स्वयं नियोजक या यदि नियोजक कम्पनी है तो स्वयं कम्पनी, जिसके अन्तर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से किए गए संदायों से भिन्न "प्रतिभूतियों पर ब्याज" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय के संदायों की दशा में स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी, जिसके अन्तर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है ;

[7][(iiक) किसी अनिवासी भारतीय को संदेय किसी ऐसी राशि की दशा में जो किसी ऐसी विदेशी मुद्रा आस्ति के, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उसके द्वारा अंतरण के प्रतिफल के रूप में कोई राशि है, [8][प्राधिकृत व्यक्ति] जो अनिवासी भारतीय को ऐसी राशि प्रेषित करने के लिए, या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखे गए उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में ऐसी राशि जमा करने के लिए उत्तरदायी है ;]

[9][(iiख) किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी ऐसी राशि के संदाय के संबंध में, चाहे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य है अथवा नहीं, सूचना प्रस्तुत किए जाने की दशा में, स्वयं संदायकर्ता या यदि संदायकर्ता कोई कंपनी है तो स्वयं कंपनी, जिसके अंतर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है;]

(iii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य, यथास्थिति, किसी भी जमा की या किसी अन्य राशि के संदाय की दशा में स्वयं संदायकर्ता या यदि संदायकर्ता कंपनी है तो स्वयं कम्पनी जिसके अन्तर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है ;

---

[1] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 44 द्वारा (21-6-2006 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 67 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 46 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 45 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 32 द्वारा (1-6-1986 से) अंत:स्थापित ।
[8] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 71 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी राशि को केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से, यथास्थिति, जमा किए जाने या उसका संदाय किए जाने की दशा में, आहरण और संवितरण अधिकारी या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो, यथास्थिति, ऐसी राशि को जमा करने या संदाय करने के लिए उत्तरदायी है ।]

[2][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "अनिवासी भारतीय" और "विदेशी मुद्रा आस्ति" के वही अर्थ हैं जो अध्याय 12क में हैं ;

[3][(ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (ग) में उसका है ।]

205. निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग का वर्जन—जहां कर [4][इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों] के अधीन स्रोत पर कटौती करने योग्य है वहां निर्धारिती उस परिमाण तक जिस तक कर की कटौती उस आय से की जा चुकी है स्वयं कर का संदाय करने के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा ।

[5][**206. कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना**—[6][(1)] सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसा अन्य व्यक्ति, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन [7][1 अप्रैल, 2005 के पूर्व कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी] है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणियां तैयार करेगा और उन्हें [8][विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए] को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :]

[9][परंतु बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणी फाइल करने के प्रयोजनों के लिए स्कीम बना सकेगा ।]

[10][(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी, [8][सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति और प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति,] अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय को या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्टरिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर माध्यम कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :

[8][परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति और हर कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर, उक्त स्कीम के अधीन कम्पयूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।]

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात होते हुए भी, कंप्यूटर माध्यम पर फाइल की गई विवरणी को इस धारा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझा जाएगा और वह उसके अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मूल को पेश करने के और सबूत के बिना, मूल की किन्हीं अंतर्वस्तुओं के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (2) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी दोषपूर्ण है वहां वह, यथास्थिति, कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी को दोष के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी, अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, दोष का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर दोष को सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 80 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1986 के अधिनियम सं० 23 की धारा 32 द्वारा (1-6-1986 से) अंत:स्थापित ।
[3] 2013 के अधिनियम सं० 17 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 1987 के अधिनियम सं० 11 की धारा 56 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 52 द्वारा पुन:संख्यांकित ।
[7] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 46 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 49 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 49 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1997 के अधिनियम सं० 26 की धारा 52 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**206क. कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी का दिया जाना**—(1) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में [2][दस हजार रुपए से अनधिक, जहां संदायकर्ता कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी है और किसी अन्य मामले में पांच हजार रुपए से अनधिक] किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, [3][ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियां] तैयार करेगी और यथापूर्वोक्त तिमाही विवरणियों को ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 12 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह विहित प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक काट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर [3][ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियां] तैयार करे और उसे विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करे या परिदत्त कराए ।]

[4][**206कक. स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा**—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई राशि या आय या रकम, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की जानी है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् वह व्यक्ति कहा गया है, जिसकी कटौती की गई है) ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् कटौतीकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, और ऐसा करने में असफल रहने पर कर की कटौती, निम्नलिखित में से उच्चतर दर पर की जाएगी, अर्थात् :—

(i) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट दर पर ; या

(ii) प्रवृत्त दर या दरों पर ; या

(iii) बीस प्रतिशत की दर पर ।

(2) धारा 197 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ग) के अधीन कोई घोषणा तभी विधिमान्य होगी जब उक्त व्यक्ति ऐसी घोषणा में अपना स्थायी लेखा संख्यांक देता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा के अविधिमान्य होने की दशा में, कटौतीकर्ता उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करेगा ।

(4) धारा 197 के अधीन कोई प्रमाणपत्र तभी दिया जाएगा जब उस धारा के अधीन किए गए आवेदन में आवेदक का स्थायी लेखा संख्यांक अंतर्विष्ट हो ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी कटौती की गई है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करेगा, और दोनों ही अपने ऐसे सभी पत्राचारों, बिलों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों में उसे उपदर्शित करेंगे, जिसका दोनों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है ।

(6) जहां कटौतीकर्ता को उपलब्ध कराया गया स्थायी लेखा संख्यांक अविधिमान्य है या उस व्यक्ति का नहीं है जिसकी कटौती की जानी है, तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जिसकी कटौती की जानी है, कटौतीकर्ता को अपना स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया है और तद्नुसार उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे ।]

[5][(7) इस धारा के उपबंध—

(i) धारा 194ठग में यथानिर्दिष्ट दीर्घकालिक बंधपत्रों पर ब्याज के संदाय ; और

(ii) ऐसी शर्तों के आधीन, जो विहित की जाएं, किसी अन्य संदाय,

की बाबत किसी अनिवासी, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को लागू नहीं होंगे ।]

[6][**खख—स्रोत पर संग्रहण**

[7][**206ग. एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ**—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से भी पूर्वतर हो, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा ।

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 18 की धारा 52 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 60 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 68 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 69 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2016 के अधिनियम सं० 28 की धारा 87 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 1988 के अधिनियम सं० 26 की धारा 40 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 79 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**सारणी**

क्रम सं०	माल की प्रकृति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर	एक प्रतिशत
(ii)	तेंदू पत्ते	पांच प्रतिशत
(iii)	वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ	ढ़ाई प्रतिशत
(iv)	वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी ढंग से अभिप्राप्त काष्ठ	ढ़ाई प्रतिशत
(v)	कोई अन्य वनोत्पाद जो काष्ठ या तेंदू पत्ते नहीं हैं	ढ़ाई प्रतिशत
(vi)	स्क्रैप	एक प्रतिशत
[2][(vii)	खनिज, जो कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क हैं	एक प्रतिशत] :

[1][परंतु यह कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, 1 जून, 2003 को आरंभ होने वाली और उस तारीख के, जिसको काराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 प्रवृत्त होता है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान क्रेता द्वारा संदेय रकम क्रेता के लेखे में से विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, सारणी के जैसी वह 1 जून, 2003 के ठीक पूर्व थी, स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में इस धारा के उपबंधों के अनुसार जैसे वे 1 जून, 2003 के ठीक पूर्व थे, संगृहीत करेगा ।]

[3][(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे क्रेता की दशा में जो भारत में निवासी है, किसी कर का संग्रहण नहीं किया जाएगा यदि ऐसा क्रेता कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित इस आशय की घोषणा दो प्रतियों में लिखित रूप में प्रस्तुत करता है कि पूर्वोक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट माल का चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए [4][या विद्युत के उत्पादन के प्रयोजनों के लिए] उपयोग किया जाना है और न कि व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए ।

(1ख) इस धारा के अधीन कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उपधारा (1अ) में निर्दिष्ट घोषणा की एक प्रति उस मास के जिसमें वह घोषणा उसको प्रस्तुत की जाती है, आगामी मास के सातवें दिन को या उसके पूर्व, मुख्य आयुक्त या आयुक्त को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।]

[5][(1ग) प्रत्येक व्यक्ति, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार कहा गया है) किसी पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान में कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खान या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति देता है या कोई संविदा करता है या अन्यथा किसी अधिकार या हित का, चाहे पूर्णत: या भागत:, अन्तरण करता है, वह उसमें अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा संदेय रकम को अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद रूप में या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा :

सारणी

क्रम सं०	संविदा या अनुज्ञप्ति या पट्टे आदि की प्रकृति	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)
(i)	पार्किंग स्थान	दो प्रतिशत
(ii)	पथकर स्थान	दो प्रतिशत
(iii)	खनन और खदान क्रिया	दो प्रतिशत]

[1] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 81 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 9 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 81 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1][**स्पष्टीकरण 1**—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "खनन और खदान क्रिया" में खनिज तेल की खनन और खदान क्रिया सम्मिलित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "खनिज तेल" में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सम्मिलित हैं ।]

[2]* * * * * * *

(1च) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता होते हुए दस लाख रुपए से अधिक मूल्य के किसी मोटर यान के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, विक्रय प्रतिफल के एक प्रतिशत की राशि के बराबर क्रेता से ऐसी रकम का आय-कर के रूप में संग्रहण करेगा ।]

(2) उपधारा (1) [3][या उपधारा (1ग)] [2]*** के अधीन संग्रहण द्वारा कर वसूल करने की शक्ति, वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी ।

(3) उपधारा (1) [3][या उपधारा (1ग)] [2]*** के अधीन रकम का संग्रहण करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संगृहीत रकम का केंद्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड के निर्देशानुसार [4][विहित समय] के भीतर संदाय करेगा ।

[5][परंतु इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति संगृहीत किए गए कर का, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर [6][ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, ऐसा विवरण] तैयार करेगा और ऐसे विवरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।]

[7][(3क) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में, जहां उपधारा (1) या उपधारा (1ग) [2]*** के अधीन संगृहीत रकम को, चालान पेश किए बिना, केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया गया है, वेतन और लेखा अधिकारी या कोषाधिकारी या चेक आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो ऐसा कर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को एक विवरण, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित कराकर, उसमें ऐसी विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(3ख) उपधारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त परंतुक के अधीन विहित प्राधिकारी को, किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या उक्त परंतुक के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित रूप में एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा ।]

[8][(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और ऐसे व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए ऐसे नियमों के अनुसार, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं, मुजरा दिया जाएगा ।]

(5) इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रकम के विकलित या प्राप्त किए जाने [9][के समय से ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए] उस [10][क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार] को जिसके खाते में ऐसी रकम विकलित की गई है या जिससे ऐसा संदाय प्राप्त किया जाता है, इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि कर का संग्रहण कर लिया गया है और उसमें इस प्रकार संगृहीत राशि, वह दर जिससे कर संगृहीत किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट होंगी जो विहित की जाएं ।

[11]* * * * *

[12][परंतु यह] कि विहित आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, [13][1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्] विहित समय के भीतर, संगृहीत किए गए कर

---

[1] 2007 के अधिनियम सं० 22 की धारा 61 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 72 द्वारा लोप किया गया ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 70 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 54 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2008 के अधिनियम सं०18 की धारा 48 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[10] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[11] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा लोप किया गया ।
[12] 2010 के अधिनियम सं० 14 की धारा 44 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[13] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।

की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में एक विवरण तैयार करेगा और, यथास्थिति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट क्रेता या उपधारा (1ग) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार को परिदत्त कराएगा ।]

[1][(5क) इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का [2][1 अप्रैल 2005 के पूर्व संग्रहण करने वाला] प्रत्येक व्यक्ति [3][प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर विवरणियां तैयार करेगा] और ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, [3][विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जो विहित किया जाए] को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :

[4][परंतु बोर्ड, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, इस उपधारा में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा ।]

[4][(5ख) उपधारा (5क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मामले से जहां विक्रेता कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, भिन्न किसी मामले में कर संग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक काट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "कंप्यूटर माध्यम" कहा गया है) और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा :

परंतु जहां कर की कटौती करने वाला वयक्ति, कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां ऐसा व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(5ग) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कंप्यूटर माध्यम पर फाइल की गई कोई विवरणी उपधारा (5क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझी जाएगी और उसके अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में मूल को पेश करने के अतिरिक्त सबूत के बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

(5घ) जहां निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (5ख) के अधीन परिदत्त की गई या परिदत्त कराई गई विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह कर का संग्रहण करने वाले व्यक्ति को उस त्रुटि के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी अपने विवेकाधिकार से अनुज्ञात करे, त्रुटि की परिशुद्धि करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।]

(6) कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने का दायी होगा ।

[5][(6क) यदि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण नहीं करता है या संग्रहण करने के पश्चात् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित रूप में कर का संदाय करने में असफल रहता है तो वह, किसी अन्य परिणामों पर, जो उसके लिए हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कर के संबंध में व्यतिक्रमी निर्धारिती, समझा जाएगा :

[6][परंतु [7]*** ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है ;

(ii) आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है ; और

---

[1] 1989 के अधिनियम सं० 3 की धारा 34 द्वारा (1-4-1989 से) अंत:स्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा (1-4-2005 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 81 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 72 द्वारा लोप किया गया ।

(iii) आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है,

और वह व्यक्ति किसी लेखपाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है ;

[1][परंतु यह और कि] ऐसे व्यक्ति पर धारा 221 के अधीन कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि व्यक्ति उचित और पर्याप्त कारणों के बिना कर का संग्रहण और संदाय करने में असफल रहा है ।]

(7) उपधारा (6) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि [2][कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति] कर का संग्रहण नहीं करता है या कर का संग्रहण करने के पश्चात् इस धारा की अपेक्षानुसार उसका संदाय करने में असफल रहता है तो वह कर की ऐसी रकम पर उस तारीख से जिसको ऐसा कर संग्रहणीय था, उस तारीख तक जिसको कर का वास्तव में संदाय किया गया था, प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए [3][एक प्रतिशत] की दर से [4][और ऐसे ब्याज का संदाय उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व किया जाएगा ।]

[5][परंतु [6]*** कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, किंतु उसे उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाता है, तो ब्याज उस तारीख से, जिसको ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए संदेय होगा ।]

(8) जहां कर पूर्वोक्त रूप में संदत्त नहीं किया गया है वहां उसके संगृहीत किए जाने पर कर की रकम और साथ ही उपधारा (7) में निर्दिष्ट उस पर साधारण ब्याज की रकम [4][कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति] की सभी आस्तियों पर भार होंगी ।]

[7][(9) जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि [8][क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार] की कुल आय उपधारा (1) [8][या उपधारा (1ग)] [6]*** में विनिर्दिष्ट सुसंगत दर से किसी निम्नतर दर पर कर सुसंगत दर को न्यायसंगत बनाती है वहां निर्धारण अधिकारी [8][क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार] द्वारा इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर उसे उपधारा (1) [8][या उपधारा (1ग)] [5][या उपधारा (1घ)] में विनिर्दिष्ट सुसंगत दर से निम्नतर दर पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र देगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन कोई प्रमाणत्र दिया जाता है वहां कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जब तक निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र रद्द नहीं कर दिया जाता, उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट दरों पर कर का संग्रहण करेगा ।

(11) बोर्ड, निर्धारिती की सुविधा और राजस्व के हितों को ध्यान में रखते हुए, ऐसी दशाएं, जिनमें और ऐसी परिस्थितियां जिनके अधीन उपधारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र देने के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वे शर्तें, जिनके अधीन ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करते हुए और उससे संबंधित सभी अन्य विषयों का उपबंध करते हुए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा ।]

[9][**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

[5][(क) "लेखापाल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उसका है ;

(कक) "क्रेता" से,—

(i) उपधारा (1) के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्रय में, नीलामी, निविदा के रूप में या किसी अन्य ढंग से, उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अथवा किसी ऐसे माल को प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रात करता है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,—

(अ) कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार और किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधित्व तथा कोई क्लब ; या

(आ) ऐसे माल के फुटकर विक्रय में का कोई क्रेता जो उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए क्रय किया गया है ;

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 81 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 47 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 54 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2006 के अधिनियम सं० 21 की धारा 47 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 81 द्वारा अन्त:स्थापित ।
[6] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 72 द्वारा लोप किया गया ।
[7] 1999 के अधिनियम सं० 27 की धारा 80 द्वारा अंत:स्थापित ।
[8] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 50 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[9] 1992 के अधिनियम सं० 18 की धारा 79 द्वारा अंत:स्थापित ।

[1]* * * * * *

[2][(iii) उपधारा (1च) के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी विक्र या में या उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का माल अभिप्राप्त करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है,—

(अ) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी विदेशी राज्य का कोई राजदूतावास, कोई उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधित्व; या

(आ) धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी; या

(इ) कोई ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो यात्रियों का वहन करने के कारबार में लगी हुई है ।]

[1]* * * * * *

[3][(ख) "स्क्रैप" से सामग्री के विनिर्माण या यांत्रिक कार्यकरण से ऐसे अपशिष्ट और स्क्रैप अभिप्रेत हैं जो टूटन, कटाई, टूट-फूट और अन्य कारणों से उस रूप में निश्चित रूप से उपयोज्य नहीं हैं ;

(ग) "विक्रेता" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब भी है जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें [4][सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल का विक्रय किया जाता है] ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है ।]

[5][**206गक. कर-संग्रहण खाता संख्यांक**—(1) धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को कर संग्रहण खाता संख्यांक आबंटन करने के लिए आवेदन करेगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को कोई कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटित कर दिया गया है वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा,—

(क) धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;

(ख) धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(ग) किसी आय-कर प्राधिकारी को धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसरण में प्रदत्त सभी विवरणियों में ; और

(घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं :

[6][परंतु इस धारा के उपबंध 1 अक्तूबर, 2004 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होंगे ।]

[7][**206गख. स्रोत पर संगृहीत कर के विवरणों पर प्रक्रिया**—(1) जहां स्रोत पर कर संग्रहण का कोई विवरण या कोई संशोधन विवरण, धारा 206ग के अधीन किसी राशि का संग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इसमें संग्रहणकर्ता कहा गया है) बनाया गया है, वहां ऐसे विवरण पर निम्नलिखित रीति से प्रक्रिया की जाएगी, अर्थात् :—

(क) इस अध्याय के अधीन संग्रहणीय राशियों की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात् :—

(i) विवरण में कोई अंकगणितीय भूल ;

(ii) विवरण में किसी सूचना से प्रकट कोई गलत दावा ;

(ख) ब्याज, यदि कोई हो, की संगणना विवरण में यथा संगणित संग्रहणीय धनराशियों के आधार पर की जाएगी ;

(ग) फीस यदि कोई हो, की संगणना धारा 234ङ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ;

(घ) संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम का अवधारण खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन संगणित रकम का धारा 206ग या धारा 234ङ के अधीन संदत्त किसी रकम और कर या ब्याज या फीस के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से समायोजन करने के पश्चात् किया जाएगा ;

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 72 द्वारा लोप किया गया ।
[2] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 72 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2003 के अधिनियम सं० 32 की धारा 87 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 77 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 91 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 2004 के अधिनियम सं० 23 की धारा 51 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 2015 के अधिनियम सं० 20 की धारा 55 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ङ) एक इत्तिला संग्रहणकर्ता द्वारा खंड (घ) के अधीन संदेय रूप में अवधारित राशि को या उसे शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार की जाएगी या बनाई जाएगी और उसे भेजी जाएगी ; और

(च) खंड (घ) के अधीन अवधारण के अनुसरण में संग्रहणकर्ता को शोध्य प्रतिदाय की रकम संग्रहणकर्ता को दी जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई इत्तिला उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरण फाइल किया जाता है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विवरण में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से किसी विवरण में,—

(i) ऐसी किसी मद की जो उसकी किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है या उस विवरण में की किसी अन्य मद की ; या

(ii) स्रोत पर कर के संग्रहण की दर के संबंध में जहां ऐसी दर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है,

किसी प्रविष्टि के आधार पर कोई दावा अभिप्रेत होगा ।

(2) बोर्ड, संग्रहणकर्ता द्वारा संदेय कर का या उसे शोध्य प्रतिदाय का यथाशीघ्र अवधारण करने के लिए स्रोत पर संगृहीत कर के विवरण पर केंद्रीयकृत रूप में उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित प्रक्रिया करने संबंधी स्कीम बना सकेगा ।]

[1][**206गग. उस व्यक्ति द्वारा, जिससे संग्रह किया गया है, स्थायी खाता संख्यांक दिए जाने की अपेक्षा**—(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी राशि या रकम का, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणीय है, संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति, (जिसे इसमें इसके पश्चात् यह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, कहा गया है) ऐसा कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् संग्रहकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी खाता संख्यांक देगा जिसमें असफल रहने पर कर निम्नलिखित दरों से उच्चतर दर पर संगृहीत किया जाएगा, अर्थात् :—]

(i) इस अधिनियम के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना; या

(ii) पांच प्रतिशत की दर से ।

(2) धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन कोई भी घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक ऐसी घोषणा में व्यक्ति अपना स्थायी खाता संख्यांक नहीं देता है ।

(3) उस दशा में, जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अविधिमान्य हो जाती है, संग्रहकर्ता, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर का संग्रह करेगा ।

(4) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कोई भी प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उस धारा के अधीन आवेदन में आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक नहीं है ।

(5) वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, अपना स्थायी खाता संख्यांक संग्रहकर्ता को देगा और उसे वे दोनों समस्त पत्राचार, बिलों, वाउचरों और ऐसे अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित करेंगे, जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं ।

(6) जहां संग्रहकर्ता को दिया गया स्थायी खाता संख्यांक अविधिमान्य है या उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है, जिससे संग्रह किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिससे संग्रह किया गया है, संग्रहकर्ता को अपना स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया है और उपधारा (1) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(7) इस धारा के उपबंध ऐसे अनिवासी को लागू नहीं होंगे जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी स्थापन" पद के अतंर्गत कारबार का ऐसा कोई नियत स्थान आता है जिसके माध्यम से उद्यम का कारबार पूर्णत: या भागत: चलाया जाता है ।]

ग—कर का अग्रिम संदाय

[2][**207. अग्रिम कर के संदाय का दायित्व**—[3][(1)] किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कर, निर्धारिती की ऐसी कुल आय की बाबत जो उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य होगी, धारा 208 से धारा 219 के (जिनमें से दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) उपबंधों के अनुसार अग्रिम रूप से संदेय होगा । ऐसी आय को इस अध्याय में इसके पश्चात् "चालू आय" कहा गया है ।

[1][(2) उपधारा (1) के उपबंध भारत में ऐसे किसी व्यष्टिक निवासी को लागू नहीं होंगे,—

---

[1] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 73 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 76 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 82 द्वारा पुन:संख्यांकित ।

(क) जिसकी "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय नहीं है ; और

(ख) जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।]

208. अग्रिम कर का संदाय करने के दायित्व की शर्तें—किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर, ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उस वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसे कर की रकम, जिसकी संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की जाती है [2][दस रुपए] या उससे अधिक है, संदेय होगा ।]

209. अग्रिम कर की संगणना—[3][(1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्धारिती द्वारा वित्तीय वर्ष में संदेय अग्रिम कर की रकम की संगणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी, अर्थात् :

(क) जहां परिकलन निर्धारिती द्वारा धारा 210 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन अग्रिम कर के संदाय के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां वह अपनी चालू आय पहले प्राक्कलित करेगा और उस पर आय-कर वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त दरों से परिकलित किया जाएगा ;

(ख) जहां परिकलन निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 की उपधारा (3) के अधीन आदेश करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है वहां अंतिम पूर्ववर्ष की कुल आय, जिसकी बाबत निर्धारती का निर्धारण, नियमित निर्धारण के तौर पर किया गया है या किसी पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के लिए किसी निर्धारिती द्वारा दी गई आय की विवरणी में उसके द्वारा दी गई कुल आय, इनमें से जो भी उच्चतर हो, हिसाब में ली जाएगी और उस पर आय-कर वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त दरों से परिकलित किया जाएगा ;

(ग) जहां परिकलन, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 210 की उपधारा (4) के अधीन संशोधित आदेश करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां, यथास्थिति; बाद वाले पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा दी गई विवरणी में घोषित कुल आय या ऐसी कुल आय जिसकी बाबत उस उपधारा में निर्दिष्ट नियमित निर्धारण किया गया है, हिसाब में ली जाएगी और उस पर आय-कर वित्तीय वर्ष में प्रवृत्त दरों से परिकलित किया जाएगा ;

(घ) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की उतनी रकम घटा दी जाएगी जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से (जैसी कि वह इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय कोई कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व संगणित की जाए) [4][स्रोत पर कटौती या संग्रहण करने योग्य] होती जो, यथास्थिति चालू आय या पूर्वोक्त कुल आय की संगणना करने में हिसाब में ली गई है और इस प्रकार घटाई गई आय-कर की रकम संदेय अग्रिम कर होगी] :

[5][परंतु अग्रिम कर संबंधी दायित्व की संगणना करने के लिए, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन परिकलित आय-कर में से, प्रत्येक दशा में, आय-कर की उतनी पूर्वोक्त रकम घटाई नहीं जाएगी, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती योग्य या संग्रहण योग्य होती, यदि कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति ने कर की कटौती किए बिना ऐसी आय का संदाय कर दिया है या उसे जमा कर दिया है या वह कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा ऐसे कर का संग्रहण किए बिना प्राप्त या विकलित कर दी गई है ।]

[6][(2) जहां सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में यह उपबन्ध है कि निर्धारितियों के किसी वर्ग की दशा में (उस अधिनियम में यथा परिभाषित) शुद्ध कृषि आय को अग्रिम कर की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा, वहां उस वर्ग में आने वाले किसी निर्धारिती की दशा में, हिसाब में ले ली जाने वाली शुद्ध कृषि आय—

(क) उन दशाओं में [7][जहां निर्धारण अधिकारी धारा 210 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश करता है,—]

(i) यदि उस अन्तिम पूर्ववर्ष की कुल आय जिसकी बाबत उसे नियमित निर्धारण के रूप में निर्धारित किया गया है, उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर की संगणना का आधार है तो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए वह शुद्ध कृषि-आय होगी जिसे हिसाब में लिया गया है ; या

[1][(ii) यदि धारा 210 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट बाद वाले पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय अग्रिम कर की संगणना का आधार है तो ऐसे बाद वाले पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में निर्धारिती द्वारा दी गई शुद्ध कृषि आय होगी]

---

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 82 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 2009 के अधिनियम सं० 33 की धारा 71 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 77 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।
[4] 1989 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 3 की धारा 35 द्वारा (1-6-1988 से) "स्रोत पर कटौती करने योग्य" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 84 द्वारा अंत:स्थापित ।
[6] 1974 के अधिनियम सं० 20 की धारा 11 द्वारा (1-4-1974 से) अंत:स्थापित ।
[7] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 77 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[1][(ख) उन दशाओं में जहां अग्रिम कर का संदाय निर्धारिती द्वारा धारा 210 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन उसकी चालू आय के उसके प्राक्कलन के आधार पर किया जाता है वहां उसके द्वारा प्राक्कलित उस अवधि की शुद्ध कृषि आय होगी जो ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ववर्ष होगी ।]

(3) जहां सुसंगत वर्ष के वित्त अधिनियम में ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जिसके कम से कम एक सदस्य की उस पूर्ववर्ष में कुल आय उसकी दशा में आय-कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक है, अग्रिम कर संगणित करने के प्रयोजनों के लिए पृथक् दर या दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं तो ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में [1][धारा 210 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन] आदेश करने के लिए [@][निर्धारण अधिकारी] अग्रिम कर की संगणना (धारा 164 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी दर या दरों पर करेगा,—

(क) उस दशा में जहां उस अन्तिम पूर्ववर्ष की कुल आय, जिसके बारे में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का नियमित निर्धारण कर दिया गया है, अग्रिम कर की संगणना के लिए आधार है यदि ऐसे अन्तिम पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उस कुटुम्ब के किसी सदस्य की कुल आय उसकी दशा में आय-कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक है ;

(ख) उस दशा में जहां पूर्ववर्ष की कुल आय [1][जिसकी बाबत धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा आय की विवरणी दी जाती है] अग्रिम कर की संगणना का आधार है यदि ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कुटुम्ब के किसी सदस्य की कुल आय उसकी दशा में आय-कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक है ।]

[2]* * * * *

[@] संक्षिप्त प्रयोग देखिए ।

[1] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 77 द्वारा (1-4-1988 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1988 के प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम सं० 4 की धारा 78 द्वारा (1-4-1988 से) लोप किया गया ।